खण्ड-206, अंक-6
शुक्रवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1881
(21 अगस्त, 1959 ई0)

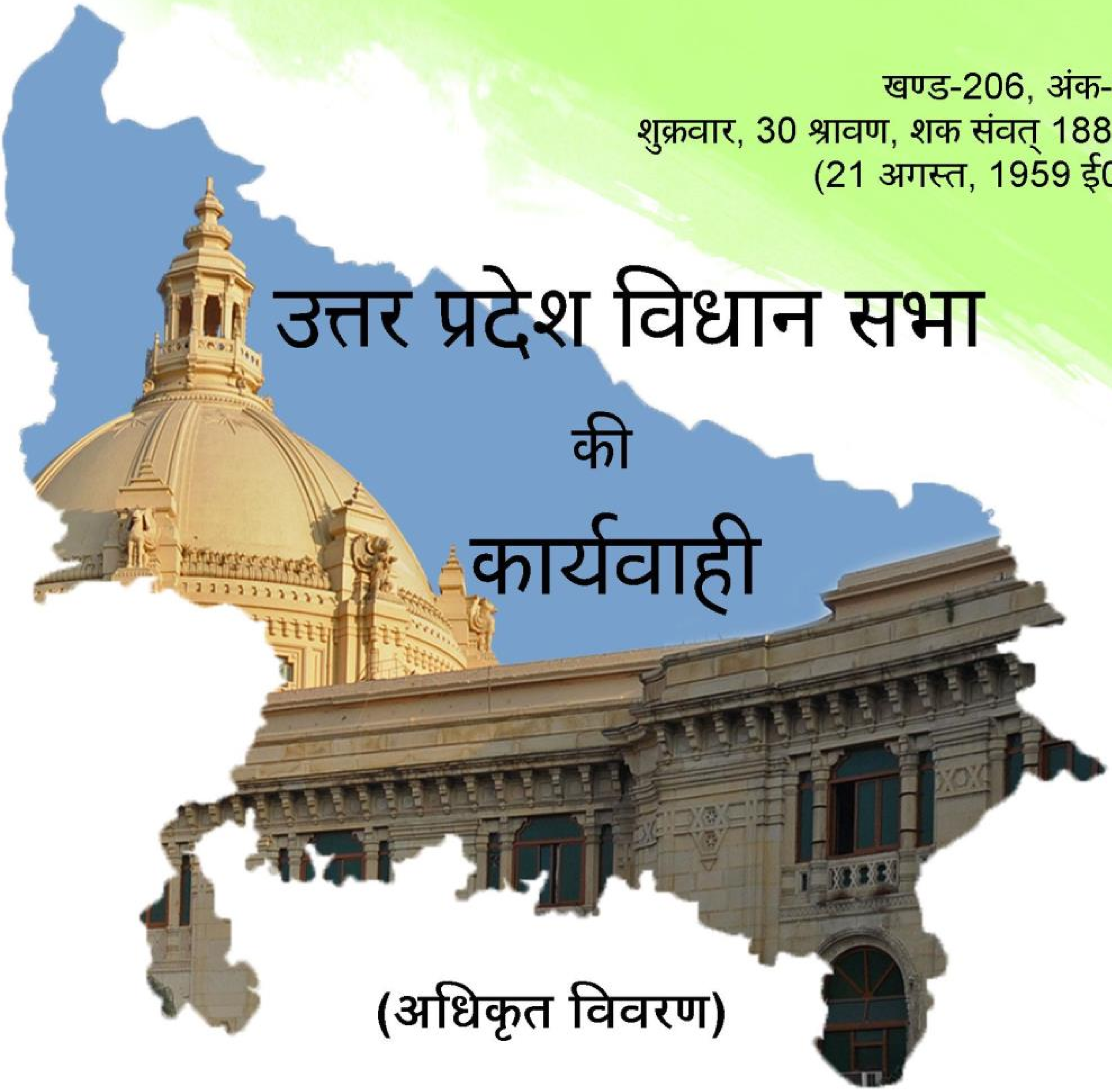

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री

नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
राजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री

शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर,
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९५९

तारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले में कत्ल के लापता मामले

*१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५८ ई० में ऐसे कत्ल व ऐसी डकैती कितनी हुई हैं कि जिनका पता स्थानीय पुलिस नहीं लगा सकी है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--सन् १९५८ ई० में मैनपुरी जिले में ६ कत्ल के मामले लापता रहे और डकैती के सभी मामलों का पता चल गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में एक साल के अन्दर ६ कत्ल ऐसे हुए हैं जिनका पता अब तक नहीं लगा इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, जो ६ कत्ल की घटनायें हुई हैं वे ऐसी जगह हुई हैं जहां कि शहादत नहीं मिल सकी जिससे मुल्जिमान का पता लगाया जा सके। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि ये किस कारण से मारे गये हैं, लेकिन इसका पता नहीं चला।

श्री गनेशचन्द्र काछी---जिन कत्लों का पता नहीं लगा उनका पता लगाने के लिये क्या यहां से सी० आई० डी० मुकर्रर करने की कृपा की जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उससे कुछ लाभ नहीं होगा इसलिये सी० आई० डी० मुकर्रर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कत्लों के पता लगाने का काम किस अधिकारी को सौंपा गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थानीय थाना अधिकारी का कर्त्तव्य होता है कि जब ऐसे कत्ल की रिपोर्ट हो तो वे उसका पता लगावें।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ६ कत्ल हुए हैं इनमें पुलिस की साजिश रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा सरकार की ओर से सोचा भी नहीं जा सकता।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ६ कत्ल के केस हुए हैं उनमें से ३ भोगांव के इलाके में हुए हैं और वहां शहादत न मिल सकने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---३ तो भोगांव तहसील में ही हुए हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थानों के इंचार्ज उनका पता नहीं लगा सके क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कत्ल जैसे संगीन मामलों का पता लगाने का काम वह एक विशेषज्ञ उच्चाधिकारी को सौंपे ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो ३५ कत्ल हुए थे जिनमें से ६ का पता नहीं लगा इसमें ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। ३५ केसेज में ६ का पता नहीं लगना सम्भव हो सकता है। इसके लिये कोई विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो कत्ल हुए हैं क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतर कत्ल दिन में हुए हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ऐसा तो नहीं है, हर एक कत्ल की व्याख्या मैं सुनाऊं तो बहुत समय लगेगा।

हरिजन उपसहायक समिति, मैनपुरी से सहायता

*२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५७ व १९५८ ई० में हरिजन उप सहायक समिति से कुल कितने लोगों को सहायतायें स्वीकार हुई थीं और अब तक कितने लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं और कितने को नहीं ? उपर्युक्त जिन लोगों को उक्त सहायतायें अब तक प्राप्त नहीं हो सकी हैं उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--

सन् १९५७-५८ में

५५ लोगों को सहायतायें स्वीकृत हुईं ।

३८ लोगों को सहायतायें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं ।

१७ लोगों को सहायतायें अभी तक प्राप्त नहीं हुयीं । इनको सहायतायें प्राप्त न होने के कारण यह हैं:--

७ लोगों को जिन्हें मकानों के लिये सहायतायें स्वीकृत थीं कार्य आरम्भ नहीं किया ।

१० लोगों को जिन्हें कृषि उत्थान के लिये सहायतायें स्वीकृत थीं उनके प्रार्थना-पत्र उचित फार्म में नहीं थे ।

सन् १९५८-५९ में

२९ लोगों व दो सहकारी समितियों को सहायतायें स्वीकृत हुयीं ।

१३ लोगों व दो सहकारी समितियों को सहायतायें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं ।

१६ लोगों को अभी तक सहायतायें प्राप्त नहीं हुयीं । इन लोगों को सहायतायें न प्राप्त होने के कारण यह हैं:--

८ लोगों ने जिन्हें कुयें बनाने के लिये तथा ८ लोग जिन्हें मकान बनाने के लिये सहायता स्वीकृत थी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह १० प्रार्थना-पत्र जो ठीक फार्म पर नहीं आये तो उन पर सहायता किस प्रकार स्वीकार कर ली गई ?

श्री दीनयालु शास्त्री--उनको दोबारा फार्म भेजने के लिये कहा गया था और इसीलिये सहायता स्वीकार किये जाने पर विचार किया गया ।

श्री भुवनेषभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायतायें दी गईं उनकी धनराशि कुल कितनी थी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--उन लोगों को सन् १९५७-५८ में ५,७३६ रुपया और १९५८-५९ में ९,८४० रुपया दिया गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम वर्ष में जो सहायता दी गई उसमें सब से अधिक और सब से कम कितनी दी गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--इसकी सूचना नहीं है ।

*३-४-श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ४ सितम्बर, १९५९ के लिए स्थगित किये गये ।]

गरौठा में मुन्सिफी खुलवाने की प्रार्थना

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में ललितपुर व महरौनी तहसीलों के ललितपुर में और मऊरानीपुर तथा गरौठा तहसीलों के झांसी में कितने-कितने दीवानी के दावे गत वर्ष दायर हुये थे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--एक तालिका सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४५ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मऊरानीपुर और गरौठा तहसीलों की जनता को झांसी जाने के लिये ४०-५० मील का सफर तय करने के अलावा बेदवन्ती नदी को भी पार करना पड़ता है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--ललितपुर में इसी वास्ते एडीशनल मुन्सिफ काम करते हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों तहसीलों की जनता की सुविधा के लिये गरौठा में मुन्सिफी खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मौजूदा अदालत से काम ठीक चल रहा है ।

वाराणसी के निकट गंगा में नौका दुर्घटना

*६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मार्च, १९५९ को वाराणसी के समीप गंगा जी में जो किश्ती डूब गई थी उसके क्या कारण हैं, उसमें कितने यात्री थे तथा उनमें से कितने मर गये और कितने बचे ?

श्री रामस्वरूप यादव---१० मार्च, सन् १९५९ को कुछ दक्षिण भारतीय यात्री नाव द्वारा सोमेश्वर घाट में पंचतीर्थ नामक धार्मिक कृत्य करने के लिये रवाना हुये । गंगा और वरुणा के संगम से सोमेश्वर घाट लौटते समय नाव नदी की सतह में गड़ी एक जलमग्न बल्ली से टकरा कर उलट गई । नाव में ५२ यात्री थे । उनमें से एक स्त्री की लाश मृत अवस्था में बाहर निकाली गई और ५१ व्यक्ति बच लिये गये । बचाये गये व्यक्तियों में से ९ की अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Licensed boat थी और उसकी carrying capacity क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नाव लाइसेन्सयुक्त थी और उसमें केवल २४ व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति थी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २४ व्यक्तियों के बजाय ५२ व्यक्ति बैठाने के लिये उस नाव वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---३ मल्लाहों के खिलाफ धारा २८०-२८२ और ३०४ के अनुसार मुकदमें चलाये गये जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बनारस में नदी में डूबने की घटनायें ज्यादा हो रही हैं सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसी घटनाएं फिर न घटें ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रयत्न तो यही किया जाता है । वहां जल पुलिस रखी गई है और यह भी देखा जाता है कि नाव वाले ऐसा न हो कि ज्यादा यात्रियों को बैठा लें । साथ ही जो बल्लियां गड़ी हुई थीं वह भी अब निकलवा दी गई हैं ।

सिमरा जागीर ग्राम का अग्निकांड

*८---श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अप्रैल, १९५९ के लगभग ग्राम सिमरा जागीर, थाना बड़खेरा, जिला पीलीभीत में क्या कोई आग लगने की भीषण दुर्घटना हुई है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---जी हां । दिनांक ११/१२ अप्रैल, १९५९ को लगभग आधी रात के समय आकस्मिक आग लगने की दुर्घटना हुई थी ।

*९--श्री गरीबदास--यदि हां, तो कितने जानमाल की हानि हुई तथा पीड़ितों को क्या सहायता सरकार द्वारा दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--५ मनुष्य तथा ३ पशुओं की मृत्यु हुई तथा लगभग ३५,३६० रुपये की फसल व अन्य सम्पति की हानि हुई ।

पीड़ितों को मकानादि बनाने के लिये वन विभाग से निर्मूल्य सामग्री दी गई । इस के अतिरिक्त मालगुजारी में ७०.४९ रुपये की छूट देने का प्रस्ताव है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आग लगने का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो हमको पता नहीं ।

श्री गरीबदास--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उनके घर वालों को या उनसे संबंधित व्यक्तियों को कोई पेन्शन आदि देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसा कोई विचार सरकार के सामने नहीं है ।

श्री उग्रसेन--जब ३८ हजार रुपये के लगभग की सम्पत्ति का नुकसान हुआ तो उसके मुकाबिले में जो उनको मालगुजारी में कुल ७० रुपये की छूट या मदद दी गई है क्या वह बहुत कम नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उनका नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो लकड़ी मकान बनाने के लिये दी गई वह उनको मिल गई है या केवल आदेश ही जारी हुए हैं ? इसकी भी कोई जांच की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--खयाल तो ऐसा है कि मिल गई ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आग लगने के पश्चात् वहां उन लोगों के पास कुछ नहीं था तो सरकार ने उनको तुरन्त गल्ला तथा और सामान दिया ? यदि हां, तो कितना दिया और कितने परिवारों को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गल्ला तो नहीं दिया गया ।

अपराधग्रस्त थानों को जीपें देने का सुझाव

*१०--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों के थानों में अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा कारें दी गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--अपराधियों को पकड़ने के लिये किसी भी जिले के थानों को सरकार द्वारा कारें नहीं दी गई हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जिन थानों में अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पर जीप कारें दे दी जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जहां जहां डकैतों की समस्या होती है वहां पर आवश्यकता के अनुसार मोटर गाड़ियां दे दी जाती हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास किन्हीं थाने से इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आए हैं जिनमें इस बात की प्रार्थना की गई हो कि उनको गाड़ियां दी जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---थाने से सीधे शासन को पत्र नहीं आ सकते हैं। आई० जी० जहां जरूरत समझते हैं डकैतों की या ऐसे क्राइम्स की ठीक व्यवस्था करने के लिये वहां मोटर गाड़ी दे दी जाती है।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो बिहार सीमा पर जिले बलिया, देवरिया आदि हैं वहां पर इस किस्म के क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको रोकने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो अभी यह स्वीकार नहीं किया कि इस सीमा पर बहुत ज्यादा अपराध होते हैं।

श्री बृजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब-इंस्पेक्टर को न सही तो इंस्पेक्टर को सवारी की सुविधा दी जाएगी ताकि क्राइम बढ़ने से वह रोक सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा विचार भी नहीं है और मैं समझता हूं कि ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि इंस्पेक्टर को मोटर गाड़ी दी जाय।

ललितपुर-महरौनी सड़क पर पांच व्यक्तियों का अपहरण

*११ --**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि क्या जिला झांसी में १४ मार्च, १९५९ को ललितपुर-महरौनी सड़क पर दिन के दो बजे एक लारी तथा एक कार को रोक कर डाकुओं का दल पांच आदमियों को अपहरण कर ले गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई और ऐसी घटनायें रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इस सम्बन्ध में एक मामला धारा ३६५/३९५/३९८ भा० द० विधान के अन्तर्गत थाना महरौनी में दर्ज किया गया और जांच जारी है। उक्त गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जा चुका है और अन्य सदस्यों के विरूद्ध धारा ८७-८८ भा० दं० विधि संग्रह की कार्यवाही की जा रही है। पांचों व्यक्ति डाकुओं द्वारा २२/२३, मार्च, १९५९ को छोड़े जा चुके हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के हेतु इस क्षेत्र में सशस्त्र तथा नागरिक पुलिस के अलावा पी० ए० सी० की २ कम्पनी भी तैनात की गई हैं। कुछ नये थाने और चौकियां भी खोली गई हैं और संदेश भेजने के साधनों में वृद्धि की गई है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त पकड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा डकैतों के सरदार श्री सूरत सिंह ने एक पत्र श्रीमती इन्द्रा गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा को लिख कर यह मांग की थी कि उन्हें माफ कर दिया जाय ? क्या वह पत्र सरकार के पास भी आया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई पत्र उन्होंने भेजा है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि १४ मार्च से अब तक गिरोह के बाकी लोगों को पकड़ने में क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसमें से कुछ डाकू मध्य प्रदेश के हैं और कुछ हमारे प्रदेश के हैं और वे मशहूर डाकू हैं जिनके पकड़ने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन नहीं पकड़े जा रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---जब उस क्षेत्र में प्रायः इस तरह की घटनायें होती रहती हैं तो उस क्षेत्र को मिलिटरी एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा कोई विचार नहीं है और शायद करना भी ठीक नहीं होगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—ललितपुर सब-डिवीजन की डकैती की समस्या को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को विशेष डकैत क्षेत्र घोषित करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो सभी को मालूम है कि वहां पर एक समस्या डकैतों की है और उसके लिये पी० ए० सी० और बाकी जो इंतजाम मैंने अभी उत्तर में बताये थे किये जा रहे हैं । उससे भी ज्यादा करने का प्रयत्न किया जायगा जिससे डाकुओं को बुरे काम करने से रोका जा सके ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि जिन ५ आदमियों को डाकुओं ने पकड़ लिया था उनको किस शर्त पर छोड़ दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—शर्त तो पकड़े हुए और छोड़ने वालों के बीच में हुई होगी, सरकार को नहीं मालूम है । वह तो ऐसा ही कहते हैं कि उनको स्टेशन के पास छोड़ दिया । बाकी अगर कोई विशेष बात होगी तो वही जान सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—जब कुछ डकैत मध्य प्रदेश के थे तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की ताकि मिल-जुल कर इस बात का पता लगा सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच में बातचीत होती रहती है । दोनों ही सरकारें प्रयत्नशील हैं, क्योंकि यह लोग दोनों ही जगह जरायम करते हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मध्य प्रदेश सरकार बराबर यह कहती है कि सीमा क्षेत्र उनके अधिकार में दे दिया जाय । अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो क्या दोनों प्रदेशों की संयुक्त पुलिस की व्यवस्था होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—शुरू से ही दोनों सरकारें भरसक प्रयत्न कर रही हैं और करेंगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ललितपुर सब-डिवीजन में बंदूकों के लाइसेंस जनता को आसानी से मिल सकें इस विषय में सरकार ने कोई विशेष आदेश दिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की यही नीति है और पुलिस अधिकारी भी प्रोत्साहन देते हैं । जो बंदूकों का प्रयोग ठीक प्रकार कर सकते हैं और जो ऐसे नागरिक हैं जिनसे स्वयं यह आशा नहीं की जा सकती हो कि स्वयं डकैत बन जायं, उनको अवश्य लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

मेडिकल कालेजों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की योजना

*१२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार राज्य के मेडिकल कालेजों में नियुक्त चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस बन्द करने की योजना स्थगित करने जा रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी यह योजना केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सरकार के वचाराधीन है ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतलायेंगे यह योजना कब से सरकार के विचाराधीन है तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र करने में क्या कठिनाइयां पड़ रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई एक साल से ज्यादा हुआ जब से विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ कारस्पांडेंस हो रही है। जब सब मामला तय हो जायगा, इसको लागू किया जायगा। जहां तक उसके सिद्धान्त का ताल्लुक है उसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में मेडिकल कालेजों के डाक्टरों ने सरकार के पास कोई प्रार्थना भेजी है ? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन---स्केल के बारे में दिया था।

मेडिकल कालेजों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार

*१३---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार के पास मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों से संबंधित डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस के बारे में कोई परिपत्र भेज कर प्रदेश सरकार को अपनी सम्मति भेजने को लिखा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां।

*१४---**श्री मुक्तिनाथराय**---यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने इस विषय में क्या उत्तर दिया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों में नियुक्त डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त करने के संबंध में जो योजना है उसके सिद्धान्त को इस सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इस विषय में विस्तार पूर्वक विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है और अभी उनसे लिखा-पढ़ी ही चल रही है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने जो विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजा है उसमें खास-खास बातें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह गोपनीय है।

श्री झारखंडेराय---क्या यह सही है कि हमारे सूबे की सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वह इसको लागू करेगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने ऐन मौके पर हस्तक्षेप किया जिसके द्वारा इसमें रुकावट पड़ गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हस्तक्षेप के कारण रुकावट नहीं पड़ी है। कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से यह तय नहीं हो सका और उनकी वजह से यह रुकावट हो रही है।

श्री प्रतापसिंह---जब उत्तर प्रदेश की सरकार निजी प्रैक्टिस को बन्द करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुकी है तो कौन से कारण हैं जिनको केन्द्रीय सरकार ने यहां की सरकार को लिखा है जो गोपनीय हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो कारस्पांडेंस होती है केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार से वह हमेशा गोपनीय होती है और जब तक फाइनली तय नहीं होता तब तक कैसे प्रकाशित की जा सकती है।

मुरादाबाद से कोथ जाने वाली बस के दो यात्रियों की हत्या

*१५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९५९, के अन्तिम सप्ताह में अवधपुर रेलवे स्टेशन के समीप मुरादाबाद से कोथ जाने वाली बस पर यात्रा करने वाले दो यात्रियों की दिन के ३ बजे गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो मृतक व्यक्तियों के क्या नाम थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ऐसी घटना जिला मुरादाबाद में अगवानपुर रेलवे स्टेशन के समीप २६ फरवरी, १९५९, को हुई थी। मृत व्यक्तियों के नाम हरस्वरूप सिंह तथा बत्तूसिंह थे।

*१६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बस किसकी थी और पुलिस ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह किराये पर चलने वाली एक प्राइवेट बस थी। बस के मालिक का नाम श्री सरदार हुसेन, मोहल्ला कोना मुगलपुरा, मुरादाबाद है। इस घटना के बारे में १७ अभियुक्तों का चालान किया गया है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मारे गये व्यक्तियों के शवों को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जुर्म करने वालों ने नदी में वे शव डाल दिये थे और केवल एक शख्स का सिर रहित शव मिल सका।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जितने अपराधी थे वे सब गिरफ्तार कर लिये गये हैं या अभी कुछ फरार हैं, और कितने गिरफ्तार हुए हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१७ अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है और वे गिरफ्तार हो गये हैं।

श्री झारखंडेराय—प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार ये जो लोग मारे गये उनके मारने का कारण दुश्मनी थी या लूटमार करना था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनकी बहुत पुरानी रंजिश थी। मुकदमें चल रहे थे और मुकदमे से ही वे वापस आ रहे थे, लिहाजा मारना ही उनकी मंशा थी।

चकबन्दी के अन्तर्गत नये जिले

*१७—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने चकबन्दी का कार्य समाप्त करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनका ध्यान अखबारों में प्रकाशित माननीय मुख्य मंत्री जी के उस वक्तव्य की तरफ गया था या सरकार द्वारा प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर गया था जिसमें यह बात कही गयी थी कि चकबन्दी जिन जिलों में लागू नहीं हुई उनमें अब लागू नहीं की जायगी और जहां पर लागू है वहीं तक समाप्त करके छोड़ दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बात यह थी कि जिस वक्त यह सवाल आया कि नये जिलों को लिया जाय तो उन नये जिलों को लेने के वक्त हमारी सरकार ने एक ऐडवाइजरी कमेटी नियुक्त की थी कि वह इस प्रश्न पर विचार करे और रिपोर्ट दे और उसकी रिपोर्ट के अनुसार यह तय हुआ कि नये जिले भी लिये जायंगे और चकबन्दी चलती रहेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—उस कमेटी ने क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया था कि सरकार सीलिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग का बिल ला रही है इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए अब भविष्य में जो जिले लिये जा रहे हैं उनमें चकबन्दी योजना में परिवर्तन किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें यह हुआ था कि आयन्दा चकबन्दी हो तो सीलिंग के मसले को भी मद्देनजर रखते हुए चकबन्दी की जाय।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि कौन कौन से जिले चकबन्दी के लिये लिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—९ जिले हैं। हमारे पास इस समय सूची नहीं है।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोंडा जिले को चकबन्दी में लिया गया है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोंडा को हम कैसे छोड़ते क्योंकि वह पड़ोस का जिला है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस एडवायजरी कमेटी ने चकबन्दी बन्द करने की राय दी थी, उसने भ्रष्टाचार मुख्य कारण बताया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री जी ने प्रदेशीय सरकार की भर्तस्ना की थी, कि चकबन्दी क्यों बन्द कर दी गई है, तब चालू हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई मुझे इत्तला नहीं।

सूचना विभाग द्वारा हिन्दी समिति की पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय

*१८—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक साहित्य समिति, यू० पी० तथा हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों का प्रकाशन भी सूचना विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो १-४-५८ से १५-३-५९ तक उक्त समितियों की कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, १ अप्रैल, १९५८ से १५ मार्च, १९५९ तक लोक साहित्य समिति की कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। हिन्दी समिति की १२ पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

*१९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार उस अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर कितना व्यय प्रति पुस्तक के एक संस्करण पर हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में लोक साहित्य समिति का कोई प्रकाशन न होने के कारण व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी समिति की प्रत्येक पुस्तक के प्रथम संस्करण पर कागज के व्यय को छोड़कर अब तक जो व्यय हुआ, वह संलग्न तालिका में अंकित है। अलग-अलग पुस्तक में लगे कागज के व्यय की निरीक्षा अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, से कराई जा रही है।

(देखये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४६ पर)

बस्ती जिले में बकाया मालगुजारी की वसूली

*२०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक बस्ती जिले में कितना रुपया Arrears of Land Revenue वसूल किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—७, ९४, १४९, १७ रुपया वसूल किया गया।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या मंत्री जी तहसीलवार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसीलवार सूचना हमारे पास इस समय नहीं है।

देवरिया जिले में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*२१—श्री उग्रसेन—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जन पद में १-३-५९ से १-५-५९ तक किन-किन गांवों में आग लगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४७-५४९ पर)

*२२—श्री उग्रसेन—उससे कितनी क्षति हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उससे लगभग १०,४८,४७० रुपये मूल्य की सम्पत्ति क्षति हुई। ८ व्यक्ति तथा ४९ जानवर जलकर मर गये।

*२३—श्री उग्रसेन—सरकार की ओर से कितनी सहायता दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार की ओर से ८,९१० रुपये की अहेतुक सहायता तथा १९,२७० रुपये तकावी के रूप में वितरित किये गये।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ८,९१० रुपये की अहेतक सहायता दी गई है वह किन किन गांवों में दी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—गांवों की सूची इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष— —आप सूचना मांग लिया करें तो अच्छा होगा।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब २०० से ज्यादा गांवों में आग लगी है और १०,४८,४७० रुपये की संपत्ति की क्षति हुई है तो केवल ८,९१० रुपये की ही अहेतुक सहायता क्यों दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा कि मैंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पूरी हानि कोई पूरी नहीं कर सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार जब हानि पूरी करती है तो कितने प्रतिशत करती है और कितने प्रतिशत सहायता करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो मदद हो सकती है दी जाती है, घर वगैरह बनाने की ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—दस लाख से ज्यादा की क्षति हुई तो कौन से गांव में ज्यादा क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक लम्बी फेहरिस्त है, ढूंढ़ने में वक्त लगेगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हानि हुई कितना रुपया डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड से और कितना प्राविंशियल रिलीफ फंड से दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि जो गांव जले उनमें अधिकांश ऐसे गरीबों के घर जले हैं जो अपने घर स्वतः नहीं बनवा सकते और उनको सहायता की आवश्यकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी तफसीली जानकारी नहीं है ।

अल्मोड़ा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*२४—**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा से वर्ष १९५८ तथा वर्ष १९५९ में अब तक कितने और किन-किन राजनीतिक पीड़ितों की अर्जियां पेन्शन चाहने हेतु अथवा बढ़ाने हेतु सरकार को प्राप्त हुई हैं और उनमें अब तक कितनी स्वीकृति हो चुकी है और किस रूप में ?

*२५—उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में से कितने विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

*२६—उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने अस्वीकृत किये गये और किन-किन कारणों से ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्नों में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुए लाभप्रद न होगा । सदस्य महोदय यदि किसी विशेष प्रार्थी को पेंशन आदि दिये जाने के संबंध में जानना चाहते हों, तो कार्यालय में आकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नों का उत्तर तो नहीं हुआ । इसमें जो उत्तर दिया गया है इसमें तो एक प्रकार से सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

श्री अध्यक्ष—इस तरह का उत्तर वह दे सकते हैं । इसलिये उन्होंने दिया है ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—इसमें उत्तर यह दिया गया है कि सूचना के संकलन में जितना श्रम और समय लगेगा, वह लाभप्रद नहीं होगा उसकी उपयोगिता को देखते हुए और मुझे सलाह दी है .....

श्री अध्यक्ष—आप तो बहस कर रहे हैं । प्रश्न पूछिये ।

श्री हरिदत कांडपाल—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन जाता ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इस तरह का जवाब वह दे सकते हैं ।

अतिरिक्त सूचना केन्द्रों के स्थान

*२७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० ई० के वित्तीय वर्ष में ६ अतिरिक्त सूचना केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—६ अतिरिक्त सूचना केन्द्रों में से ५ के स्थान निर्धारित किये जा चुके हैं, जिनकी सूची संलग्न है। ६वें सूचना केन्द्र के स्थान निर्धारण का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५० पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी जिला सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में इस प्रकार का सूचना केन्द्र खोलने का विचार स्थगित कर चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी। अगर पहले विशेष स्थान बतला देते तो मैं उत्तर से तैयार रहता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री महोदय जनता की मांग को देखते हुए अब उक्त स्थान पर सूचना केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक स्थान के बारे में विचार करना है। यह भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया जायगा जिस पर विचार होगा।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेन्शन तथा सहायता

*२८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशनें और इकट्ठी धनराशि का अनुदान देने के लिये सरकार द्वारा कितने रुपये की व्यवस्था की गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल १५,७४,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वित्तीय वर्ष में निर्धारित सारी धनराशि वितरित हो चुकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। व्यय उससे भी ज्यादा हो चुका है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन पेंशनों में और कितना धन एक मुश्त सहायतार्थ बांटा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुए कि अब पोलिटिकल सफरर विभाग जो पहले काम करता था वह तोड़ दिया गया है और वह काम पुलिस (बी) को दे दिया गया है और बहुत से केसेज बाकी रह गये हैं जिनमें काफी अड़चनें पड़ रही हैं, क्या माननीय मंत्री जी उस विभाग को कुछ दिनों तक और स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा विचार तो नहीं है। कोशिश यह की जा रही है कि जितने आवेदन-पत्र आ रहे हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह १५,७४,००० रुपये में सब से ज्यादा धनराशि किस व्यक्ति को दी गई और कितनी दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

सौरिख थाने की पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*२९—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सौरिख, जिला फर्रुखाबाद, की पुलिस के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र उस क्षेत्र के ग्राम सभापतियों का तारीख ३-१-५९ का मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति कार्यालय में नहीं पाई जाती।

न्याय मंत्री के पूर्तिनिधि से रोगियों को जिलेवार सहायता

*३०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के पूर्तिनिधि (चेयरटी फंड) से वित्तीय वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ ई० के प्रति वर्ष में जिलेवार रोगियों की संख्या क्या है जिन्हें उक्त फंड से सहायता दी गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उत्तर प्रदेश न्याय मंत्री के पूर्तिनिधि (चेयरटी फंड) से वित्तीय वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८, और १९५८-५९ ई० में रोगियों को सहायतार्थ दिये गये अनुदानों की जिलेवार संख्यायें संलग्न तालिका में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५१-५५२ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अनुदान दिये गए हैं यह केवल क्षय के रोगियों को दिये गए हैं या अन्य रोगियों को भी दिये गए हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षय रोगियों के लिए पूछा गया था। शायद उन्हीं का है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ७-८-५९ के प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के अनुसार क्षय रोगियों को जो अनुदान दिये गए हैं वह संख्या आज जो संख्या दी गई है उससे भिन्न है ५७-५८ की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब वह हमारे सामने तो हैं नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी क्षय रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बजाय उनको धन देने के भुवाली सेनेटोरियम में कुछ और स्थान उनके लिए बढ़ा दिया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बेड बढ़ाने का थर्ड प्लान में विचार हो रहा है। लेकिन जब तक न हो तब तक कुछ पैसा देकर उनकी मदद हम कर देते हैं और जहां तक जगह हो जाती है उनको एडमिट भी कर लेते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ७-८-५९ को जो उत्तर दिया गया था उसके अनुसार और आज के उत्तर के अनुसार ३४ जिलों की संख्या में बड़ी भिन्नता है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने अभी-अभी जवाब दिया कि उनके सामने वह प्रश्न नहीं है, तो वह कैसे बता सकते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं उन जिलों के नाम पढ़ दूं . : :

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप फिर से उस प्रश्न को भेज दीजिये कि उसके पहले उत्तर में और इसमें क्या फर्क है?

नार्मल स्कूल खोलने तथा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क करने के सम्बन्ध में जानकारी

*३१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार को प्रदेश में नये नार्मल स्कूल खोलने के लिये केन्द्र से कोई धनराशि मिली है या मिलने वाली है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा है।

*३२—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस धनराशि से सरकार इस वित्तीय वर्ष में कितने नार्मल स्कूल खोलेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अभी निश्चित रूप से बतलाना संभव नहीं है।

*३३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार ने प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने के लिये कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार एक ऐसी योजना बनायी गयी है। इस योजना में ६ से ११ वर्ष तक के प्रदेश के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा लागू करने के लिये प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पत्र-व्यवहार कब से हो रहा है और निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—पत्र-व्यवहार कई महीनों से हो रहा है। पिछले सप्ताह जब मैं दिल्ली गया था तब उन्होंने कहा था कि इसकी स्वीकृति जल्दी ही मिल जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रस्तावित प्राविधान क्या है ? क्या सरकार उसकी रूप-रेखा बताने की कृपा करेगी और जनता के लाभार्थ उसे प्रकाशित करने की कृपा करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—वैसे तो भारत सरकार ने हमारे प्राविधान को स्वीकार नहीं किया है लेकिन जैसा कि उनका निर्देश था उन्होंने हमसे सम्भावित व्यय के आंकड़े मांगे थे। हमने जो व्यय के आंकड़े बनाये हैं उसके अनुसार सन् १९६० से १९६५ तक यदि हम ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करें तो ८१ करोड़ रुपये के व्यय होने की सम्भावना है और इसके लिए हमने भारत सरकार को लिखा है। लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया था। पिछले सप्ताह यह जवाब आया है कि जब तृतीय योजना के आंकड़े इकट्ठा किये जायंगे और व्यय का तखमीना बनाया जायगा तब इस पर विचार किया जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि नार्मल स्कूल प्रान्त में ग्रामीण क्षेत्र में खोले जायं और शहरों में न खोले जायं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस पर तो भारत सरकार के निर्णय के बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने योजना बताई है वह कब बन कर तैयार हो गई थी ?

श्री दीनदयालु—कुछ दिन पहले हुई थी।

राजा बाजार, लखनऊ के प्रतिनिधि मंडल की मुख्य मंत्री से मुलाकात

*३४—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि राजा-बाजार, लखनऊ, के निवासियों का कोई प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री से होली के दंगे के सम्बन्ध में अप्रैल, १९५९ में मिला था ? अगर हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। राजाबाजार के निवासियों का एक प्रतिनिधि-मंडल उक्त दंगे के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से १ अप्रैल, १९५९ को मिला था। उनकी निम्नांकित मांगें थीं—

(१) शहर में गुंडागर्दी को दबाया जाय।
(२) उक्त दंगे से संबंधित चलाये गये मुकदमे वापस ले लिये जायं।
(३) उक्त दंगे के सम्बन्ध में जिनके हथियार छीने गये थे वे उनको लौटा दिये जायं।

गुंडा गर्दी दबाने के लिये स्थानीय पुलिस सतर्क है और सरकार द्वारा किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। शेष मांगों पर सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आने पर ही विचार हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि एक मांग यह थी कि इन दंगों के कारणों की जांच हो? यदि हां, तो सरकार ने कोई जांच की और यदि की तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने मांग के संबंध में यह स्वीकार नहीं किया जैसा कि उधर से कहा जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या उनकी यह मांग भी थी कि जिन लोगों ने आक्रमण किया उनको छोड़ दिया और जिन पर आक्रमण किया गया वे पकड़ लिये गये और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, इसकी जांच की जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आक्रमण करने वाले छोड़ दिये जायं और जिन पर आक्रमण हुआ हो उनको पकड़ लिया जाय। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी और जिस पर जुर्म साबित होगा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या इस दंगे की जांच नहीं हुई है? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं समझ नहीं सका कि किस विषय की जांच हो।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलायेगी कि कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव—मुकदमा रजिस्टर हो गया है लेकिन चार्ज शीट भेजी नहीं गई है क्योंकि एक व्यक्ति ने एक मुकदमा अपनी तरफ से दायर कर दिया है जिसकी वजह से मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी रुक गई है। जब तक इन्क्वायरी समाप्त न हो जाय तब तक उन मुकदमों की चार्ज शीट नहीं भेजी जा सकती।

गोरखपुर जिले में थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*३५—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कुल कितने ऐसे थानेदार हैं जिनके विरुद्ध जिला अधिकारियों के पास जनता की शिकायतें सन् १९५८-५९ में प्राप्त हुईं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे कुल २१ सब-इन्सपेक्टर हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की जांच की गई जिसके फलस्वरूप १ सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध धारा १६१ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित कर विवेचना की जा रही है, ५ सब-इन्सपेक्टर को भ्रष्टात्मक उल्लेख एवं २ को भविष्य के लिये सचेत कर उनकी पर्सनल फाइल में तत्संबंधी नोट अंकित किया गया है। बाकी सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो सके।

*३६—श्री अमरनाथ—क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त शिकायतें किस किस्म की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उपरोक्त शिकायतों में रिश्वत लेने, धमका कर पैसा लेने तथा परेशान करने सम्बन्धी आरोप थे।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उनके नाम क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो शिकायतें सब-इन्सपेक्टरों के खिलाफ थीं उनकी जांच कम्पलेन्ट अफसर से कराई थी या किसी और वरिष्ठ अधिकारी से ?

श्री रामस्वरूप यादव—कम्पलेन्ट अफसर से।

श्री अमरनाथ—क्या इस थानेदार को मुअत्तल कर दिया है और उस स्थान से हटा भी दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इनमें से एक सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध मुकदमा १६० का चलाया जा रहा है। ठीक सूचना इस समय नहीं है। जब मुकदमा चलाया जा रहा है तो वे जरूर मुअत्तल कर दिये होंगे।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन शिकायतों में लूटने और मारने की भी शिकायत थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो निवेदन कर दिया कि रिश्वत लेने, धमकी देकर पैसा लेने तथा परेशान करने सम्बन्धी आरोप थे। उसमें मारना भी हो सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस गोरखपुर जिले में २१ थानेदार ऐसे हैं वहां कुल थानेदारों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

नवीन नार्मल स्कूल खोलने की योजना

*३७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जो नये ४० नार्मल स्कूल सरकार खोलने जा रही है वे कहां-कहां पर होंगे ? वे कब तक खुल जायेंगे तथा उनके खुलने का क्या आधार रक्खा गया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रदेश में नये नार्मल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—प्रान्तीय सरकार ने ४० स्कूलों को खोलने की स्कीम भेज रखी है ? यदि हां, तो यह किन-किन जिलों में खुलेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भारत सरकार ने ४० स्कूल खोलने के लिये हमको आफर दिया है। हमने अब तक इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि हम यह समझते हैं कि अगर भारत सरकार इसका खर्च दे तो इस पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जैसा अभी एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनके फाइनेंशियल इम्पलीकेशन्स क्या होंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हमारे तखमीने के अनुसार इस साल ३०,१४,००० रुपया खर्च होगा और अगले साल १,८५,७२,००० रुपया खर्च होगा। कुल २ करोड़ १५ लाख रुपया खर्च करने की जरूरत है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह जो रुपया मंत्री जी ने बतलाया यह सरकार स्वयं खर्च करने की क्षमता रखती है अथवा केन्द्रीय सरकार से कंट्रीब्यूट कराने की आशा रखती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह सारा व्यय हमने भारत सरकार से मांगा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि अधिक संख्या में नार्मल स्कूल खोले जायं ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके, जब तक भारत सरकार से इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती उस समय तक के लिये कोई प्रबन्ध सरकार ने किया है कि इनकी तादाद बढ़ा दी जाय ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हम धनाभाव से ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं ।

श्री झारखंडेराय—इन ४० स्कूलों में कुल ट्रेनिंग पाने वाले कितने होंगे क्या इसका भी विचार किया गया है ? उनकी कुल संख्या कितनी होगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने तो यह कहा कि भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि ४० स्कूल खोले जायं। अभी इस बारे में कुछ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिये कुछ कह सकना सम्भव नहीं है।

राज्य में नवीन स्कूल खोलने की योजना

*३८—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९-६० में प्रदेश में कितने नये—(अ) अपर प्राइमरी स्कूल (ब) जूनियर हाई स्कूल, (स) हाई स्कूल सरकार ने खोलने की योजना बनाई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सन् १९५९-६० में १,४२५ प्राथमिक स्कूल, १० बालिकाओं के राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने तथा बालिकाओं के दो राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का हायर सेकेन्डरी स्कूलों में उच्चीकरण करने की योजना है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कुल कितनी धनराशि प्रान्तीय सरकार और कितनी केन्द्रीय सरकार के कोष से खर्च होगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जितने जूनियर हाई स्कूल खुले हैं उनमें से कितने देहातों में हैं और कितने शहरों में ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ये जूनियर हाई स्कूल कन्याओं के हैं। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जिला वाइज हुआ है अथवा आबादी के आधार पर या पिछड़ेपन के आधार पर ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—आवश्यकतानुसार हुआ है ।

श्री प्रतापसिंह—माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि देहातों में स्कूलों का प्रतिशत आवश्यकता से कम है, भविष्य में जब यह योजना कार्यान्वित की जायगी, देहातों का विशेष ध्यान रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--संभवतः माननीय सदस्य देखेंगे कि १,४२५ नये प्राथमिक स्कूल ज्यादातर देहातों में ही खोले गये हैं ।

उन्नाव तथा लखनऊ जिलों की हदबन्दी में परिवर्तन पर विचार

*३९--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के कुछ ग्राम लखनऊ जिले में मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो वे ग्राम कौन से हैं और किस-किस तहसील के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है । उन ग्रामों के नाम व तहसील सूची (नं० १) में दी गई है जो माननीय सदस्य के मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५३-५५४ पर)

*४०--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उन्नाव जिले में लखनऊ जिले के कौन-कौन से ग्राम मिलाने का इरादा कर रही है और वे किस-किस तहसील के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उन्नाव जिले में लखनऊ जिले के जिन ग्रामों को मिलाने का विचार है तथा वे जिन तहसील के हैं उनकी सूची (नं० २) माननीय सदस्य के मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५३-५५४ पर)

श्री सजीवनलाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों को हटाने की योजना कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५० में श्री रामपाल त्रिवेदी जो इस सदन के मेम्बर हैं, उन्होंन यह सवाल उठाया था । उस वक्त से है ।

श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये गांव क्यों हटाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सुझाव यह था कि उन्नाव और लखनऊ के दरमियान में सई नदी की बाउंडरी कायम कर दी जाय । इसलिये इधर के गांव इधर और उधर के गांव उधर चले जायं, यह हो रहा है ।

श्री सजीवनलाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गांव वालों से कुछ रजामंदी ली गई है इस मामले में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटीफिकेशन जारी हुआ है और एतराजात इनवाइट किये गये, लेकिन किसी ने आज तक एतराज नहीं किया ?

लोहरगढ़ी के किसानों को रामगंगा की जलमग्न भूमि तथा गुलडिया के भूमिहीनों को परती भूमि न मिलने की शिकायत

*४१--**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लोहरगढ़ी, परगना खेड़ा-बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर, में रामगंगा नदी ने भूमि सन् १९५६-५७ में काट दी और फिर दोबारा उस भूमि को छोड़ दिया और इसी भूमि से नायब तहसीलदार तिलहर ने पुराने काश्तकारों को जो उस भूमि पर मौरूसी काश्तकार थे उनका नाम खारिज करके ग्राम समाज के नाम उपरोक्त भूमि को आदेश करके इन्दराज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, स्थिति इस प्रकार है। राम गंगा नदी ने सन् १९५६–५७ (१३६४ फ०) में लोहरगढ़ी की २८.१४ एकड़ जमीन काटी। १३६५ तथा १३६६ फसली में इस जलमग्न भूमि में से केवल १८.६७ एकड़ जमीन पुनः नदी के बाहर आ गई। इसमें से ८.३२ एकड़ भूमि जो पुराने काश्तकारों की थी वह उन्हें दे दी गई और शेष १०·३५ एकड़ जो जलमग्न होने से पहले गांव समाज की थी, गांव समाज को दे दी गई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४२—श्री रूर्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गुलडिया, परगना तिलहर, जिला शाहजहांपुर, की परती भूमि पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया था उनको बेदखल कर दिया गया? यदि हां, तो सरकार ग्राम गुलडिया के भूमिहीनों की भूमि देने की कृपा करेगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ग्राम गुलडिया की १४·२४ एकड़ गांव समाज की परती भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये थे उनके खिलाफ जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५–डी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप ७ एकड़ भूमि बेदखली के बाद गांव समाज को प्राप्त हो चुकी है और शेष के बारे में अभी मुकदमें चल रहे हैं।

बेदखली से प्राप्त हुई भूमि को भूमिहीनों को देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह गांव समाज मैनुअल के पैरा ५८ के अनुसार गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित है।

श्री रूर्मासिह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो यह ८.३२ एकड़ जमीन पुराने काश्तकारों को दी गई है वह किस नियम के मातहत दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नियम तो नियमावली में पढ़ लीजिये। उनका हक समझा गया तो दी गई।

श्री रूर्मासिह—यही तो जानना चाहता हूं कि क्या हक उनको था?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—वह पहले से उसके काश्तकार चले आ रहे थे।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे जिन काश्तकारों को यह जमीन दी गई वह कितने वर्ष पहले से उनके नाम, उनके खाते में चली आ रही थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो जमीन गांव समाज को दी गई है उसका लगान काश्तकारों से काटे जाने पर भी सरकार लेती रही?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रूर्मासिह—क्या सरकार को पता है कि अब भी पुराने काश्तकारों को जमीन नहीं दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं पता है।

श्री रूर्मासिह—क्या मन्त्री जी उन पुराने काश्तकारों को जमीन दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कबूल ही नहीं किया है।

गोरखपुर जिले में मालगुजारी में छूट

*४३—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने गांवों की फसल गतवर्ष १९५८ के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई और उन गांवों के किसानों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो २,४३,७२४ रुपये की छूट मालगुजारी में दी गई है वह कहीं-कहीं वसूल कर ली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना मुझे नहीं है ।

पतयोरा ग्राम से आग्नेय अस्त्र के लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र

*४४—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पतयोरा, थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, से कितने आवेदन-पत्र सन् १९५९ में अब तक फायर आर्म्स के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित जिलाधीश को दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक ।

श्री शिवराजबहादुर —क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन से आर्म्स के आवेदन-पत्र हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक आवेदन-पत्र श्री इसरार आलम खां का था ।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आवेदन-पत्र कौन से महीने में दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—महीना बताने के लिये तो सूचना की आवश्यकता है, लेकिन उनका लाइसेन्स तो मंजूर हो गया है ।

*४५—श्री शिवराज बहादुर—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २८ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

छिबरामऊ जनाना अस्पताल के लिये भूमि प्राप्त करना

*४६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में स्वीकृत जनाना अस्पताल कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद, में जनाना अस्पताल के भवन निर्माण के लिये भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा । अतएव निश्चय पूर्वक यह नहीं कह जा सकता कि अस्पताल कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ का जनाना अस्पताल कब स्वीकृत हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अस्पताल की इमारत का बनना सन् १९५७ में मंजूर हुआ था ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि तब से अब तक भूमि के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लैंड एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं ।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ में कोई मरदाना अस्पताल भी है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त हमारे पास फेहरिस्त नहीं है, लेकिन शायद हो ।

पुलिस विभाग में परिगणित जातियों का अपूर्ण संरक्षण

*४७—**श्री गरीब दास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में सरकारी नीति के अनुसार परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत स्थान प्राप्त हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितना प्रतिशत शेष है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं । गजेटेड श्रेणी में ५·१५ प्रतिशत तथा नान गजेटेड श्रेणी में १३·७४ प्रतिशत स्थान शेष हैं ।

श्री गरीबदास—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह संरक्षण कब से दिये गये हैं और कब तक निश्चित रूप से पूर्ण हो जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—संरक्षण तो सन् १९५२ से दिये गये हैं, कब तक पूरे हो जायेंगे यह बताना सम्भव नहीं है ।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस संरक्षण की पूर्ति करने के लिये अधिकारियों को कोई आदेश जारी करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कोशिश तो यही की जाती है कि जितने सुरक्षित स्थान हैं उनकी पूर्ति कर दी जाय, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ विशेष योग्यतायें और शारीरिक कुशलताओं की पूर्ति होना अनिवार्य होता है और जब तक उनकी पूर्ति न हो जाय किसी को लेना सम्भव नहीं होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो तीन सालों में इनके प्रतिशत भर्ती में कुछ वृद्धि हुई है और बराबर वृद्धि होते जाने की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, १९५६ से कुछ वृद्धि हुई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रतिशत उनका पूरा हो, इसके लिये पुलिस फोर्स में सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि अगर उनकी लम्बाई कुछ थोड़ी कम भी हो तब भी उनको प्रिफरेन्स दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे खयाल में ऐसे आदेश नहीं दिये गये हैं लेकिन ठीक बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*४८–४९—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित होने के कारण ३ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २१–२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम दहगवां जिला बदायूं के भट्ठे

*५०--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में जो सरकार ने कहा है कि भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्लाट नं० २२९६, २२९८, २२९९ और २३०० पर भट्ठा लगाने की अनुमति दी गयी थी, यह सूचना प्राप्त करने का क्या आधार है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जमींदार के बयान और तहसीलदार की तजवीज भी देखी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह सूचना सरकार को जिले के अधिकारियों से प्राप्त हुई थी और सरकार ने वह उत्तर भूतपूर्व जमींदार के बयान और तहसीलदार की रिपोर्ट देखने के बाद ही दिया था।

*५१--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ४ सितम्बर, १९५९ के लिए स्थगित किया गया।]

*५२-५३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ४ सितम्बर, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

छपरावत निवासिनी, श्रीमती शकुंतला का कथित अपमान

*५४--श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रीमती शकुन्तला, पत्नी रकमसिंह, निवासी छपरावत, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, को ११ जुलाई, सन् १९५९ को गुलावठी थाने की पुलिस श्रीमती राजो समझ कर थाने लायी और अपमानित किया ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाया ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--पुलिस ने श्रीमती शकुन्तला को श्रीमती राजो समझा और जिस बस में वह बैठी थीं उसको थाना गुलावठी तक लाया गया परन्तु उनको अपमानित नहीं किया गया। इसलिए दोष न होने के कारण पुलिस कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*५५--श्री मोतीलाल अवस्थी--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ४ सितम्बर, १९५९ के लिए स्थगित किया गया।]

*५६--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ४ सितम्बर, १९५९ के लिए स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*५७--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९५९ तक हरदोई जिले में कितनी डकैतियां, कत्ल, burglaries तथा thefts हुयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में जिला हरदोई में १९ डकैतियां, १९ कत्ल, १४१ नकबजनी (burglaries) तथा २३६ चोरियां (thefts) हुयीं।

लच्छीपुरा, अटवा व चैनपुर हल्कों के लेखपालों को दण्ड

*५८--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १३६५ फसली में लेखपाल हल्का चैनपुर, टेड़ा अटवा और लच्छीपुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की पड़ताल, नायब तहसीलदार, तहसील पुरवा ने की ? यदि हां, तो प्रत्येक हल्के में भू-लेखों में कितने प्रतिशत गल्तियां मिलीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, परताल की। प्रतिशत अशुद्धियों की सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५२६ पर)।

*५९--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त हल्कों के लेखपालों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लच्छीपुर और अटवा के लेखपालों को १ मास की नोटिस देकर हटाया जा चुका है और चैनपुर का लेखपाल, जो एक स्थानापन्न लेखपाल था, अपने पद से पृथक हो चुका है। अतः इनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही का अब प्रश्न नहीं उठता। टेढ़ा के लेखपाल को चेतावनी दी गयी और उसकी चरित्रपंजी में इस आशय की एक प्रविष्टि भी की गयी।

तराई भावर में सरकारी दूकानों की मरम्मत न होना

*६०--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तराई व भावर में जो दूकानें सरकार द्वारा बनवायी गयी हैं उनकी मरम्मत कई वर्षों से न कराने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त दूकानों की मरम्मत कुछ गलतफहमी के कारण नहीं हो सकी। किरायेदारों ने भी मरम्मत करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र अधिकारियों को नहीं दिया। अभी हाल में राजस्व परिषद् ने जिलाधीश, नैनीताल, को यह आदेश दे दिया है कि वह उन दूकानों की मरम्मत के हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है।

रायबरेली जिले में कृषि आय-कर के बकायादार

*६१--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर कृषि-कर बाकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला रायबरेली में तीन व्यक्तियों पर कृषि आय-कर बाकी है।

*६२--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि-कर आज तक क्यों नहीं वसूल हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दो बकायेदारों ने रिजीजन बोर्ड तक मुकदमे लड़े जो सन् १९५८ की द्वितीय छमाही में खारिज हो गये। एक ने तो अभी भी हाई कोर्ट के आदेश द्वारा वसूली की कार्यवाही को स्थगित करा रखा है। दूसरे से अधिकांश रुपया वसूल हो चुका है और बाकी के शीघ्र ही वसूल हो जाने की आशा है।

तीसरे बकायेदार की जायदाद सुल्तानपुर जिले में थी और जिलाधीश सुल्तानपुर द्वारा वसूली की कार्यवाही होती रही। जब किसी प्रकार वसूली न हो सकी तो अचल सम्पत्ति के नीलाम की कार्यवाही की गयी। नीलाम की कार्यवाही में हकीयत तथा धारा ३२ कृषि आय कर की उज्रदारियां की गयीं। अब इन उज्रदारियों के शीघ्र खत्म होने की आशा है।

गांगनी ग्राम समाज की बंजर भूमि सम्बन्धित आवेदन-पत्र

*६३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या न्याय मन्त्री के पास गांगनी, तहसील फीरोजाबाद, जिला आगरा के कुछ जाटवों के आवदन-पत्र गांगनी ग्राम समाज की बंजर भूमि

पर (अ) कुछ लोगों द्वारा गैरकानूनी कब्जा किये जाने, (ब) लगभग तीन साल से प्रार्थना किये जाने पर भी वह भूमि भूमिहीन परिगणित जाति के लोगों को न दिये जाने, तथा (स) ग्राम समाज के २७ जुलाई, १९५८ के प्रस्ताव पर जिलाधीश आगरा के १५ अक्तूबर, १९५८ के आदेश के वापस लिये जाने के सम्बन्ध में १९५९ में आये हैं? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकार को प्राप्त तीनों आवेदन-पत्र श्री दौलतराम नीम के हैं। उन पर जांच कराने से ज्ञात हुआ है कि---

(अ) अनाधिकार अधिपत्यकारियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश नियम ११५ (सी) के अधीन मुकदमे दायर हैं।

(ब) पिछले चार वर्षों में किसी ठाकुर को भूमि नहीं दी गयी है।

अलबत्ता, श्री सरनाम पुत्र श्री किशनी नामक एक जाटव को भूमि अवश्य दी गयी है।

(स) १५ अक्तूबर, १९५८, का जिलाधीश का आदेश ठीक है क्योंकि गांव समाज मैनुअल के पैरा ५८ में भूमि प्रबन्धक समिति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह आवश्यक समझे तो १० प्रति सैकड़े से अधिक भूमि भी योजना के अनुसार उपयोग करने के लिए सुरक्षित रख सकती है।

अतः सरकार के किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार इन तीनों प्रार्थना-पत्रों की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तीनों आवेदन-पत्रों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५५७--५५८ पर)

प्रतापगढ़ जिले में मलेरिया निरोधक योजना पर व्यय

*६५---**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)---क्या प्रतापगढ़ जिले में Anti-Malaria Scheme चालू की जा रही है? यदि हां, तो उस पर जून, १९५९ तक कितना व्यय हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, प्रतापगढ़ जिले में ऐन्टी-मलेरिया स्कीम इस वित्तीय वर्ष से चालू की गयी है। जून, १९५९ तक इस स्कीम पर कुल ४१७.५९ रुपये व्यय हुये हैं।

भूदान आन्दोलन में प्राप्त भूमि का वितरण

*६६---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आन्दोलन के सम्बन्ध में इस प्रदेश में कितनी एकड़ भूमि दानस्वरूप दी गयी तथा कितने परिवारों में उस भूमि का वितरण हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भूदान आन्दोलन के सम्बन्ध में इस प्रदेश में १० नवम्बर, १९५८ तक कुल २,९१,०५१.३० एकड़ भूमि दान में दी गयी। उसमें से ९७,०३३.५३ एकड़ भूमि का ३७,५९२ परिवारों में वितरण हुआ।

फर्रुखाबाद जिला अन्तरिम परिषद् को स्कूलों की मरम्मत के लिये अनुदान

*६७—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला अन्तरिम परिषद् को १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी धनराशि स्कूलों की इमारत की व्यवस्था के लिए प्रदान की गयी तथा उस रकम के व्यय का ब्यौरा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५६-५७ में १,१०,९०० रुपये और १९५७-५८ में २,१९,००० रुपये व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

जौनपुर जिले में तहसीली चपरासियों की भर्ती

*६८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की तहसीलों में चपरासी उम्मीदवारों की सूची किस प्रकार तैयार की जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिक्त स्थानों की सूचना समस्त तहसीलों तथा जिलाधीश के कार्यालय में नोटिस द्वारा प्रसारित की जाती है। आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् उम्मीदवार साक्षात्कार द्वारा जिलाधीश तथा कार्याधिकारी नजारत द्वारा चुन लिये जाते हैं और इस प्रकार सूची तैयार कर ली जाती है जिसकी प्रतिलिपि प्रत्येक तहसील में भेज दी जाती है।

महराजपुर निवासी रामलाल की स्त्री व बच्चों की हत्या

*६९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार को पता है कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत सन् १९५८ में थाना बिहार ग्राम महराजपुर में राजाराम वैश्य की स्त्री व दो बच्चों की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राजाराम की तो नहीं, किन्तु रामलाल नामक व्यक्ति की स्त्री व दो बच्चों की हत्या उक्त ग्राम में कर दी गयी। जांच के बाद अभियुक्तों का चालान किया गया और इस समय मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

*७०—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच के सिलसिले में अभियुक्तों के मकानों से तथा उन के पास हत्या सम्बन्धी व और गैरकानूनी कौन-कौन सामान बरामद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लगभग ४०० रुपये के बर्तन, कपड़े, गहने, एक कालीन, दो खून लगे कपड़े, तथा एक सोने का जन्तर तीन अभियुक्तों के मकान से बरामद हुये।

*७१—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हत्या का पता स्थानीय पुलिस को कब चला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जुलाई, १९५८ के आरम्भ में कुछ गुमनाम पत्र पुलिस को प्राप्त हुये थे, जिन में उक्त स्त्री व दो बच्चों के गुम हो जाने की शिकायत की गयी थी और सत्य-नारायण पर सन्देह व्यक्त किया गया था। आरम्भ में मामले का कुछ पता नहीं चला किन्तु बाद में जांच करने पर कुछ सूत्र हाथ लगे और उनके आधार पर २५ नवम्बर, १९५८ को सत्यनारायण तेली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

पाकिस्तान को खबर देने वाला लखनऊ में कथित वायरलेस स्टेशन

*७२--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार के गुप्तचर विभाग (खुफिया पुलिस) ने सन् १९५९ में लखनऊ की किसी घनी बस्ती में पाकिस्तान को खबरें भेजने वाला कोई वायरलेस स्टेशन खोज निकाला है? यदि हां, तो वह कहां पर है, तथा कब से कार्यरत है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति कर्नल जैदी की कथित नजरबन्दी

*७३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या यह सही है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति कर्नल जैदी को नजरबन्द किया गया है? यदि हां, तो क्या अपराध है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

न्यायाधीश श्री द्विवेदी द्वारा भर्त्सना करने पर बुलन्दशहर जिले के एक सब-इन्सपेक्टर पुलिस के विरुद्ध जांच

*७४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री द्विवेदी महोदय ने बुलन्दशहर जिले की एक अपील के सम्बन्ध में ८ जून, १९५९ को जो फैसला उस जिले के एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के बारे में तीव्र भर्त्सना करते हुए दिया है उसकी ओर गया है? अगर हां, तो सरकार ने उस सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने ८ जून, १९५९ नहीं बल्कि ४ जून, १९५९ के एक फैसले में, जो उन्होंने बुलन्दशहर जिले की एक अपील के सम्बन्ध में दिया, एक सब-इन्स्पेक्टर के कार्य की भर्त्सना की है। इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर ५०० के अन्तर्गत जांच की जा रही है। यदि उक्त सब-इन्स्पेक्टर का कोई दोष पाया जायेगा, तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

राज्य में विभिन्न जोतों के काश्तकार

१--श्री माताप्रसाद--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निम्न जोतों के हिसाब से काश्तकारों की संख्या कितनी है:--

(अ) ५,००० एकड़ या इससे अधिक।
(ब) ५,००० एकड़ से नीचे और १,००० एकड़ से ऊपर।
(स) १,००० एकड़ से नीचे और ५०० एकड़ से ऊपर।
(द) ५०० एकड़ से नीचे और १०० एकड़ से ऊपर।
(य) १०० एकड़ से नीचे और ५० एकड़ से ऊपर।
(फ) ३० एकड़ से नीचे और २० एकड़ से ऊपर।
(ह) २० एकड़ से नीचे और साढ़े १२ एकड़ से ऊपर।
(ज) साढ़े १२ एकड़ से नीचे की संख्या।

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न में जो सूचना मांगी गयी है वह राज्य की प्रत्येक तहसील से प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तुत की जा सकती है जिस में अधिक नहीं तो कम से कम दो माह अभी लग जायेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता और यथाशीघ्र जब भी बाद में वांछित सूचना सरकार को प्राप्त हो जावेगी, उत्तर दे दिया जायगा।

श्री चरणसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के बारे में श्री राजनारायण ने चौधरी चरणसिंह के विरुद्ध दिया है। क्या राजनारायण जी ने उनको नोटिस दे दिया है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जी हां, उनको मालूम है। उनके यहां हमने भेजा मगर वह मिले नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—जब मुझे निश्चित मालूम हो जायगा तभी मैं इसे लूंगा।

श्री राजनारायण—जब वह हमारे आदमी को नहीं मिले तो हमने उनसे फोन से पुछवाया और उन्होंने कहा कि हम आज हाउस में आ नहीं रहे हैं, किसी दूसरे कारण से कहीं जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—जब वह नहीं आ रहे हैं तो इसे कल लेने में क्या एतराज है ? आप पहले मुझे यह बतलावें कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे हो जाता है। फिर मैं उनसे पूछ लूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, चौधरी चरणसिंह जी आप से मिले थे, उन्होंने स्वतः आप को यह लिखा था कि वह मंत्रि-परिषद् के इस्तीफा देने के कारणों पर सदन में प्रकाश डालेंगे। आपने उनकी सम्मति से, जहां तक मेरी जानकारी है, और सदन अवगत है, २१ तारीख उनके बयान के लिए निश्चित कर दी थी। अब चौधरी साहब ने आपको यह लिख कर भेजा, जोकि कल अन्त समय पढ़कर सुनाया गया था, कि जनहित में वह अपना बयान नहीं देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी चरणसिंह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि वह अपने विभागों को अच्छी तरह से जानते थे जब मन्त्री थे और उन्होंने कुछ ऐसी कार्यवाहियां कीं जिनके लिए इस सदन में कम से कम सभी विरोधी दलों ने उनकी तारीफ की, जो उन्होंने सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में कुछ इन्क्वायरी करायी। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि चौधरी चरणसिंह जी ने जब इस्तीफा दिया तो उनको मन्त्रि-परिषद् से मतभेद हुआ। वह भी अखबारों में आया। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिन ९८ आदमियों ने हस्ताक्षर करके आपके सामने इस सरकार में अविश्वास प्रकट किया और सरकार पर कुन्बा-परस्ती, गुटबाजी और भ्रष्टाचार के दोषारोपण किये थे, उनमें भी चौधरी चरणसिंह का नाम था। तो अब यह प्रश्न उठता है कि चौधरी चरणसिंह अपने इस्तीफे के कारणों से क्यों न सदन को अवगत करावें जिसके लिए उन्होंने आपसे समय लिया, सदन का कार्यक्रम निश्चित हुआ और वह छपा और सारे प्रदेश की जनता की निगाह उस पर लगी हुई थी। न मालूम कहां-कहां के लोग आकर यहां पड़े हुए हैं और सबको आज बड़ी निराशा हुई !

श्री अध्यक्ष—आप यह बतावें कि विशेषाधिकार की अवहेलना कैसे हुई ?

श्री राजनारायण—विशेषाधिकार की अवहेलना इस प्रकार हुई कि हमारा खयाल है कि चौधरी चरणसिंह सत्य कारणों को सदन से जान बूझ कर छिपाना चाहते हैं और हमारी नियमावली का नियम ४५ है कि "प्रश्न एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे असरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन के कार्य के अन्य विषय से सम्बद्ध हो, जिस के लिए वह सदस्य उत्तरदायी है और ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथासम्भव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मन्त्री से पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयोग की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा, जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें।" अभी तक काफी चर्चा इस पर हो रही है कि क्या कोई सदन का सदस्य बाध्य किया जा सकता है और उसका कोई प्रिविलेज सदन में कोई बयान देने का बनता है या नहीं; अगर प्रिविलेज बनता

है, तो क्या उसकी वह अवहेलना कर सकता है। इस पर कल काफी विचार-विनिमय संसदीय परम्पराओं के ज्ञाताओं से भी हुआ। नियमावली को देखकर यह बात स्पष्ट हो गयी कि हम किसी सदस्य से उसके इस आचरण के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं और वह बाध्य किया जा सकता है जब कि उसके कारण सदन का कार्यक्रम बना . . .

श्री अध्यक्ष—आपने प्रश्न नहीं किये। प्रश्न करने वाले श्री रामस्वरूप वर्मा हैं। उन्होंने मेरे पास प्रश्न भेजे हैं।

श्री राजनारायण—मैं अपने समर्थन में उसे ला रहा हूं क्योंकि पहले हमारी नियमावली में यह नहीं था। अब इस नियम के मुताबिक हम किसी सदस्य को बाध्य कर सकते हैं कि चूंकि आपने सदन का समय लिया, चूंकि आपने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया कि आप वक्तव्य देना चाहते हैं, चूंकि आपने मंत्रि-परिषद् से मतभेद होने के कारण इस्तीफा दिया, इसलिए जब हम आप से प्रश्न पूछ सकते हैं तो हम आप से यह भी कह सकते हैं कि आपने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। इस प्रकार हमारा प्रश्न अवहेलना का प्रश्न बनता है कि इस सदन को माननीय चरण सिंह जी ने अपने इस्तीफे के कारणों से स्वयं अवगत कराने के लिए कहा, जिसकी घोषणा यहां हो चुकी थी, और क्या वह जान बूझकर उन कारणों को सदन से नहीं छिपाना चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि चौधरी चरणसिंह जी ने अपने कोलीग के विरुद्ध भ्रष्टाचारिता के आरोप लगाये हैं और अब लोग सशंकित हो गये हैं कि क्या चौधरी साहब को लालच तो नहीं दे दिया गया है कि फिर केबिनेट में ले लिये जावेंगे। हमने अविश्वास के प्रस्ताव के समय जो आरोप लगाये थे वे सभी बातें चौधरी चरणसिंह जी के बयान से समर्थित हो जाती हैं। आज सदन को उन तमाम सत्यों को न जानने देना सदन का अपमान है और इस प्रकार अवहेलना का प्रश्न होता है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, इस सिलसिले में जो बात माननीय नेता समाजवादी दल ने नहीं कही, लेकिन जो बात बिलकुल साफ है, मैं अर्ज किया चाहता हूं। भूतपूर्व मन्त्री, मेरठ जिले के एक माननीय सदस्य हैं। उन्होंने मान्यवर को सूचना दी कि वह एक वक्तव्य देंगे, जिसका वह इस सदन के नियमों के अनुसार अधिकार रखते हैं। मान्यवर ने स्वीकार भी कर लिया, उसके लिए दिन भी नियत हो गया। अब अगर वह वक्तव्य नहीं देना चाहते थे तो बजाय इसके कि बाहर ढिंढोरा पीटते कि अब वक्तव्य नहीं देंगे, उन्हें चाहिए था कि पहले मान्यवर के कार्यालय को या मान्यवर को लिखते कि अब वह वक्तव्य नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा न करके इस सदन के नियमों की, इस सदन की परम्परा की अवहेलना की, उल्लंघन किया कि आप के कार्यालय को सूचना न देकर पहले अखबार में बयान दे दिया जो, जहां तक मुझे मालूम है, इनवर्टेड कामाज में छपा। इस प्रकार जो बात उन्हें पहले सदन में या आप के कार्यालय को कहनी चाहिए थी उसको पब्लिकली बाहर कह दिया। जिन प्रश्नों की सूचना यहां दी जाती हैं यदि उनके बारे में कोई सूचना अखबारों में बिना इस सदन में कहे हुये दी जाती है तो इस हाउस का वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है। जो भाषण, प्रस्ताव या कार्य यहां करना चाहिए उसको अगर हम उसके पहिले बाहर अखबारों में दे दें तो वह इस सदन के नियमों का उल्लंघन हो जाता है और इस सदन के नियमों का उल्लंघन ही उसके विशेषाधिकारों की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—आप भी उनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव भेज रहे हैं?

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं नहीं भेज रहा हूं। समाजवादी दल के नेता ने जो प्रश्न भेजा है, उसी का मैं समर्थन कर रहा हूं। मेरे अर्ज करने की मंशा यह है कि मान्यवर को या मान्यवर के कार्यालय को उन्होंने इस बात की सूचना पहले न देकर अखबारों को पहले ही वह बयान दे दिया। इस प्रकार से अखबारों में बयान देकर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। इस सदन के नियमों का उल्लंघन ब्रीच आफ प्रिविलेज है। अतः समाजवादी दल के नेता जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसमें मैं इतना जोड़ देना चाहता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में जो फन्डामेंटल राइट्स दिये हुए हैं उनमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने या न करने का पूर्ण अधिकार है। पहले माननीय चरण सिंह जी ने कहा कि वह अपने विचारों से सदन को अवगत कराना चाहते हैं और बाद में कहा कि वह नहीं कराना चाहते हैं। अब उनको कैसे बाध्य किया जा सकता है कि वह अपनी बात को कहें ही? ऐसा करना उनके फन्डामेंटल अधिकारों का हनन होगा। हमारे जो रूल्स बने हुए हैं वे कांस्टीटयूशन के ऊपर कभी नहीं हो सकते। इसलिए उसके बारे में रूल्स को कोट करना एक गलत बात है।

त्रिलोकीसिंह जी ने एक बात कही कि उन्होंने अखबारों में दे दिया। बार-बार आपने श्रीमन्, यह रूलिंग दी है कि मैं अखबारों की बात को प्रमाणित नहीं मानता, जब तक कि सदन से पूछा न जाय। इसलिए उनकी वह बात भी आधारहीन है।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अगर श्री चरणसिंह जी इस बात को कबूल करते हैं कि उन्होंने यह खबर अखबारों को दी, तब तो वह बात एक फैक्ट हो जाती है; चाहे उससे नतीजा मैं कुछ भी निकालूं। मैं केवल अखबार पर भरोसा नहीं करता। अब यह उनसे पूछना पड़ेगा कि वह इस बात को कबूल करते हैं या नहीं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि चौधरी साहब ने आपसे मिल कर जो निश्चय किया और आपसे जो आज्ञा प्राप्त की, वह आज्ञा निश्चित ही इस सदन की सम्पत्ति हो गयी। ऐसी स्थिति में मेरा अपना खयाल यह है कि उस निश्चय को बदलना या वापस लेना, बिना पहले से आप की अनुमति लिये, अवैधानिक है और गलत है।

दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब ने जो बयान देने का निश्चय किया, वह भी इसी आधार पर किया कि उससे सार्वजनिक हित होगा। लेकिन अब वह समझते हैं कि उस बयान को न देने से ही सार्वजनिक हित होगा। इस विरोधाभास का स्पष्टीकरण इस हाउस में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह न कर के हाउस का अवमान किया है। इन दो बातों से मेरा अनुरोध है कि जो प्रस्ताव राजनारायण जी ने पेश किया है उसे आपको मान लेना चाहिए।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, वैधानिक प्रश्न ही मेरा है। श्रीमन्, गांवों में भी एक परम्परा होती है और जो गांवों में पंचायतें होती हैं उनमें भी जो कोई विचार होता है और एलान होता है उसे करना पड़ता है। हमने चौधरी चरण सिंह के भाषण को यहां भी सुना है और बाहर भी सुना है। लेकिन मुझे दुख है कि उस दिन जब मेजें थपथपायी गयी थीं तो मुझे खुशी नहीं हुई। खुशी तो तब होती है जब कोई पैदा होता है, लेकिन जब कोई जाता है तो खुशी नहीं मनायी जाती। तो पहले भी मैं ने कहा था और आज भी कहता हूं कि शिक्षा यदि लेनी है तो वह विरोधियों से मिलेगी। शिक्षा लेना चाहते हों तो वह तो दुश्मन से ही मिलती है, मित्र से नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष—यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी—वैधानिक प्रश्न ही है, श्रीमन्। लक्ष्मण भी शिक्षा लेने के लिए रावण के पास गये थे तथा पांडव भीष्म पितामह के पास गये थे।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चरण सिंह जी ने पत्रों में जो सूचना प्रकाशित करायी या उनके सम्बन्ध में जो पत्रों में सूचना प्रकाशित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई उसके सम्बन्ध में विचारणीय बात यह भी है कि आपको सदन के अध्यक्ष की हैसियत से यह सूचना देने के पहले कि अब वह जनहित में अपना बयान नहीं देना चाहते हैं, यदि पत्रों को सूचना भेज दी है तो वह और भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा करता है।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उचित है। इसलिए मैं श्रीमान् का ध्यान उस नियम की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है "ए कापी आफ स्टेटमेंट शैल बी फारवर्डेड टु दि स्पीकर", कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। श्रीमन्, अंग्रेजी में कहने की आज्ञा दें, तो मैं कहूंगा कि "यू आर दि सोल डिपोजिटरी आफ दिस हाउस"। आपके पास एक कागज आ गया और उन्होंने लिखित आपके पास दे दिया।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास उन्होंने लिख कर कुछ नहीं दिया है। मुझे इसकी सूचना दी थी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---उन्होंने आपके पास सूचना दी थी और इस हाउस में आपने उसकी घोषणा कर दी, तो वह चीज तो इस हाउस की सम्पत्ति हो गई। अब चौधरी चरण सिंह को इसके विपरीत बाहर कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है; और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इस सदन का अपमान हुआ और नियमों की अवहेलना हुई है। इसलिये, श्रीमन्, श्री राजनारायण जी ने जो यह प्रश्न उठाया है, इसको मैं उचित समझता हूं और इसके लिये आप हम लोगों को आज्ञा दें।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, श्री राजनारायण जी ने जो प्रश्न यहां उपस्थित किया है, उसके पक्ष में कोई भी कारण उन्होंने नहीं उपस्थित किया कि आया इस सदन का अपमान किस तरह से होता है। जहां तक मैं समझता हूं, कोई मंत्री इस्तीफा देने के बाद इस सदन को कोई स्टेटमेंट दे या न दे, यह अधिकार उस मंत्री को है। यह अधिकार सदन को नहीं है कि मंत्री यदि अपना इस्तीफा देगा तो वह सदन में अवश्य ही उसका कारण बताये कि क्यों उसने इस्तीफा दिया। यदि यह होता कि कारण उसमें बतलाना अवश्यम्भावी होता और तब वह उन कारणों को बतलाने के लिये स्टेटमेन्ट नहीं देता तो वह सदन का अपमान हो सकता था।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने एक सूचना दी कि वह कोई स्टेटमेन्ट देंगे, उसके बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि वह स्टेटमेन्ट नहीं देंगे। मेरा खयाल यह है कि हर एक सदस्य का यह अधिकार है कि वह कोई भी चीज जो सदन में कहना चाहता हो वह आगे चलकर अपना यह निश्चय कर सकता है कि वह उसको न कहे, वह चाहे स्टेटमेंट हो या मान लीजिये कोई प्रश्न की सूचना हम देते हैं सदन को लेकिन बाद में हमें यह अधिकार होता है कि हम उस प्रश्न को पूछें या न पूछें। तो मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने बाद में यह तय किया, चाहे उस निश्चय करने के कारण कुछ भी हों, यदि उन्होंने यह निश्चय किया कि वह ऐसे स्टेटमेंट को देना अब वांछनीय नहीं समझते तो मेरा खयाल है कि उन सदस्य को यह अधिकार है कि वह स्टेटमेंट न दें और सदन को कोई अधिकार नहीं है इस बात का या उनको कम्पेल करने का या जबरदस्ती करने का कि उनको अब स्टेटमेंट देना ही होगा।

अब तीसरा प्रश्न जो उठाया गया वह यह था कि उन्होंने सदन को सूचना दी और उसके बाद सदन में स्टेटमेंट नहीं दिया और इससे पहले ही अपने निश्चय को अखबारों में दे दिया। अव्वल तो मैं निवेदन करूंगा कि यह अखबार में उन्होंने कब सूचना दी और कब और कैसे वह प्रकाशित हुई; ये सब प्रश्न अभी संदिग्ध हैं क्योंकि केवल समाचार-पत्रों के आधार पर कोई भी प्रश्न सदन में नहीं उठाया जा सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जब तक कि तमाम फैक्ट्स सामने न हों तब तक इस तरह के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। अतः मेरा खयाल है कि यह तीनों प्रश्न जो इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं वे निराधार हैं और कोई प्रश्न सदन के अवमान का पैदा नहीं होता और माननीय राजनारायण जी का जो प्रस्ताव है वह तथ्यहीन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, जहां तक सदन के अवमान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मुझे यह स्वीकार करने में कठिनाई न होगी कि इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मत हों कि कौन कौन सी चीजें सदन के अवमान में आयेंगी यह आज तक तय नहीं हो पाया है। केवल आजतक विशेष प्रकार के जो कुछ कार्य हुये हैं उन्हीं पर कुछ जनरल सिद्धान्त आधारित किये गये हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन जहां तक कन्टेम्ट का प्रश्न है, उसके लिये अभी केवल इतना सिद्धान्त निश्चित हुआ है कि—

"This power is akin in nature and origin to the powers possessed by the courts of justice to punish for contempt."

इसका अर्थ यह है कि जहां तक सदन के अवमान का प्रश्न है, इस सदन की शक्ति प्रायः वैसी ही है जैसी कि प्रायः न्यायालयों के अवमान की होती है अर्थात् इसमें भी न्यायालयों के अवमान का सिद्धान्त ही लागू होता है, ऐसी धारणा है। अब जो जनरल सिद्धान्त इसमें दिया गया है वह यह है कि—

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

यह भी हिन्दी में मैं समझाये देता हूं कि साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी काम जिससे कि सदन के कार्य में बाधा पड़े या रुकावट पड़े या सदन के कार्य संचालन में रुकावट पड़े तो इस प्रकार की बाधा जिससे कि किसी सदस्य के काम में, सदन के काम में या किसी सदन के अधिकारी के काम में बाधा पड़े या यह सदन जो कर्त्तव्य पालन करना चाहता है उनके सम्बन्ध में रुकावट पड़े या जिसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति हो कि डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली इस प्रकार का उसका परिणाम हो, उसको अवमान कहते हैं। मेरा निवेदन इसमें यह था, श्रीमन्, कि मेरे मित्र राजनारायण जी ने और लखनऊ के सदस्य नेता विरोधी दल ने दो चीजों को पैदा किया। जहां तक राजनारायण जी का प्रश्न है, उनकी बात बहुत सीधी सी थी कि एक बार उन्होंने सूचना दी, उसका पालन नहीं किया बल्कि उसके विपरीत आचरण किया। इसलिये अवमान है। माननीय नेता विरोधी दल ने जिस चीज का जिक्र किया वह यह कि उन्होंने सूचना अखबार में छपवा दी बजाय इसके कि इस सदन में देते। श्रीमन्, यह मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस. . . .

श्री त्रिलोकीसिंह—सिक्सटीन्थ एडीशन में ५५ पेज पर चौथी लाइन पढ़िये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह पब्लिकेशन आफ डिबेट्स वाला चैप्टर है। यह जो आप बतला रहे हैं इसमें केवल इतनासा है :—

"Members of the House are enjoined to deliver out no copy or notes of anything that is brought into the House, or that is propounded or agitated in the House."

श्री त्रिलोकीसिंह—इसके ऊपर वाला भी पढ़िये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके ऊपर भी पढ़ देता हूं। इसमें है :—

"On July 13 and 22 it was ordered by the Commons that no Member shall either give a copy, or publish in print anything that he shall speak here, without leave of the House."

मैं, श्रीमन्, इतना जरूर कहूंगा कि सदन का न तो यह कर्त्तव्य है और न सदन के सामने इस प्रकार का किसी का कर्त्तव्य है कि कोई बयान का यहां दे। जहां तक इस बयान का

संबंध है, यह रूल्स आफ प्रोसीजर की जो धारा २७५ है इसको देखने से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । इसमें यह लिखा है कि :—

"A member who has resigned the office of Minister shall have the right, with the consent of the Speaker, to make a personal statement in explanation of his resignation."

"shall have a right", यानी उनको यह अधिकार है लेकिन "he is not duty bound"; ऐसी बात नहीं है कि यह उनका कर्त्तव्य हो कि ऐसा बयान दें। मेरी प्रार्थना यह है कि माननीय चरणसिंह कोई बयान देते या न देते, यह उनकी बात है । अगर वह देते तो शायद यह उनको अधिकार था । लेकिन यह कि इस सदन को यह अधिकार है कि चरणसिंह जी यह बयान दें ही और उसमें कोई रुकावट पड़ी हो, मैं कहूंगा कि इस प्रकार की बात मेरे मित्र राजनारायण जी भी नहीं कह सकेंगे ।

श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । आज आपको सूचना देता हूं कि मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । आप दिन निश्चित कर देते हैं प्रस्ताव रखने के लिये। फिर मैं नहीं रखता । तो क्या इस सदन का अवमान होगा ? मैं कहूं कि मैं नहीं रखूंगा तो क्या सदन का अवमान होगा ? मैं उस दिन सदन में बिलकुल ही न आऊं । तो मैं निवेदन करने की धृष्टता करूंगा कि यह सदन का अवमान नहीं होगा । मैं प्रस्ताव रखता तो मेरी इच्छा, न रखता तो मेरी इच्छा । मैं प्रस्ताव न रखता तो अधिक से अधिक आप यह कहते कि वह प्रस्ताव नहीं रक्खा गया ।

इसके अतिरिक्त पब्लीकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, मैं बहुत आग्रह से और नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से यदि उन्होंने कोई बयान सदन के बाहर दे दिया जिसका सम्बन्ध इस चीज से है कि वह कोई प्रस्ताव रखना चाहते थे या नहीं या कोई बयान देना चाहते थे या नहीं, तो उनको इसका पूर्णरूप से अधिकार था । यह कि यहां की सदन की कोई कार्यवाही बिना सदन की अनुमति के कहीं छप जाय यह तो अवमान है । मैं इस चीज को किसी चुनौती के तौर पर नहीं कहना चाहता किन्तु पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का नम्र विद्यार्थी होने के नाते यह कह सकता हूं कि कोई भी एक केस पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में किसी प्रकार का जिसमें किसी व्यक्ति ने यह बयान दे दिया हो सदन के बाहर कि अमुक अमुक दिन सदन में बयान नहीं दूंगा, इस प्रकार का कोई केस मेरे सामने नहीं आया कि इससे सदन के अवमान का प्रश्न पैदा हो गया। मेरी स्वयं यह धारणा थी, जैसा माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने प्रश्न उठाया कि कोई चीज जो यहां पर हुई है जो कार्यवाही हुई है उसको अगर अनियमित रूप से सदन के बाहर छापा जाय, किसी प्रकार का प्रचार किया जाय, तो निश्चय ही सदन के अवमान का प्रश्न हो सकता है । लेकिन यह कि सदन में कोई एक बयान देना चाहे और बाहर कह दे कि अब नहीं दूंगा तो वह किसी प्रकार से सदन के अवमान का प्रश्न नहीं हो सकता । यही तो बातें कही गईं । मेरे मित्र शायद इसके सम्बन्ध में कोई भी अथारिटी, पुस्तक या आज तक इसके सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार का केस हुआ हो उसको सदन को बताने की कृपा करें तो सदन को और ज्यादा प्रकाश मिल सकता ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने एक सूचना दी है सदन को कि माननीय चौधरी चरणसिंह जो बयान देना चाहते थे उसकी कापी आपके पास नहीं आयी .....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो कल सुना दिया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जी नहीं, जो स्टेटमेंट वह हाउस में देना चाहते थे उसकी कापी आपको नहीं भेजी। इस फैक्ट के बाद एक और प्रश्न उपस्थित होता है। प्रक्रिया नियमावली के नियम २७५ में साफ कहा गया है :

"275. *Statement by a Minister who has resigned*—(1) A member who has resigned the office of Minister shall have the right with the consent of the Speaker to make a personal statement in explanation of his resignation. A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made :

Provided that in the absence of a written statement, the points or the gist of such statement shall be conveyed to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made."

श्रीमन्, जैसा कि कार्य-क्रम सदन का निर्धारित था कि आज २१ तारीख को माननीय चरणसिंह एक बयान देने वाले थे और क्वेश्चन आवर के बाद ही देने वाले थे तो इसके मुताबिक कल २० तारीख को ११ बजे तक उस स्टेटमेंट की एक कापी आपके पास आ जानी चाहिये थी और लीडर आफ दी हाउस के पास भी आ जानी चाहिये थी। लेकिन उन्होंने वह कापी नहीं भेजी तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस कापी के आपके पास भेजने के पहले उन्होंने प्रेस को जो बयान दे दिया कि कांग्रेस की अध्यक्षा ने पार्टी के हित में वक्तव्य देने से मना कर दिया है, इससे विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया था उसकी पुष्टि होती है। तो प्रेस में देकर उन्होंने सदन का अवमान किया और २४ घंटे पहले उस वक्तव्य की एक कापी आपके पास आनी चाहिये थी वह स्टेटमेंट छिपाया गया। इस प्रकार से उस स्टेटमेंट की एक कापी आपके पास आ जाने से जो सदन की चीज हो जाती और ऐसी चीजों पर प्रकाश आ सकता था उससे सदन वंचित रहा। तो हमारे नियमों से भी ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। तो आप माननीय चरणसिंह जी को--वह कल भी सदन में मौजूद थे और आज भी हाउस के अन्दर मौजूद थे--इस बात का आदेश दें कि ऐसे गम्भीर मसले को जिसे उन्होंने हाउस से छिपाया है, आपसे छिपाया है, जनहित के कारण वे हाउस के अन्दर मौजूद हों और कारण बतायें कि क्यों उन्होंने प्रेस में छपवाया और क्यों नहीं उस वक्तव्य की एक कापी आपके पास भेजी।

श्री अध्यक्ष--अब ज्यादा बहस की मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। माननीय नवलकिशोर जी कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद मुझे जो कुछ इस पर कहना है, मैं कहूंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ भी अब तक सुना उससे मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मैं यह महसूस करता हूं कि जो प्रश्न उठाया गया उसकी कोई बुनियाद नहीं है और न किसी तरह की कोई विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

एक बात पर बड़ा जोर दिया गया, अखबार के बयान के ऊपर। मैं, श्रीमन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस समय की तरफ जिस समय कि चौधरी साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने एक छोटा सा बयान अखबार में दिया था और साथ-साथ यह भी कहा कि मैं एक बयान हाउस में भी देने वाला हूं। तो सिर्फ अगर इस बात को माना जाय जो यह आर्ग्यूमेंट दिया गया कि हाउस में इस इच्छा को प्रकट करने के पहले उन्होंने अखबार में इच्छा प्रकट की तो उस समय के बयान पर भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठना चाहिये था; किन्तु कितनी दूर भी हम अपने दिमाग को ले जांय, कहीं भी इसमें अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

दूसरी बात यह कही गयी--थोड़ा सा रिपीटीशन होता है--सेक्शन २७५ की बात कही गयी कि श्रीमन् के पास २४ घंटे पहले बयान आना चाहिये था और अगर वह बयान आ जाता तो हाउस की प्रापर्टी बन जाता। श्रीमन्, मुझे याद है कल भी इस तरह की बात आपने कही थी

कि चौधरी साहब ने टेलीफोन पर आपको अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी कि वह अपना कोई बयान देने वाले नहीं हैं, तो २४ घंटे वाली बात की जो बुनियाद है वह बेबुनियाद हो जाती है, उसमें कोई तत्व नहीं रहता ।

तीसरे, जैसा हमारे और साथियों ने कहा यह अधिकार चौधरी साहब का था । अगर वह उसको इस्तेमाल करना चाहते थे तो उन्होंने श्रीमान से आज्ञा मांगी और श्रीमान ने आज्ञा दी कृपा करके कि अगर वह देना चाहें तो २१ तारीख को अपना बयान दे सकते हैं । इस बीच में उन्होंने सोचा समझा । जनहित की बात जो कही गयी तो जनहित के लिये, चाहे हम इधर बैठें या उधर बैठें सबकी एक ही मंशा है कि हमेशा काम वही होना चाहिये जो जनहित में हो । अगर चौधरी साहब ने जनहित में यह सोचा कि उनको बयान हाउस में नहीं देना चाहिये तो उन्होंने हाउस में बयान नहीं दिया, आपको सूचना दे दी । तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या अधिकार है हाउस का, कौन सी प्रापर्टी हाउस की थी, कौन सी चीज कस्टडी में आ गयी और कौन-सी चीज इससे वायलेट हो गयी । अखबार में बात आ गयी तो वह कोई सेक्रेड चीज नहीं थी, कोई टैक्सेशन का प्रोपोजल नहीं था, कोई स्पीच ऐसी नहीं थी जो बिना आपकी आज्ञा के अखबार में नहीं दी जा सकती थी । उन्होंने यह कहा कि जो बयान मैं देना चाहता था वह बयान अब मैं देने वाला नहीं हूं, अपने अधिकार में यह बात उन्होंने कही थी । मैं बहस में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने कहा या नहीं कहा कि मैं बयान नहीं देना चाहता हूं लेकिन इससे किसी तरह की कोई अवहेलना नहीं हुई । मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रश्नों को बार-बार उठा कर, अगर आप आज्ञा दें कहने की, कुछ थोड़ी-सी हमारे इस सदन की मान मर्यादा कम होती है ।

श्री राजनारायण--मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, सूचना की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण--मेरी सूचना यह है कि अखबारों में यह भी निकला है कि जो वक्तव्य सदन में देने के लिये उन्होंने तैयार किया था उसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा के पास भेज दी है ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, वह दूसरी बात है । अवहेलना का जो प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया था उसके सम्बन्ध में नियम ६४ में जो प्रतिबन्ध है उसमें यह दिया हुआ है "परन्तु यह भी कि शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे ।" अंग्रेजी में इसे पढ़ दूं ।

"Provided further that if the complaint is against a member, the Speaker may hear him before giving his consent."

इसलिये मैंने पहले पूछ लिया था--चरणसिंह जी यहां मौजूद हैं या नहीं--वे नहीं हैं । मैं उनकी बात भी सुन लेना चाहता हूं क्योंकि इस प्रश्न से कुछ फैक्ट्स का भी सम्बन्ध है क्योंकि विरोधी दल के नेता ने यह प्रश्न उठाया कि उन्होंने मुझे सूचना देने के पहले अखबार में यह जाहिर कर दिया । उसके ऊपर भी मुझे विचार करना ही होगा और उसके बारे में उनसे पूछना होगा कि उन्होंने अखबार में दिया या नहीं, और दिया तो कब ।

दूसरे, श्री राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया वह बिल्कुल नये ढंग का है । उसके लिये मैं अभी देख रहा हूं कि कोई रूलिंग मिलती है या नहीं और इस तरह का कोई केस पहले कहीं भी हुआ है या नहीं । अभी तक तो मुझे मिली नहीं है । तो मैं पहले सोमवार के रोज माननीय चरणसिंह जी को सुनूंगा और उसके बाद मंगल को इस विषय में फैसला दूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न या अवहेलना का प्रश्न नियम ६४ के अनुसार उठाया जा सकता है या नहीं ।

[श्री अध्यक्ष]

इसके साथ दो प्रश्न और हैं। वे भी उसी के साथ निर्णय में आयेंगे। एक तो श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने उठाया। श्री राजनारायण जी ने नियम पढ़ कर सुनाया कि किसी सदस्य से भी प्रश्न किया जा सकता है। पहले नियमों में वह था, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी वह नियम उपयोग में लाया नहीं गया। अबकी उसे उपयोग में लाने के लिये रामस्वरूप वर्मा जी कह रहे हैं। वह नियम ४५ के अन्तर्गत कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं चौधरी चरणसिंह जी से। तो इस विषय में भी उसी सिलसिले में फैसला होगा।

गौरीशंकर राय जी ने नियम १०६ के अनुसार एक प्रस्ताव भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व माल मंत्री ने अपना वक्तव्य न देकर के सार्वजनिक महत्व के इस सरकार एवं विधान सभा से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रकाश में न आने दिया और मुख्य मंत्री भी अपना उत्तर न दे सके। इस तरह का कथन उन्होंने अपने प्रस्ताव में दिया है। क्या वह उन्हें वक्तव्य देने के लिये बाध्य करना चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---जी नहीं। वह तो सब्स्टेंटिव मोशन है। उस पर यह सदन खेद प्रकट करना चाहता है। उनके कांडक्ट को डिस्कस करना चाहता है।

श्री अध्यक्ष---तो गौरीशंकर राय जी का प्रस्ताव है कि उनके कांडक्ट के ऊपर चर्चा होकर सदन अपनी राय दे। इसके बारे में भी फैसला उसी दिन मैं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---इस पर आपने कुछ सुनने को कहा था।

श्री अध्यक्ष---जी, नहीं। पहले मैं उनको सुन लूं, क्योंकि सबसे महत्व का विषय विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। तो उसके बारे में मैं सुन लूंगा, फिर उसके बाद मौका आपको दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---यह तो एक दूसरा मोशन अलग है। आप विशेषाधिकार की अवहेलना मानें या न मानें, उससे इस सब्सटेंटिव मोशन पर क्या असर पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष---उनको सुनने के बाद सोमवार को आपको मौका दूंगा। अगर मंगल को भी निर्णय करूंगा तो इसके लिये आपको मौका दूंगा।

खतौली मैन्योर मिल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब यह कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है खतौली मेन्योर मिल के संबंध में। मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्री जी के पास यह बात पहुंच गयी होगी। मैं इसको कामरोको प्रस्ताव का निश्चित विषय तो नहीं समझ रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होने की वजह से मैं संबंधित मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में उनको कोई जानकारी हो तो वह सदन को कृपा करके दे दें।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---ऐडजर्नमेंट मोशन न मान कर के आप नियम ५२ में कन्वर्ट करके इसको ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि अगर आपके पास सूचना हो तो आप उसे दे दें।

***श्री मोहनलाल गौतम**---अध्यक्ष महोदय यह खतौली मैन्योर मिल खतौली में वाकै है और यू० पी० गवर्नमेंट ने कोई खरीदारी पिछले कई सालों से इनसे नहीं की है। दूसरे सूबे वालों ने इनसे कुछ खाद खरीदा था और उन्होंने जो खाद खरीदा वह उन्हें अच्छा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिला। इसलिये उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया से शिकायत की थी और उन्होंने हमसे शिकायत की कि इनका खाद खराब है। एक दफा १९५२ में थोड़ा सा खाद इनसे खरीदा गया था, यानी ७ टन खाद गवर्नमेंट ने इनसे खरीदा था। इसके बाद हमने कोई नहीं खरीदा।

इसको ब्लैक लिस्ट करने का काम गवर्नमेंट आफ इंडिया के डायरेक्टोरेट का है, हमारा नहीं है। हमने तो यह किया कि उनको आथोराइज्ड डीलर नहीं बनाया।

इसके संबंध में एक ऐडजर्नमेंट मोशन १०-१२-५८ को हो चुका है और उसकी प्रोसीडिंग्स भी मौजूद हैं। उस समय यह कह दिया था, मैं इसको इसलिये दुहरा रहा हूं कि आपकी आज्ञा है नहीं तो वह प्रोसीडिंग्स में से पढ़ा जा सकता था। अब इसमें जो प्रश्न इस समय है वह यह है कि कोआपरेटिव के महकमे ने कुछ खाद खरीदा। इस कोआपरेटिव विभाग के दो अंग हैं। एक तो सरकारी मुलाजिमों का हिस्सा और एक कोआपरेटिव महकमें की इंडिपेंडेंट, आटोनोमस कोआपरेटिव यूनिट्स। जहां तक सरकारी महकमें का ताल्लुक है, कोई नहीं खरीदा गया। लेकिन जहां तक इंडिपेंडेंट यूनिट्स का ताल्लुक है, मुझे मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन ने कुछ खाद मिक्सचर बनाने के लिये इनसे खरीदा है। वह आथोराइज्ड डीलर नहीं थे इसलिये उनसे नहीं खरीदना चाहिये था; इसलिये मैं तहकीकात करके जवाब दे सकता हूं। लेकिन उनसे जो खाद खरीदा गया था उसको एग्रीकल्चर विभाग ने जब्त कर रखा है और उसको इस्तेमाल नहीं किया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—अब मैं किसी निवेदन की इजाजत नहीं दूंगा। यह गलत बात है। आपको सूचना मिल गई है। अगर आपको सवाल करने हैं तो शार्ट नोटिस क्वैश्चन करके कीजिये। मैंने नियम ५२ में इसको नहीं लिया। इसलिये इसको लिया कि कभी-कभी किसी चीज के पूछने से ही स्कैंडल्स हो जाते हैं। वह न हों और सरकार अपनी जानकारी दे सके; इसलिये उनसे कहा और उन्होंने सूचना दे दी कि सरकार ने स्वयं खाद खरीदा नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक बात पूछूं। उन्होंने कहा कि इससे गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं है और फिर कहा कि एग्रीकल्चर विभाग ने उसको जब्त कर रखा है। श्रीमन्, हमारी यह जानकारी है.....

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्नों की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा कर बैठें। आप शार्ट नोटिस क्वैश्चन करके सवाल पूछिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपको बतला दूं। मान लीजिये कि यह कम्पनी लिक्वीडेट हो जाय, वाइन्ड अप हो जाय, तो क्या उस पर मुकदमा चल सकता है?

श्री अध्यक्ष—आप मंत्री जी के कमरे में जाकर उनसे मालूमात हासिल कर लें।

श्री राजनारायण—आपको तो हम मालूमात दे सकते हैं, अगर हमको आप हर एक मंत्री के कमरे में भेजने लगेंगे तो माटी के देवता पीतल के हो जायंगे।

तुलाराम बाग हाउसिंग स्कीम, इलाहाबाद के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब दूसरा प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द मोहिले का है। मैं इसको अनिश्चित समझता हूं और यह महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसलिये इजाजत नहीं दे रहा हूं।

बलिया जिले में गंगा की भीषण कटान की ओर ध्यान आकर्षणार्थ नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार ८–९ विषय मेरे पास आये हैं; उनमें से मैं श्री गौरीशंकर राय जी का ले रहा हूं। वह इस प्रकार है: "मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

बलिया जिले में गंगा की भीषण कटान से कोट, आंजोरपुर, शाहपुर, मेलसड़, हल्दी, रुद्रपुर आदि गांवों के सैकड़ों घर कट कर गिर गये। सरकार ने कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की और न कटान द्वारा कटे हुए परिवारों के बसने की ही कोई व्यवस्था कर रही है। ऐसी परिस्थिति में गंगा तटवासी भयाक्रान्त हैं। इस समस्या की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन ने दो एक जिले और दे दिये हैं—वाराणसी, बलिया, आजमगढ़। उसमें भी कटान का जिक्र है। अगर आपको सूचना हो तो आज दे दें या किसी दूसरे दिन दे दें।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—बलिया के संबंध में सूचना नहीं है। इसको मंगल को कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मंगल को इसके बारे में सूचना दी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके पास श्री उग्रसेन का भी प्रस्ताव पहुंच गया होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया के बारे में कोई फ्लड वगैरह की रिपोर्ट नहीं है।

श्री उग्रसेन—कटाव के बारे में चाहिए।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—नियम ५२ के मुताबिक मैंने प्रस्ताव भेजा था। कल जब आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव न रख कर कल आप नियम ५२ के अन्तर्गत भेजिये। तो उसके लिए आप बता दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है। इसमें भोगांव थाने के सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज ने एक व्यक्ति को गोली से मार दिया।

श्री अध्यक्ष—उससे ज्यादा महत्व का सवाल कटाव का था। आप उसको सोमवार को उपस्थित कर दें।

श्री अमरनाथ मिश्र (जिला गोरखपुर)—एक मेरा भी नियम ५२ के अन्तर्गत था।

श्री अध्यक्ष—मैं कई दफा कह चुका हूं कि एक ही सवाल एक दिन लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह कटाव का मसला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर वाद-विवाद.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप प्रश्न खूब कर सकते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत देवरिया जिले में कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में कथित हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत) *

श्री अध्यक्ष—गेंदासिंह जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया था सहकारिता मंत्री जी शायद आज उसका जवाब देंगे।

†**सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**—अध्यक्ष महोदय, उस रोज जो बातचीत हुई उसके बाद मुझे आपने आज्ञा दी कि मैं दो बातों को साफ करूं। एक यह कि २४ जुलाई को मीटिंग क्यों मुल्तवी की गयी और दूसरे यह कि क्या कोई कानूनी अधिकार गवर्नमेंट को है नामजद करने का या नहीं।

मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मंगाई है। सब जिलों में, शायद दो-एक को छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। उस हैसियत से देवरिया कोआपरेटिव बैंक के भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन हैं। यह जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वह चेयरमैन आफ दि कोआपरेटिव बैंक की भी हैसियत रखते हैं। उनका कहना यह है कि २५ जून को जनरल बाडी की मीटिंग हुई। उसमें डाइरेक्टर चुने गये। उसके बाद २४ जुलाई को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग बुलायी गयी जिसमें वाइस चेयरमैन और इग्जिक्यूटिव वगैरह चुननी थी। १८ जुलाई को उनके पास एक जी० ओ० गया फूड डिपार्टमेंट का कि फेयर प्राइस शाप्स कुछ कम हो गयी हैं उसको ठीक-ठीक कर दिया जाय। उनके सामने यह सवाल था। फेयर प्राइस शाप्स के खोलने के सम्बन्ध में जो जी० ओ० गया था कि इसमें जल्दी की जाय और २७ जुलाई को यहां असेम्बली में आने के लिए मेम्बर तैयार थे तो यह सोचा गया कि १८ जुलाई के बाद कौन-सी तारीख सुविधाजनक होगी जबकि फूड ऐडवाइजरी कमेटी की वह जरूरी मीटिंग जिसमें फेयर प्राइस शाप्स का मसला तय हो जाय, की जाय। वह २४ जुलाई को रखी गयी और इसलिए २४ जुलाई को वह मीटिंग मुल्तवी हो गयी जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की बुलायी गयी थी। इतना मैं कह दूं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से कोई हिदायत इस मीटिंग को मुल्तवी करने के लिए नहीं थी। उनका जजमेंट ठीक था या नहीं था, उन्होंने सही किया या गलत किया, यह मेरा काम नहीं है। इस वक्त वह मेरे सामने है नहीं। इसलिए मैं उस पर राय नहीं देना चाहता।

अब दूसरा सवाल यह है कि कानूनी ढंग से क्या हमको अधिकार है कि नहीं यह नामजदगी करने का। मैं सब से पहले तो इस मैन्युअल के पेज ७ पर जो सेक्शन ११ (एफ) है उसे, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं :

"The final authority of the Society shall vest in the General Body in the General Meeting."

यह अधिकार फाइनल जो सोसाइटी का है वह जनरल बाडी की जनरल मीटिंग को है। तो जो जनरल बाडी ने अपनी जनरल मीटिंग में तय किया है वह फाइनल है। पूरा अधिकार उसको है। अब प्रश्न यह है कि क्या उसने कोई ऐसा अधिकार तो नहीं इस्तेमाल किया जो कि उसके ऐक्ट या रूल्स के मुताबिक न रहा हो। तो दफा ४३ (सी) में यह दिया हुआ है, ऐक्ट के :

"The local Government may, for the whole or any part of the province and for any registered society or class of such societies, make rules to carry out the purposes of this Act."

---

*११ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इस ऐक्ट के कार्य को चलाने के लिए किसी एक हिस्से में या सारे सूबे के लिए प्रान्तीय गवर्नमेंट रूल्स बनायेगी; किस-किस सम्बन्ध में, यह (सी) में दिया हुआ है—

"Prescribe the matters in respect of which a society may or shall make by-laws and for the procedure to be followed in making, altering and abrogating by-laws, and the conditions to be satisfied prior to such making, alteration or abrogation;"

यानी इन बातों के विषय में रूल्स बनाने का अधिकार ऐक्ट ने दिया। उसके अनुसार रूल्स बने और रूल्स में पेज ४४ पर रूल ८ (११) में है कि—

"A society shall, subject to the provisions of the Act and of the rules, make by-laws in respect of the following matters, namely,—"

यानी इस सम्बन्ध में सोसाइटी बाई-लाज बनायेगी :

"the appointment, suspension and removal of the members of the Committee and other officers ;"

यहां मेम्बर्स आफ दि कमेटी के माने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से है। तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अप्वाइंटमेंट के लिये सोसाइटी रूल्स बनायेगी। ऐक्ट में दिया है कि रूल्स बना सकते हैं। रूल में दिया हुआ है कि अप्वाइंटमेंट आफ कमेटी मेम्बर्स के लिये बाई-लाज बनाये जा सकते हैं। सोसाइटी को अधिकार हो गया रूल बनाने का। सोसाइटी ने एक रूल बनाया है ४९ (बी), संचालक मंडल ही बैंक की मुख्य विचारक व प्रबन्धक संस्था होगी। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—उसके (ब) में है—३ "अ" श्रेणी के हिस्सेदारों के मनोनीत संचालक। फिर बाई-ला ५ में दिया हुआ है—बैंक के निम्नांकित सदस्य होंगे:—

"(क) उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक जो विशेष सदस्य कहलायेंगे और "अ" श्रेणी के हिस्सेदार होंगे।"

यानी ऐक्ट ने रूल बनाने का अधिकार दिया। रूल ने अधिकार दिया कि सोसाइटी बाई-लाज बनाये। सोसाइटी ने बाई-लाज बनाये और उसमें "अ" श्रेणी के शेयर होल्डर्स को तीन डायरेक्टर्स नामिनेट करने का अधिकार दिया और यह "अ" श्रेणी वह है कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक या गवर्नमेंट जो हिस्सेदार होगी वह "ए" क्लास के शेयर होल्डर्स होंगे। इसमें थोड़ी-सी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं साफ कर दूं कि यह कोआपरेटिव बैंक का सवाल कैसे उठा। इस पर बड़ी लम्बी चौड़ी बहस हुई है....

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि बाई-लाज में अधिकार दिया गया है कि गवर्नमेंट नामिनेट करे। गवर्नमेंट ३ सदस्यों को नामिनेट करे।

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, इसी तरह से है।

श्री अध्यक्ष—तो बस मंत्री जी की बात का मतलब साफ हो गया। अब आपको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—एक तो मैं शुरू में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह पत्र २० जुलाई सन् १९५९ को जिलाधीश ने मुझे लिखा जिसमें यह लिखा है कि "प्रिय गेंदासिंह जी, आपका पत्र दिनांक १९-७-५९ का मुझे मिला जिसमें आपने कोआपरेटिव बैंक के निर्वाचन के सम्बन्ध में लिखा है। इस मीटिंग के सम्बन्ध में जिला सहकारी अधिकारी से कुछ प्रश्न किये गये हैं। उनका उत्तर प्राप्त होने पर ही मीटिंग की तिथि निश्चित की जायेगी। आशा है कि यह मीटिंग इस मास के अन्त तक ही हो जायेगी"। यह पत्र जिलाधीश ने मुझे लिखा, लेकिन जो माननीय मंत्री जी को उन्होंने शुरू में लिखा....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—क्या आपने इस पत्र को माननीय मंत्री के पास भेज दिया है ?

श्री गेंदासिंह—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—तो इस पर मैं आपको प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गेंदासिंह—बहुत अच्छा। जो रूल्स बनाने का अधिकार उनको मिला है वह ऐक्ट के प्राविजन के मुताबिक है....

श्री अध्यक्ष—मैं कानूनी बहस की इजाजत नहीं दूंगा। आपको वाकयात मालूम हो गये । अगर आपको मालूम पड़े कि कानूनी राय गलत हुई है नामिनेट करने की जो कि बाई-लाज ने उनको दी है और आप उसको चैलेन्ज करते हैं तो मैं उस पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा। अगर इन्टरप्रिटेशन के विषय में कुछ गलतफहमी है तो कानूनी सलाह माननीय मंत्री जी के कमरे में जाकर दीजिये । उस पर यहां पर बहस नहीं हो सकती ।

श्री गेंदासिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह नामिनेशन कितने दिनों से विचाराधीन था माननीय मंत्री के और आखिर में जब ६, ७ को निर्वाचन होने वाला था उस वक्त यह निर्णय क्यों किया गया और उस समय क्या कुछ और नाम भी नामिनेशन करने की रिकमेन्डेशन हुई थी ?

***श्री मोहनलाल गौतम**—जहां तक और नामों के रिकमेन्ड होने का सम्बन्ध है, वह तो एक डिस्क्रीशन की बात है । उस बहस में मैं नहीं पड़ता । जहां तक दूसरी बात है, मैं निवेदन करूं कि गवर्नमेंट ने २ लाख के शेयर खरीदे । १ लाख के शेयर सन् १९५७–५८ में खरीदे और १ लाख के सन्१९५८–५९ में । यानी ३१ मार्च,१९५९ तक २ लाख के शेयर खरीदे जा चुके थे । यह अधिकार ३ आदमियों के नामिनेशन का १९५७–५८ में, जब १ लाख के शेयर खरीदे, गवर्नमेंट को हो गया था । लेकिन इतनी देर क्यों हुई, यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट की कुछ बहस थी कि किस तरह से शेयर हों । उस बहस के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा । कुछ आपस की टेक्नीकेलिटी थी जो पूरी नहीं हुई थी इसलिये उसमें २ साल लग गये । उस नामिनेशन को पहिले ही हो जाना चाहिये था ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलायेगी कि जिन तीन व्यक्तियों को सरकार की ओर से नामिनेट किया गया वे व्यक्ति कौन थे, वे कोआपरेटिव के एक्सपर्ट थे और नामिनेट करने की कोई शर्त बनी हुई है जिसके आधार पर वे किये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने अभी निवेदन किया कि जहां तक नामिनेट करने का ताल्लक है, यह तो मेरी फुल डिस्क्रीशन है । नाम मैं बता दूंगा । एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर हैं जो इन्चार्ज हैं और वहां के इन्टरेस्ट को वाच करने के लिए रखे गये हैं और दो इसी विधान सभा के सदस्य हैं । एक श्री शिव बचन राव और दूसरे एक साहब और हैं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने यह जो कहा कि मुझे इस बात का अधिकार था कि मैं मनोनीत कर सकता था इन सदस्यों को, तो मैं आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो नियुक्ति की है वह गलत की । बाई-लाज की कापी मेरे हाथ में भी है । पेज १५ पर संचालक मंडल के संगठन की व्याख्या की गयी है । तो जहां "अ" श्रेणी के हिस्सेदारों के मनोनीत संचालक में "अ" श्रेणी के हिस्सेदारों की व्याख्या की गयी है वहां लिखा है कि बैंक या सरकार के मनोनीत सदस्य होंगे, लेकिन वह ऐसे सदस्य होंगे कि जिन्होंने १२ माह के भीतर शेयर बैंक में खरीदे होंगे । वहां पर जो मनोनीत किया जायगा उसका हिस्सा उसमें होना चाहिये । यह है १६वें पेज पर जहां पर यह लिखा है कि संचालक मंडल का संगठन कैसे होगा और संचालकों की योग्यता क्या होगी । इसके बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायणराय]

है कि वह उस समिति का सदस्य नहीं रह सकता। जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता हो। जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया है वह अपने गांव की सोसाइटी के सदस्य हो सकते है लेकिन "अ" श्रेणी के हिस्सेदार वे नहीं हैं। "अ" श्रेणी के हिस्सेदार सरकार या कोआपरेटिव बैंक हो सकते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामायणराय—जिन लोगों की नियुक्ति की गयी है वे क्या देवरिया कोआपरेटिव बैंक के "अ" श्रेणी के हिस्सेदार थे?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ गलतफहमी है माननीय सदस्य को। "अ" श्रेणी के हिस्सेदार तो साफ है कि कोआपरेटिव बैंक या सरकार होगी। कोआपरेटिव बैंक का यह था कि इन्डाइरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। तो या तो कोआपरेटिव बैंक की मार्फत हिस्सेदार मनोनीत कर दिये जाते या डायरेक्ट तरीके में सरकार कर देती, ये दोनों रास्ते खुले हैं। ये दोनों हिस्सेदार हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो नामजदगी की जायगी, वह आदमी "अ" श्रेणी का हिस्सेदार होगा,यह कहीं नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर एक्स-आफिशियो हमने बनाया है। जो दूसरा आयेगा वह एक्स-आफिशियो बनेगा। १२ महीने की शर्त इसके लिये लागू न होगी। ये शर्तें तो दूसरों के लिये होंगी, इनके लिये नहीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है:—

नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि: २५ अगस्त, १९५९ को ५ बजे सायंकाल तक।

नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय: २७ अगस्त, १९५९ को दिन के साढ़े १० बजे, सचिव के कमरे में।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय: २८ अगस्त, १९५९ को सायंकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ: तो विधान वाचनालय में ३१ अगस्त, १९५९ को १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

*उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

खंड ४ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार होगा। खंड ४ में कल मोतीलाल जी अवस्थी अपने संशोधन पर भाषण दे रहे थे।

---

*११ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन था कि बिजली की ड्यूटी अदा न करने वालों पर जो दंडस्वरूप सरकार ने उनसे साढ़े १२ फीसदी ब्याज लेने का हक सुरक्षित किया था उसको बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने बिजली के प्रयोग करने वाले जो लाइसेंसी हैं उनकी वृत्ति, तरीके पर प्रकाश डाला और बताया कि ये लाइसेंसी जो कि कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने इस बिजली के उत्पादन और वितरण में एक संगठन सा कर रखा है और उपभोक्ताओं को बिजली देने के सम्बन्ध में काफी मुनाफा भी उठा रहे हैं। बिजली के वितरण से आशा की गयी थी कि अपने प्रदेश में उद्योगों का उत्थान होगा, उद्योगपति भी उसमें सहायक होंगे लेकिन वह आशा पूरी नहीं हो रही है।

अपने प्रदेश में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जैसे "केसा" है, मार्टिन एण्ड बर्न है, जोकि विशेष तौर से जिम्मेदार हैं इस बिजली के वितरण इत्यादि में, अगर मैं उनके कारनामे यहां रखूं तो बहुत समय चला जायगा अन्यथा मेरे पास बहुत कुछ विवरण है। इन लाइसेंसियों के द्वारा जो नीति हमारी सरकार बरत रही है वह और भी पक्षपातपूर्ण है। अभी हाल में हमारे मुख्य मंत्री द्वारा कुछ इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था और यह बताया गया था कि हम कुछ खास कम्पनियों को ठेका देकर एक विशेष उद्योग बढ़ाना चाहते हैं चाहे फिर बिजली इतनी कम बचे कि हम पूर्वी जिलों के भूखे हिस्सों को वितरित न कर सकें और उस विषय में हमें उन्होंने यह हिसाब समझाया था कि अगर वह बिरला कम्पनी को १५० रुपया पर किलोवाट पर बिजली न दे देते और समझौता न कर लेते तो शायद वह उद्योग यू० पी० में न आता, दूसरे प्रान्त में चला जाता।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

इस कारण से उन्होंने कुछ कम्पनियों को विशेष और मीठी दर पर बिजली देने की बात सोची और इससे अन्ततोगत्वा हमारे प्रान्त को लाभ ही होगा। इस पर हम यह न भूलें कि एक ही ठेके से ५० लाख रुपये की हानि प्रदेश को हुई है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—यह तो जनरल डिस्कशन है, प्रस्ताव से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री अधिष्ठाता—संशोधन पर ही विचार हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं चाहूंगा कि उनको सुबुद्धि मिले। तो मैं कह रहा था कि इस नीति के द्वारा, जो हम अपने लाइसेंसीज के प्रति बरत रहे हैं, हमें लाभ के बजाय हानि हुई। यह ५० लाख रुपये का नुकसान सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों से केवल एक ही कन्ट्रैक्ट करके करा देती है। सरकार इस प्रकार से संधियां कर लेती है जो कि एक प्रकार से निजी हुआ करती हैं और ये संधियां सचमुच में हमारे हाथ पैर बांधने वाली होती हैं और ये लम्बे काल तक चलती हैं और इनको बीच में भंग भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक ट्रीटी इस सरकार के द्वारा इस अलमूनियम फैक्टरी से की गई जिसका नतीजा हुआ कि पूर्वी जिलों को कम बिजली मिलने की सम्भावना हो गई जब कि उनको इस समय बिजली की बहुत आवश्यकता थी।

अभी कुछ दिन पहले स्माल स्केल ऐण्ड काटेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें यह मांग रखी गयी थी कि छोटे-छोटे उद्योगों की वृद्धि के लिये उनको अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध की जाय लेकिन उस बोर्ड के द्वारा यह उत्तर मिला कि हमारे पास ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं है। तो हम आज देखते हैं कि छोटे-छोटे गृह उद्योग, जिनके लिये कि ये बोर्ड वगैरह बनाये गये हैं, वही बोर्ड कह रहा है कि हम ज्यादा बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों का महत्व उनकी निगाह में ज्यादा है और उनकी निगाह में आज छोटे उद्योगों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो जहां यह आवश्यक था कि इस बिजली को उन पिछड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता, उनकी उन्नति की जाती, लेकिन इसके बजाय यह सरकार आज बिलकुल उसके विरुद्ध चल रही है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो लाइसेंसी हैं उन्हीं को ही बिजली देकर अपना कर्तव्य निबाह रही है। उनके साथ यह सरकार ऐसी रियायत करती जाय और उसके बदले में वह सरकार के साथ अपने कर्तव्य पालन में अपना कोई इरादा न दिखायें, यह सचमुच में ही बड़ी अन्याय की बात है। इसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सरकार की तरफ से स्वयं कहा जा रहा है कि जो बिजली उत्पादक हैं वे स्वयं इस कार्य के करने में लापरवाह हैं। सरकार के ही शब्द इस प्रकार से हैं: "यह देखा गया है कि लाइसेन्स-धारी उपभोक्ताओं से वसूल की गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि सरकारी कोष में नियत समय के भीतर जमा नहीं करते।" यह एक प्रकार से उनके लिये एक सर्टिफिकेट है जो कि सरकार ने दिया है और इससे साफ होता है कि उनकी नीयत कैसी है। अब ऐसे लोगों के साथ यदि हम कोई उचित व्यवहार करना चाहें तो वह यही हो सकता है कि उन्हें कानून की बंदिश में लायें और कानून मनवाने के लिये उन पर दबाव डालें। जब हम जांच करते हैं तो देखते हैं कि सरकार भूल कर रही है। सरकार को चाहिये था कि वह इस पालिसी को छोड़ देती और इस बिजली की पालिसी को बदलती और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बिजली देकर छोटे-छोटे उद्योगों का हरण न करती लेकिन सरकार अपना ध्यान उन उद्योगपतियों की तरफ से नहीं हटा रही है। आज सरकार का ध्यान उन्हीं पूंजीपतियों की तरफ है जब कि आज हमारे प्रदेश में जनता सचमुच में बिजली के लिये बहुत ही लालायित है और यह आशा की जाती है कि इस कृषि प्रधान प्रदेश में जहां निर्धनता आना लाजमी है, अगर उद्योगों का सहारा दे दिया जाय तो उनकी हालत कुछ सुधर सकती है। यह एक मानी हुई बात है, जिसको दोनों ओर के सदस्य मानते हैं। अब इन छोटे उद्योगों की तरक्की का साधन यह हो सकता है कि इनको सस्ती बिजली मिले। छोटी इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये आपने जो संस्थायें बनायी हैं उनके द्वारा यह प्रयत्न होना चाहिये।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें छोटी इन्डस्ट्रीज को सहायता देने के बजाय उन हाथों में सहायता पहुंचाई जा रही है जो देश के हित के लिये अहितकर हैं, देश के शोषक हैं। सरकार ने उनको रियायत देकर देश का अहित किया है, उसके साथ अन्याय किया है। अगर सरकार को यह मालूम था कि वे रुपया नहीं देते हैं तो सरकार को उनके साथ सख्ती करनी चाहिये थी। इसका सरल सा उपाय यह था कि अगर कोई सरकारी ड्यूटी को न देता तो उसको एक सख्त-सा दंड देती, उसके अधिकार छीन लेती। लेकिन सरकार ऐसा कोई कार्य करने नहीं जा रही है। सरकार ने उनको छूट दे रखी है कि वे इस काम में बराबर लापरवाही बरत सकते हैं। इसमें यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई लाइसेंसी एक बार ड्यूटी न दे और उससे ब्याज तलब किया जाय और फिर भी वह दूसरी बार ड्यूटी समय पर न दे तो ब्याज के अतिरिक्त उस पर क्या ऐक्शन लिया जायगा। ब्याज लेने के सिवाय सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। यह सरकार की कार्यशैली का विचित्र तरीका है।

मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग जो समाज के साथ महान् अपराध कर रहे हैं उनके साथ सरकार क्यों यह गठबंधन कर रही है। केवल ब्याज की बात रख कर सरकार उनको यह मौका देती है कि जो वे करते आ रहे हैं, करते रहें। इसलिये सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह मेरे प्रस्ताव को माने या कोई दूसरा तरीका अख्तियार करे। आज भी बहुत सी कम्पनियां विदेशी पूंजी से चल रही हैं। एक सदस्य के सवाल पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि मार्टिन बर्न की ही यहां पर दर्जनों एजेन्सियां हैं और इस कम्पनी में सारा कैपिटल विदेशी लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से एल्युमिनियम कम्पनी भी जो बिरला जी की बतायी जाती है वह भी यू० एस० ए० के एसोसिएशन में काम कर रही है। उसमें यू० एस० ए० का शेयर २३ फीसदी से ज्यादा है और उसमें बिड़ला फर्म भी शरीक है। बिड़ला कम्पनी हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी उद्योग चलाने के लिये तत्पर नहीं होती जब तक कि किसी विदेशी कम्पनी

के साथ वह अपना हिस्सा नहीं कर लेती। तो अन्ततोगत्वा होता यह है कि सारा धन देश का विदेशों में ही जा रहा है, क्योंकि इस बिजली के उत्पादन के काम के लिये देश के उद्योगपति स्वतंत्र रूप से कम ही हाथ बढ़ाते हैं और न केवल विदेशियों का मूलधन ही उस उद्योग में लगा हुआ है बल्कि बिजली उद्योग सम्बन्धी बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन अधिकांश में विदेशों में ही होता है और इसके विशेषज्ञ लोग भी विदेशी ही हुआ करते हैं। नतीजा यह होता है कि इस देश का बहुत सा धन विदेशों में आज भी जा रहा है। ऐसे लाइसेंसधारियों के प्रति क्या हम यह सोचें कि उनको सिर्फ रियायत देना ही धर्म है? उनकी नीयत में फितूर दिखायी देता है; और उनके अन्दर अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करने की भावना को देखते हुए भी क्या हम रियायत ही करते जायं? क्या यह आवश्यक नहीं है कि इनके कारनामों को देख कर ही इनको खतम करें और देश थोड़ी देर के लिये नुकसान बर्दाश्त कर ले लेकिन इन बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को, इन बड़े-बड़े उत्पादकों को रोक दें कि वे अपने यहां उत्पादन के काम को बन्द कर दें? फिर दूसरी तरफ जो छोटे उत्पादक हैं, जो गृह उद्योग में लगे हुए हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे और सारी बिजली सम्बन्धी सहायता उनको ही देने लग जायगी तो क्या देश के साथ उचित न्याय नहीं होगा और क्या इससे देश के धन में वृद्धि नहीं होगी?

इस सदन के माननीय सदस्य इस पर ध्यान देंगे कि यह इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है इसके पहले ही उस सम्बन्ध में एक अध्यादेश आया जिसका अननुमोदन इस हाउस द्वारा हुआ। उस पर एक दिन पूरी बहस हुई और उसका यही लक्ष्य था कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी करके इन लाइसेंसधारियों को, इन उत्पादकों को सहायता प्रदान करना अनुपयुक्त है, उचित नहीं है। एक दिन इस पर पूरी बहस हुई और हमने सरकार से प्रार्थना की कि वह इस अध्यादेश को वापस ले। जब इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक इस सदन में आया तो उस पर पूरे एक दिन बहस हुई और विरोधी पक्ष ने हर बात का पुष्टपोषण किया और समर्थन किया कि यह अनर्थ सा हो रहा है, लेकिन इतना होते हुए भी सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया और सरकार अपनी जगह पर कायम है और वह कहती है कि बिजली के वितरण में जो पक्षपात हो रहा है उस पक्षपात को हम होने देंगे। अतः हम यही कहते हैं कि इस अन्धी और बहरी सरकार से कह कर कोई काम हल नहीं होता है, वह तो दूसरे तरीके से हल होता है। दूसरे तरीके को अख्तियार करने की बात भी हम लोग समय-समय पर सोचते हैं। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सोचे और सोच करके अपने इस तरीके को बदले जिस तरीके से इन बड़े-बड़े उपभोक्ताओं और पूंजीपतियों को सहारा दिया जाता है और छोटे-छोटे उद्योगों को सहारा नहीं मिल पाता। इस नीति को सरकार बदले और बदल कर ठीक रास्ते पर आवे तथा उनके साथ रियायत न करे। सरकार को चाहिये कि उनके लिये कोई दण्ड की भी व्यवस्था कर दे और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो मेरा छोटा सा और साधारण संशोधन जो बहुत ही अच्छा है उसको स्वीकार कर ले।

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—मान्यवर, जहां तक अवस्थी जी के संशोधन का प्रश्न है मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। माननीय अवस्थी जी ने सदन का काफी समय लिया और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सा समय लेने के बाद भी उन्होंने इस सदन के सम्मुख कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे कि वह यह बताते कि सरकार इस संशोधन को क्यों माने। एक बहुत छोटी सी बात थी कि हमारे सूबे में जो लाइसेंसीज हैं और प्राइवेट कम्पनियां हैं, वे जो बिजली की ड्यूटी वसूल करती हैं उनके लिये जो समय निर्धारित है उसके अन्दर उसे सरकार के पास जमा नहीं करती हैं और कई-कई साल लगा दिया करती हैं, नोटिस आदि दिये जाते थे और उन पर पैसा रह जाता था। इसके लिये अब तक कोई नियम नहीं था कि किस तरह से इस पैसे की वसूली की जाय, लिहाजा यह निर्णय किया गया कि एक नया प्रोवाइजो इसमें जोड़ा जाय कि जो कम्पनियां कन्ज्यूमर्स

[श्री धर्मसिंह]

से ड्यूटी के पैसे को प्राप्त करती हैं और समय के अन्दर सरकार के पास जमा नहीं करतीं तो उनको साढ़े १२ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज उस पैसे पर देना होगा। केवल इतनी सी बात इसमें है, तमाम उद्योग-धंधों की बात को इसमें लाकर जनरल डिबेट बना लेना उचित नहीं है। जनरल डिबेट के वक्त भी इतनी बातें नहीं कही गईं, विषय से हटकर न मालूम क्या-क्या बातें उन्होंने कह डालीं और सबको इस छोटे से प्रोवाइजो में लाने की कोशिश की।

सरकार का उद्देश्य किसी तरह से भी ऐसा नहीं है कि सरकार इसके द्वारा कोई धन कमाना चाहती है। मतलब केवल यह है कि जो कम्पनियां नियम के अनुसार ड्यूटी का पैसा समय से जमा नहीं करतीं और कंज्यूमर्स से ले लेती हैं और उस पैसे को अपने पास रोके रहती हैं, उनसे उस पैसे का सूद लिया जाय ताकि वह समय से पैसा जमा करने के लिये बाध्य हों। अब जहां तक लाइसेंसीज की बात है कि वे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, इसका कोई संबंध इस प्रोवाइजो से नहीं है। अगर वह नियम को देखने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि जहां तक कम्पनियों के हिसाब का ताल्लुक है उसको विभागीय लोग आडिट करते हैं और वे कायदे कानून से अधिक मुनाफा नहीं कमा सकतीं। क्योंकि इसमें कोई खास बात सिद्धांत की नहीं कही गई है इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा; कोई कारण नहीं बताये गये कि साढ़े १२ प्रतिशत की जगह सूद की दर २५ प्रतिशत क्यों रखी जाय। जो धन हम फ्लोट करते हैं या सरकार कर्ज लेते है या जो मार्केट रेट सूद का बैंक आदि का है वह अधिक से अधिक ४–५ प्रतिशत का होता है; लेकिन फिर भी हमने उसको बढ़ाकर साढ़े १२ प्रतिशत रखा है। अवस्थी जी ने जो २५ प्रतिशत की बात कही उसके पीछे कोई ठोस दलील नहीं दी कि इतना क्यों रखा जाय। इसलिये, इन शब्दों के साथ, मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय मोतीलाल जी का जो खंड ४ के उपखंड (ग) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति पांच में अंक "१२ १/२" के स्थान पर अंक "२५" रखने का संशोधन है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मोतीलाल जी ने कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं दिये जिससे सदन के सामने यह प्रकट होता कि क्यों "साढ़े बारह" के स्थान पर "२५" कर दिया जाय।

इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि बिजली विभाग जो उत्तर प्रदेश का पहले था और जो अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूप मे काम कर रहा है उसमें कितना कितना रुपया किस-किस मद में आया और कितना अपव्यय हुआ। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, और हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं, कि ८–९ वर्षों के अन्दर ५० करोड़ से अधिक रुपये का ठेका बिजली विभाग द्वारा दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खिलाफ नोट लिखा। गवर्नमेंट आफ इंडिया के पावर कमीशन ने खिलाफ नोट लिखा। फिर भी, बिजली विभाग के चीफ माथुर साहब ने लाखों रुपया बिजली विभाग का पानी की तरह से बहाया।

कंज्यूमर्स से जिन बिजली कम्पनियों ने पैसा लेकर अपने पास रख लिया उनको जमा कर देना चाहिये था; लेकिन नहीं किया। अब सरकार कहती है कि अब रखेंगे तो साढ़े बारह फीसदी ब्याज लिया जायेगा; कभी कहते हैं कि पूंजीपतियों में बड़ा रोष है; तो जो पूंजीपतियों पर बकाया होता है उसको बहुत मुलायमियत से लेते हैं। नहीं लेते हैं। चीनी मिल मालिकों पर तीन करोड़ रुपया बाकी है, सरकार नहीं लेती। सरकार जब दबाव खाती है तो एक प्रतिबन्ध लगाती है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं २५ फीसदी लिया जाय। बर्डन आफ प्रूफ जो हमारे ऊपर है वह हमारे ऊपर ही नहीं है बल्कि मंत्री जी के ऊपर भी है कि जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया, उनके ऊपर पैनाल्टी क्यों नहीं लगाई गई ताकि आइंदा किसी पूंजीपति को

ऐसा करने का मौका न मिलता कि वह सरकार के राजस्व में कमी करे। ऐसा मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। आपने १ अप्रैल से शुल्क माफ कर दिया। जब आप इतनी उनको छूट दे रहे हैं तो साढ़े बारह के बजाय २५ फीसदी करने में क्या एतराज है ?

अभी अखबारों में खबर छपी थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, गंगा ग्रिड, सारदा ग्रिड और थर्मल से जो बिजली पूर्वी जिलों को सप्लाई होती है, उससे भी शायद डेढ़ करोड़ रुपये सालाना का घाटा होगा। पहले डिपार्टमेंट ने कहा कि हम रिहन्द से बिजली पूर्वी जिलों को देंगे, लेकिन वह बिड़ला को दी। ५६ हजार किलोवाट जो बिड़ला को देने की बात है उसमें भी शायद कुछ इजाफा हो, ऐसी बात है। पूर्वी जिलों, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया आदि के लोग मारे जाते हैं और बिजली प्राइवेट मैनेजमेंट को मिलती है। नैनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, इलाहाबाद में बिजली की बहुत जरूरत है जहां छोटे-छोटे कारखाने लगते हैं। लेकिन उनको मार्टिन कम्पनी बिजली नहीं देती है, कहती है कि रात को १० बजे के बाद और ४ बजे के पहले देंगे, दिन में नहीं देंगे। इतनी बड़ी अव्यवस्था बिजली विभाग के चीफ माथुर साहब के जमाने में हुई, यह मेरा कहना है और उन्हीं माथुर साहब को सरकार फिर लाना चाहती है जिनके समय में लाखों, करोड़ों की गड़बड़ी हुई। तो हमारा कहना है कि यदि उन लोगों ने कनज्यूमर्स से पैसा ले करके अपने पास रख लिया, उसे सरकार को नहीं दिया, तो साढ़े १२ फीसदी सूद की जगह २५ फीसदी क्यों नहीं रखा जाता ? उनका प्रासीक्यूशन आपको करना चाहिये था। हमने यह कानून बनाया था कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अगर कोई कम्पनी न दे तो उसको एज लैंड रेवेन्यू वसूल किया जायगा। क्या मंत्री जी ने किसी का चालान किया ? अगर चालान किया होता और लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल किया होता तो माननीय अवस्थी जी को यह संशोधन लाने की नौबत न आती। यह तो सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की वजह से लाया गया है। इन शब्दों के साथ में माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीया, मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि थोड़ा समय लीजिये, लेकिन उनको यह जानना चाहिये कि बिजली के विभाग में लाखों करोड़ों का जो गबन है उसके संबंध में कहने का मौका हमें तभी मिलता है जब कभी पीसमील लेजिस्लेशन हमारे सामने आता है। वैसे तो कोई चीज हमारे सामने आती ही नहीं। बिजली विभाग के जो कारनामे हैं वे इस विधेयक में सन्निहित हैं और यही समय हमको मिलता है जब सरकार के कारनामों का परदाफाश कर सकें। सरकार उनसे क्यों घबड़ाती है ? माननीय उग्रसेन जी ने रिहेन्ड डैम के बारे में बताया, माथुर आदि के बारे में बताया, ये उद्घाटन उन्हीं के द्वारा हुए हैं, जैसा इन अखबारों में भरा पड़ा है। किस प्रकार से अंधेर मचा हुआ है ! एक इंजीनियर जो जिम्मेदार होता है जिसकी गलती से करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की संभावना हो जाय और सरकार के कान पर जूं न रेंगे और फिर भी सरकार यह चाहे कि जब कभी हमको सदन में कहने का मौका आवे वह हम न कहें ! यह सरकार की नीति है। सरकार भले ही यह समझे कि उसके कारनामों को जनता नहीं जान पाये, लेकिन हम उसके कार्यों को बड़े गौर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज दर की बात नहीं है बल्कि पालिसी की बात है जिसके अन्तर्गत सरकार पूंजीपतियों को रुपया पानी की तरह बहा रही है। आज यह पालिसी है जिसके अन्तर्गत सरकार गरीबों की गाढ़ी कमाई को वसूल करती है और फिर अपव्यय करती है। आपको जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग करने का हक नहीं है। लेकिन अगर सरकार इसको अपना हक समझती है तो हमारा भी अधिकार है कि उसकी गलतियों को पहले सदन में बतावें और फिर उसके बाद उन कार्यों को अमल में लाया जायगा जो उचित होंगे चाहे वह इनडायरेक्ट ऐक्शन हो, चाहे डायरेक्ट और उनको हम अख्तियार करते हैं। अभी ९८ माननीय सदस्यों ने कहा था कि सरकार मितव्ययी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कहा है। अब उनसे यह शब्द वापस लेने के लिये कहा जा रहा है, बार-बार दबाव डाला जा रहा है, यह कोशिश की जा रही है कि आचार्य जुगुलकिशोर अपने वक्तव्य को पलटने के लिये दूसरा वक्तव्य दें और यह कहें कि हम अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहते हैं; उन्होंने इस बात का उद्घाटन किया है। उन्होंने सरकार की खामियों में जो ६ बातें दिखलाईं, उनमें एक बात यह थी कि सरकार रुपये का दुरुपयोग कर रही है और उनका संकेत इसी बिजली के विभाग के संबंध में था जिसमें बड़े-बड़े चीफ इंजीनियर माथुर सरीखे लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया बरबाद किया और सरकार अब भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और अभी तक वे बचे हुए हैं, उनके साथ सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। इस संबंध में मैंने प्रश्न भी किये थे, लेकिन सरकार उनका जवाब नहीं देना चाहती और टालती रही है।

यह बिजली की सारी नीति असफल रही है और यह बात सरकार ने इसके द्वारा स्वीकार की है कि वह कृषकों के साथ न्याय नहीं करेगी। ट्यूबवेल्स जो कृषि कार्यों में इस्तेमाल किये जाते हैं, बिजली जो उनको दी जाती है, उसके लिये ४६ रुपये प्रति किलोवाट तक वसूल किये जाते हैं और ठीक उसी के बरखिलाफ १५० रुपये प्रति किलोवाट पर बिरला कम्पनी को बिजली दी गयी है। ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि सरकार की निगाह में यह चीज नगण्य है, लेकिन मैं ये बातें उनके लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि जनता के उस वर्ग के लिये कह रहा हूं जो बाहर सुन रहा है और जो सुनना चाहता है। (व्यवधान) जो भाई बीच में बोल रहे हैं उनका कर्त्तव्य यही नहीं है कि असेम्बली में आकर कांग्रेस के व्हिप के मुताबिक हाथ उठा दिया करें, बल्कि वे अपनी आत्मा की बात भी सुन लिया करें और व्यक्त किया करें। जिनकी आत्मा में अंधेरा ही अंधेरा है उनके लिये तो कोई चारा नहीं है और वे बेहयाई की हंसी हंस दिया करते हैं। मैं उनकी बुद्धि पर तरस खाता हूं, लेकिन हमने तो अपना कर्त्तव्य समझा है और उनको भी अपना कर्त्तव्य समझना चाहिये, यह नहीं कि हाथ उठा कर हमेशा चुप रह जाया करें। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे भी जिम्मेदार होंगे अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिसने उनको चुन कर यहां भेजा है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा लौट कर कि उन्होंने सरकार को किस रूप में सलाह दी---यही कि बड़े उद्योगपतियों के साथ रियायत की जाय? मैं तो समझता हूं कि कोई भी सदस्य अपनी पार्टी व्यवस्था से बंधता हो या न बंधता हो, लेकिन अपनी आत्मा से अवश्य बंधता है और इस वास्ते उसको सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के प्रति कर्त्तव्य भावना से प्रेरित हो कर कार्य करना चाहिये।

मैं विरोधी दल के सदस्यों से इसलिये यह अपील करता हूं कि वे मेरी बात को समझते हैं और उसका वे समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही सरकारी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वे अपनी आत्मा का हनन न होने दें और देखें कि सरकार द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वे कहां तक उचित हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से फिर अपील करूंगा कि वह हठवादिता से काम न ले, जरा सोच समझ कर काम करे। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ कोई व्यवस्था वह न करे, कोई रियायत न दे और उनको शोषण करने से रोकें। इस प्रकार सरकार अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचय न दे, बल्कि कर्त्तव्य पालन हेतु सचेष्ट रहे। मेरा संशोधन इसी कर्त्तव्य की ओर संकेत करता है और उसे यह सरकार अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये स्वीकार करे।

श्री धर्मसिंह---माननीया, मुझे कुछ नहीं कहना है। कोई ऐसी खास बात भी नहीं कही गयी है कि जिसका उत्तर दिया जाय सिवाय इसके कि इस सदन का समय लिया गया, जो बातें पहले कही जा चुकी थीं उन्हीं को दोहराया गया। जनरल डिस्कशन में वे तमाम बातें कही जा चुकी थीं और उनका उत्तर सरकार की तरफ से दे दिया गया था। तो इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ग) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति पांच में अंक "१२ १/२" के स्थान पर अंक "२५" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५–६

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में—

(१) खंड (ग) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय; तथा

(२) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ग-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ग-१) धारा ४ के अधीन लाइसेंसी द्वारा दिये गये ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और"

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) शब्द "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क)" तथा "के हिसाब में" के बीच में शब्द तथा कामा "तथा ब्याज, यदि कोई हो," बढ़ा दिये जायं,

(२) खंड (क) में शब्द "उपधारा (१) के" तथा शब्द "प्रतिबन्धात्मक" के बीच में शब्द "प्रथम" बढ़ा दिया जाय, तथा

(३) खंड (ख) में शब्द तथा अंक "धारा ३" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं और सदैव से ही रखे गये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ७ का संशोधन।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह (अध्यादेश) उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमिति (enactment) हो।

निरसन उ०प्र० अध्यादेश, संख्या ३, १९५९ यू०पी० ऐक्ट, संख्या १, १९०४।

श्री मुरलीधर कुरील—माननीया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की तीसरी पंक्ति में शब्द "वह (अध्यादेश)" तथा शब्द "उत्तर प्रदेश" के बीच में शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय।

अंग्रेजी वर्जन में तो ठीक है, लेकिन हिन्दी वर्जन में यह शब्द छूट गया है, इसलिये यह शब्द बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं माननीय अवस्थी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो यह कहा कि कुछ सदस्य अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस करते और जिस जनता ने उनको चुन कर भेजा है उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते, यह सदन इसलिये नहीं है कि उसका समय अनावश्यक ढंग से लिया जाय। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य आवश्यक बातें करता है और अवस्थी जी भी अपनी समझ से आवश्यक बातें ही कहते होंगे, लेकिन जो बातें उन्होंने आज कहीं उनमें से बहुतों का उनके संशोधन से कोई संबंध नहीं था, जनरल डिस्कशन में वे आ चुकीं मगर फिर भी उन्हीं बातों को वह दोहराते रहे।

श्री उग्रसेन--बिजली विभाग में इतनी गड़बड़ी चल रही है . . . .

श्री मुरलीधर कुरील--वह तो आप कई रोज से कह रहे हैं। रोज-रोज कहने से कोई फायदा तो है नहीं।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। एक बार अगर हो तो क्षमा किया जाना चाहिये मगर बार-बार यह कहना कि सदन के सम्मानित सदस्य सदन के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनुचित ढंग से बातें कर रहे हैं, यह चेयर पर आक्षेप होता है। इसका अर्थ यह होता है कि चेयर ऐसा निकम्मा है कि सदन के सम्मानित सदस्यों को सदन का समय नष्ट करने का मौका देता है। चेयर तो इसीलिये है कि कोई सम्मानित सदस्य सदन का समय अनुचित ढंग से न नष्ट कर सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य के लिये इस तरह की बातों को रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य भी कई बार ऐसे शब्द हाउस में कहते सुने गये हैं। (हंसी)

श्री धर्मसिंह--माननीया, जहां तक इस संशोधन का संबंध है जो माननीय मुरलीधर कुरील ने सदन में प्रस्तुत किया है उसमें एक शब्द गलत था; उसको मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ की तीसरी पंक्ति में शब्द "वह (अध्यादेश)" तथा शब्द "उत्तर प्रदेश" के बीच में शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--माननीया, यह पूर्णतया स्वीकृत हुआ। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्णतया स्वीकार करता हूं शायद कानून में इसका दूसरा अर्थ हो। मैं चाहता हूं कि यह लिखा जाय कि पूर्णतया स्वीकार किया।

श्री अधिष्ठाता--इसका एक ही मतलब है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा ७ जुलाई १९५९ को प्रख्यापित किया गया था;

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९५९

और "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्तन में न रहेगा, और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि वह विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम तुरन्त प्रवलित होगा सिवाय धारा २ के, जो १ अप्रैल, १९५९ से प्रवलित हुई समझी जायगी।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह--माननीया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, पारित किया जाय।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--माननीया, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध इसलिये करता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह अनावश्यक था और इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह लाकर सरकार ने उलझी हुई समस्या को और भी उलझा दिया है। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा लाकर उपभोक्ताओं पर लादने की कोशिश की है और लाइसेंसीज को बचाने की कोशिश की गयी है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को रियायत दी जानी चाहिये थी वह न कर के बड़े उद्योगपतियों को भी इसमें शरीक कर लिया गया है। यह भी है कि ड्यूटी को जो बड़े-बड़े उद्योगपति रोक रखते थे उसके सम्बन्ध में सरकार ने अधूरा काम किया है। यह उचित नहीं है। इस प्रकार की कई बातों के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि इसे पास न किया जाय।

श्री धर्मसिंह--माननीया, कोई खास बात नहीं कही गयी है और यह निवेदन किया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि इस पर काफी बहस हो गयी है और आदरणीय सदन ने मान लिया है कि इसकी आवश्यकता थी। जहां तक उपभोक्ता की डेफीनीशन का सवाल है, हमारे ऐक्ट में कंज्यूमर्स की कोई डेफीनीशन नहीं थी इसलिये इसको लाया गया है जो बहुत ही आवश्यक था।

श्री राजनारायण--इस समय सदन में कोरम नहीं है और दो बज चुके हैं।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९

श्री अधिष्ठाता--माननीय गृह मंत्री।

(श्री रामस्वरूप यादव के उठने पर)

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं उनके बोलने के पहले। श्रीमन्, आपने अभी आज्ञा मंत्री जी को दी है कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत करें। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १६३, १६४ और १६५ की ओर दिलाता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

१६३ में दिया हुआ है--"विधेयक, जिनको परिषद् ने पारित किया है--जब कोई विधेयक जो परिषद् में प्रारम्भ हुआ हो और परिषद् ने उसको पारित किया हो, सभा में प्राप्त हो तो विधेयक की प्रतिलिपियां यथाशीघ्र मेज पर रखी जायंगी।"

नियम १६४ यह है--

"विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव की सूचना--नियम १६३ के अन्तर्गत प्रतिलिपियों के मेज पर रखे जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।"

(इस समय २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री राजनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आ गये। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था। इसमें शिक्षा उपमन्त्री जी को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गयी। तो मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि इसका अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। वह प्रक्रिया नियमावली के नियम १६४ में है। इसमें लिखा है---

"नियम १६३ के अन्तर्गत प्रतिलिपियों के मेज पर रखे जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मन्त्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।" अब इस धारा के अन्तर्गत कल हमारे सचिव ने इसको मेज पर रखा लेकिन तत्पश्चात् किसी भी मन्त्री ने यह सूचना नहीं दी कि इसको विचारार्थ लिया जाय और यह १६४ की कार्यवाही कतई नहीं की गयी। उस कार्यवाही के न करने के बाद आज १६५ के अन्तर्गत विचार करने का प्रस्ताव जो आया है उसमें भी लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाय, जो जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, सूचना पाने के बाद से दो दिन से कम का न होगा, उस दिन सूचना देने वाला सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय। लेकिन मेरी सारी आपत्ति नियम १६४ के अन्तर्गत है कि यह प्रतिलिपि रखे जाने के बाद किसी भी मंत्री ने यह सूचना नहीं दी कि इसे विचारार्थ रखा जायगा जो कि आवश्यक था, मैन्डेटरी था और होना चाहिए था। मैं फिर प्रार्थना कर दूं कि १६५ में जो अध्यक्ष को कुछ मौक़ा है कि चाहे तो दो दिन की अवधि को कैंसिल कर दे वह १६४ में नहीं है और वह दफ़ा १६४ नितान्त मैन्डेटरी है। इसमें कोई भी ऐसा अधिकार किसी प्रकार का अध्यक्ष आदि के पास नहीं है। तो मैं दफ़ा १६४ के अन्तर्गत यह कह रहा हूं कि यह प्रस्ताव जो आज हो रहा है यह प्रक्रिया नियमावली के विपरीत है। आज विचार करने का प्रस्ताव दफा १६४ के मुताबिक नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष--१६४ पर एतराज है आपको, १६५ पर नहीं है ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वह तो बाद में आयेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहस रोकना नहीं चाहता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---सवाल यह है कि एक वैधानिक प्रश्न मेरे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, जब तक उस पर अन्तिम निर्णय न हो जाय तब तक दूसरा प्रश्न मैं नहीं ले सकता।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, यह जो आपत्ति माननीय अवस्थी जी ने उठाई है वह इस माने में सही नहीं है कि कौंसिल से पास होने के बाद १३ तारीख को ही यह यहां आया। उस रोज ढाई बजे या ३ बजे अधिवेशन असेम्बली का समाप्त हो गया था और यह, जो पिजन होल्स होते हैं उनमें रख दिया गया। तो इस प्रकार से इसका सन्देश वहां से आ गया था और अब कल जब असेम्बली बैठी है तो उसके सामने भी आया। वैसे यह १३ तारीख को ही आ गया था।

श्री उपाध्यक्ष—यह कहा जा रहा है कि १६४ में यह लिखा है कि कोई मन्त्री या अन्य किसी दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकेगा। यह कार्यवाही कब की गयी, सरकार की तरफ से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया मान्यवर, कि यह जो कौंसिल से सन्देश आया वह यहां असेम्बली में पेश होना चाहिए था। उस रोज सहसा असेम्बली का अधिवेशन ३ बजे समाप्त हो गया। नहीं तो वह यहां उसी रोज प्रस्तुत हो गया होता, और कल यह एजेंडे पर आ गया जब असेम्बली फिर से मीट हुई तब।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अफसोस यह है कि माननीय अवस्थी जी को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने समझने का कष्ट नहीं किया। यह यहां प्रश्न नहीं है कि कब आ गया था, पिजन होल में रखा गया था या नहीं रखा गया था १३ तारीख को या १२ तारीख को। जब भी यह यहां आया था, जब भी असेम्बली उठी वह नियम के अन्तर्गत उठी। नियमित रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने या अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब आगे कार्यवाही नहीं होगी। तो सरकार का यह तर्क बिलकुल महत्वहीन है कि उस दिन आ गया था और कबूतरखाने में रख दिया गया। उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कोई विधेयक परिषद् से पारित होकर इस सभा को प्राप्त हो तो उस विधेयक की प्रतिलिपि यथाशीघ्र मेज पर रखी जायगी। कल हमको यहां पर सूचना मिली और विधेयक की प्रतिलिपि भी रखी गयी। यह कल काम हुआ। अब यह देखा जाय कि १६३ के बाद १६५ धारा है। उसके बीच में १६४ धारा पड़ती है उसको भी हमको देखना चाहिये। नियम १६२ के अन्तर्गत प्रतिलिपियों के मेज पर रखे जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मन्त्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।"

अब प्रश्न यह है कि क्या यह सरकारी विधेयक है ? यह गैरसरकारी विधेयक नहीं है। क्या किसी मंत्री ने यह सूचना दी कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय। जब यह सूचना मन्त्री देगा तब अध्यक्ष महोदय का काम आयेगा और सदन के सदस्यों का कर्तव्य भी आयेगा कि सदस्य इसको देख लें और पढ़ लें क्योंकि उनको पढ़ने और मनन करने का समय चाहिये ताकि उससे सम्बन्धित विषयों की जानकारी करें। इसीलिये उनके लिये दो दिन का समय रखा गया है। जब वह आज मेज पर रखा गया है तो दो दिन का समय मिलना चाहिये उसका अध्ययन करने के लिये। तब वह विचारार्थ लिया जाय। अध्यक्ष महोदय को एक अधिकार दिया गया है कि एक मन्त्री अध्यक्ष महोदय से निवेदन करे कि कोई एक अहम प्रश्न है और बहुत अहम विधेयक है अगर इसको नहीं लिया जायगा, शासन हिल जायगा। तब अध्यक्ष महोदय इस समय को कम कर सकते हैं। क्या यह प्रार्थना किसी स्तर पर की गयी ? हम को यह हक है कि जब मन्त्री महोदय अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करें तो हमको भी प्रार्थना करने का समय मिले और अध्यक्ष महोदय हमारे ऊपर भी कृपा करें।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक आपत्ति समझता हूं उसमें १६४ नियम के अन्तर्गत माननीय राजनारायण जी का यह कहना है कि यह सरकारी बिल है तो मिनिस्टर को अपने इन्टेन्शन को बतलाना चाहिये।"

"At any time after copies have been laid on the Table under rule 163 any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case, any member, may give notice of his intention to move that the Bill be taken into consideration."

आपकी आपत्ति यह है कि मिनिस्टर ने अपने इन्टेन्शन को जाहिर नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १६२ के अन्तर्गत जो कापीज लेड की जायंगी, उनका मतलब यह है उस बिल

[श्री रामस्वरूप यादव]

से जो विधान सभा में पहले लाया जायगा। उसके बारे में ही यह आवश्यकता है। जो बिल विधान परिषद् से पास हो गया उसके विषय में १६३ में दिया हुआ है कि :

"When a Bill originating in the Council has been passed by the Council and is received in the Assembly, copies of the Bill shall be laid on the table as soon as possible."

उसके अनुसार कार्य हो गया। १३ तारीख को ही उस बिल की कापीज़ को पीजियन होल में रख दिया गया ताकि माननीय सदस्य उनको अपने प्रयोग में ला सकें। जहां तक १६४ की बात है, उसका विवरण १६२ में दिया गया है। लिहाजा इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—आप यह देखें कि हमारे उपमन्त्री जी जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह एक गलत पुस्तक को ले कर पढ़ रहे हैं इसमें जो मन्त्री जी १६२ बता रहे हैं वह मिसप्रिंट है। शुद्ध कापी उनके हाथ में होनी चाहिये। मेरे पास करेक्टेड कापी है। इसमें १६३ है और आप देखें कि इसमें जो "जे" लिखा हुआ है—"प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल इंट्रोड्यूस्ड इन दि कौन्सिल" वह १६३, १६४ से शुरू हुआ है। १६२ में यह बात ही नहीं है। जो मिसप्रिंट हो गया है उसका बेजा फायदा उठाते हुए मंत्री की हैसियत से मैंने किसी को आज ही देखा है। मेरे पास करेक्टेड एडिशन है और हिन्दी में सही बात मौजूद है। अंग्रेजी को वैसे ही हम अपनी भाषा में नहीं मानते तो उसको आप सही मानेंगे अथवा हिन्दी की कापी को। अंग्रेजी का सहारा मंत्री जी ले रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि १६३ में ऐसे बिल की प्रतिलिपि मेज पर रखी जायगी और २० तारीख की कार्यवाही में भी यह था कि सचिव विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त "उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९" की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे। और उन्होंने रखी थी और रखने का कार्यवृत्त भी हमारे सामने है। इसमें लिखा है कि सचिव विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९, रखा। इसी कार्यवृत्ति में यह कहीं नहीं लिखा है कि दफा १६४ के मुताबिक मंत्री ने इस प्रकार की सूचना दी कि हम इसको लेंगे। अगर इस प्रकार की कोई बात हुई होती तो वह कार्यवृत्ति में होती। आप इसको देख लें। दफा १६४ की कार्यवाही नहीं हुई है। यह मैन्डेटरी है और इसके लिये आप स्वीकृति न दें।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने दो प्रश्न हैं। एक तो श्री मोतीलाल जी और राजनारायण जी ने दफा १६४ की तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन उन्होंने यह बतलाने का कष्ट नहीं किया कि वह विधान सभा में ही सूचना जाहिर कर सकते हैं या अध्यक्ष के सेक्रेटेरियट में भी सूचना दे सकते हैं। तो ऐसी दशा में इन नियमों में यह कहीं नहीं है कि विधान सभा में जब कार्यवाही हो रही हो तो उस वक्त उसकी सूचना दें सरकार की तरफ से माननीय अध्यक्ष को या उनके सचिवालय को काफी पहले इस सम्बन्ध में सूचना मिल गयी है। माननीय सदस्यों को १४ अगस्त को भेजा गया है मेरे सचिवालय की तरफ से और उसके अन्तिम पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ पर विचार। तो सरकार या माननीय मंत्री की यह इच्छा कि यह प्रस्ताव विचारार्थ लिया जायगा माननीय अध्यक्ष और उनके सचिवालय के सामने पहले से ही विराजमान हैं और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्होंने कार्यसूची में उस को रख कर माननीय सदन के सदस्यों को बतला दिया। तो दफा १६४ का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह आवश्यक नहीं है कि वह विधान सभा में ही यह सूचना दें। वह सूचना भेज चुके हैं। अब दो दिन का समय देने की जो बात है...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप मेरी बात एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठ जाइये। आप रूलिंग पर कुछ नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण--रूलिंग पर नहीं कह सकते, लेकिन अपनी बात बतला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं जो रूलिंग दे रहा हूं उसे आप सुन लें। आप नियम जानें कि....

श्री राजनारायण--मैं नियम जानता हूं, लेकिन मैं रूलिंग से असहमति प्रकट कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--नियम १६५ में जो दो दिन की व्यवस्था दी हुई है वह उससे पूरी हो जाती है कि माननीय सदस्यों को १४ तारीख को ही सचिवालय द्वारा एक विवरण-पत्र भेजा जा चुका है। इसलिये यह दोनों आपत्तियां अस्वीकृत करके, मैं इस...

श्री राजनारायण--मैं इस व्यवस्था से असहमति प्रकट करता हूं। अगर सदन में यह बात मानी गयी थी तो कल सदन की मेज पर यह क्यों रखा गया था?

श्री उपाध्यक्ष--आपने असहमति प्रकट कर दी। अब बहस करने की गुन्जायश नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप की रूलिंग के विरुद्ध मैं वाक आउट करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी रूलिंग उचित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--थोड़ा निवेदन मुझे करना था नियम १३१ के सम्बन्ध में। जो मौजूदा बिल है यह आधारित है आर्डिनेन्स पर और आर्डिनेन्स में कठिनाइयों के निवारण आदेश जो दिये गये हैं, उनकी वजह से जारी हुआ। ऐसा उसमें कहा गया है। तो यह जो मौजूदा बिल है यह आधारित है उन स्टैट्यूट्स पर और फैसला हाई कोर्ट का उस पर हुआ है। तो मैं मांगना चाहता हूं ये कागजात ताकि हम उन्हें पढ़ें और ठीक बात यहां कह सकें। इससे माननीय मंत्री जी को भी सुविधा होगी और हमको भी ठीक-ठीक समझने में सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--जहां तक हाई कोर्ट के निर्णय का सवाल है इस आसन से व्यवस्था हो चुकी है कि वह तो पब्लिक डाक्युमेंट है, उसका दिया जाना आवश्यक नहीं है और रेगुलेशंस के बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके ऊपर यह बिल आधारित है क्या वह माननीय सदन के सदस्यों के सामने आये हैं या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--स्टेट्यूट्स से मतलब होगा आपका?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर, जिसका इससे संबंध है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि वह गजट में निकल चुका है। गजट सदस्यों के पास आता है...

श्री उपाध्यक्ष-- आपने कहा कि खयाल है...

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी, निकल चुका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--तो मेरा निवेदन यह है कि रोज हमें इस तरहके एतराज करने पड़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी चीजों की जब हम रोज मांग करते हैं तो सरकार क्यों इतनी dilatory tactics करती है कि कभी ध्यान नहीं देती। हम उनको दिक करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें ठीक knowledge हो ताकि ठीक ठीक बात कह सकें। एक तो एक दम ऐसे बिल पेश किये जाते हैं--लोक सभा में देखा कि एक महीने पहले जितने बिल होते हैं वे डाक से सदस्यों के पास भेज दिये जाते हैं

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

ताकि घर से सदस्य पढ़ कर आयें और यहां अच्छी तरह से बहस में भाग ले सकें। लेकिन इससे हमारे यहां बिल समुचित रूप से छापे भी नहीं जाते और हाई कोर्ट सब अपसेट कर देती है और जैसी शिकायत है कि डिबेट का स्टैंडर्ड गिरता जाता है तो हम कोई नजूमी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, आप ने इस बात की आवश्यकता की ओर ध्यान दिला दिया। मैं समझता हूं डिजायरेबिलिटी के तौर पर अगर माननीय मंत्री जी के पास वह चीजें उपलब्ध हों तो वह दिखला दें, लेकिन १३१ के मुताबिक कोई बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री राजनारायण--मुझे यह निवेदन करना है कि ...

श्री उपाध्यक्ष--यह किस नियम के अनुसार कर रहे हैं। १३१ नियम का सवाल तो समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण--यह ठीक है, मैंने सुन लिया, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि स्टैट्यूट्स के बारे में उनका खयाल है कि वह गजट में प्रकाशित हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--बाद में उन्होंने कहा है कि गजट में प्रकाशित हो गये हैं।

श्री राजनारायण--आप ने जब सुझाया तो उन्होंने कहा। वह तो गलत बयानी होगी अब।

श्री उपाध्यक्ष--आप साबित करें और अगर उन्होंने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण--मेरा कहना है कि वह गजट में प्रकाशित नहीं हुई है। यह वह कल्पनावश कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आप ही उनके दिल की बात जान सकते हैं, मैं नहीं।

श्री राजनारायण--तो १३१ नियम की पाबन्दी भी नहीं होगी मेम्बरों को सुझाव रखने के लिये ४८ घंटे का समय भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष-- १३ तारीख से २० तारीख तक कम समय है?

श्री राजनारायण-- हम तो कल से मानते हैं। अगर १३ तारीख से मानेंगे तो कल प्रतियां मेज पर क्यों रख दी गयीं?

श्री उपाध्यक्ष--यह भाषण आप किस सम्बन्ध में दे रहे हैं?

श्री राजनारायण--मैं इस सम्बन्ध में दे रहा हूं कि अगर आज इस बात पर विवाद होगा तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे और इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, आप भाषण जारी रखेंगे।

(सोशलिस्ट दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, यह अभी जो थोड़ा-सा जिक्र किया गया वह सब गजट में प्रकाशित हो चुका है और करीब-करीब साल भर से निकल रहा है। उनकी तारीखें भी स्पष्ट हैं, तमाम सब गजट निकले हैं और ऐसा कोई डाक्यूमेंट नहीं है जो सदस्यों के पास न गया हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ (The U.P. Universities Bill, 1959.) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस बिल को ले आने की आवश्यकता इस लिये पड़ी कि २२ जून को एक आर्डिनेंस निकला और नियमानुसार जब एक आर्डिनेंस निकला तो उसे फिर बिल की शक्ल में विधान सभा के सम्मुख और विधान परिषद् के सम्मुख आकर के स्वीकार होना आवश्यक है, तभी वह कानून की शक्ल पाया करता है । अभी कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव इसी आदरणीय सदन में उपस्थित किया गया था और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो आर्डिनेंस निकला है उसको अस्वीकार किया जाय, उसके डिसएप्रूवल का प्रस्ताव वह था । उस प्रस्ताव पर मान्यवर, प्रायः सारे दिन यहां बहस रही कि आर्डिनेंस क्यों निकला, कौन कौन से प्रश्न थे जिनको सुलझाने के लिये आर्डिनेंस को निकालने की जरूरत हुई, किन सिद्धांतों और किन कारणों से वह व्यवस्था की गयी, इस सारे प्रश्न पर बड़े विस्तार के साथ इस सदन में विचार हो चुका है और अब उसी आर्डिनेंस के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है । मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नयी बात कहने के लिये बाकी है, कम से कम मेरे लिये जब तक कि मैं माननीय सदस्यों की राय न सुन लूं, मुझे कोई नयी बात कहने के लिये है नहीं । यह सोचना कि इस बिल की कोई ज्यादा नोटिस नहीं थी, वह नोटिस तो थी ही और फिर यह भी स्पष्ट है कि इस बिल पर विचार अभी विधान परिषद् में हुआ और साथ ही साथ आर्डिनेंस के डिसएप्रूवल के लिये जो प्रस्ताव आया था उस पर भी खासा विचार हो गया तो यह मालूम तो है ही पूरी तरह से कि इस बिल में तथ्य क्या हैं और कौन सी बातें इस बिल में रखी गयी हैं जो समाविष्ट हैं ।

मान्यवर, यह बिल इस विचार से है कि जो आदेश, डिफीकल्टीज को रिमूव करने वाला, कठिनाइयों को दूर करन वाला सरकार की ओर से निकले उन आदेशों को वैलीडेट किया जाय, कानून की शक्ल दी जाय । तीन बातें मुख्य रूप से इस में हैं । एक तो यह है कि जब नया ऐक्ट हमारा बना सन् १९५७ का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो नये ऐक्ट बने, उन नये ऐक्ट्स में कुछ व्यवस्था की गयी, खास करके लखनऊ विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था की गयी, कि यहां चुनाव प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से होगा जैसा कि और विश्वविद्यालयों में था, यहां नहीं था और उसके अनुसार स्टैट्यूट्स बनाने का जो अधिकार दिया गया था, स्टैट्यूट्स में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन किये गये । तो उन स्टैट्यूट्स में यूनिवर्सिटी की जो बाडीज रही हैं, एथारिटीज रही हैं, उनका संघटन हो जाना चाहिये, इसके लिये सरकारी आदेश निकला और एक डेट तय की गयी कि फलां तारीख तक तमाम यूनिवर्सिटीज की बाडीज का संघटन हो जाय । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो कुछ मोहलत मांगी क्योंकि उनके यहां सिलवर जुबली होने वाली थी और तारीखें करीब-करीब वही पड़ती थीं जिन तारीखों तक बाडीज बन जानी चाहिये । वह मुहलत उनको दी गयी ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जब स्टैट्यूट्स को इम्पलीमेंट करना शुरू किया तो कुछ कठिनाइयां पैदा हुईं और हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुए । हाई कोर्ट ने एक रिट पर यह फैसला किया कि ऐक्ट की भाषा और स्पष्ट होनी चाहिये थी । अगर उनका मंशा यह था कि बाडीज की टर्म डिटर्मिन हो गयी, उनकी अवधि निश्चित हो गई, तो फलां तारीख तो ये समाप्त हो और नये चुनाव होकर फिर से अधिकारी बनें, तब निस्संदेह ऐक्ट की शब्दावली उनकी निगाह में स्पष्ट होनी चाहिये थी । उसके बाद रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर निकाल कर वह स्पष्ट की गयी । ऐक्ट में उन्हीं शब्दों को रखा गया जिनकी कमी हाई कोर्ट ने महसूस की थी । इस पर भी कुछ रिट दाखिल हो गये और इसका नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट से इंजंकक्न जारी हुए और बाडीज और अथारिटीज का सारा इलैक्शन रुक गया । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो अपना काम शुरू किया और वह मुहलत बीतने के बाद उसे खत्म कर रही है । लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन मुकदमों के कारण हमारा काम रुक गया । फिर जैसा कि हाई कोर्ट की राय थी, यह विचार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

किया गया कि इसे ऐक्ट में ही लाकर स्पष्ट करना उचित है और क्योंकि हाई कोर्ट की ऐसी राय है तो वह आर्डिनेंस २२ जून को निकाला गया जिसमें उन शब्दों का समावेश किया गया ।

दूसरे, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने यह निश्चय कर लिया था कि वाराणसी के उससे सम्बद्ध सभी कालेज डिसएफीलियेट कर दिये जावें। बनारस विश्वविद्यालय भारत सरकार का है और उसके ऐक्ट और रूल्स तथा रैग्यूलेशन्स वहीं से संचालित होते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी ने यह तय किया कि वह सब कालेज असम्बद्ध करके केवल रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी रहे। ऐसा कुछ निश्चय उनका हुआ। इसकी सूचना उन्होंने सम्बद्ध कालेजों को दी कि शायद जुलाई से आपको इससे असम्बद्ध होना पड़ेगा। इसलिये आप अपना प्रबंध कर रखें। इसके लिये कालेजों ने बड़ी उत्सुकता प्रकट की और सरकार के पास आवेदन-पत्र आये कि हमारे लिये प्रबंध कर दिया जाय, नहीं तो जुलाई नजदीक है और हमारे असम्बद्ध होने से एडमिशन रुक जावेंगे और आगे चलना कठिन हो जायगा। परिणामतः इस बात की आवश्यकता हुई कि कोई ऐसा आदेश निकाला जाय जिससे असबद्ध किये गये कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से हम सम्बद्ध कर सकें। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने की बात हुई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कार्यक्षेत्र के भीतर वाराणसी अभी तक नहीं था क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी ने वहां के कालेजों को सम्बद्ध कर रखा था और देहात के कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध थे। ऐसी हालत में बनारस कमिश्नरी के पांच जिलों में वाराणसी को भी शामिल कर लिया जाय, इस तरह से उस आर्डिनेंस में आदेश निकालने की बात तय हुई ।

साथ ही साथ उस आर्डिनेंस में एक विषय यह भी रखा गया कि यूनिवर्सिटियां अपनी कोई अचल सम्पत्ति रेहन या बय न कर सकें। इसका कारण यह था कि क़र्ज़ की मात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय पर तो बहुत अधिक थी और बहुत थोड़ा सा संकेत प्रयाग विश्वविद्यालय पर भी दिखाई पड़ा कि वहां कर्ज की मात्रा बढ़ रही है। यह स्थिति ऐसी थी कि सन् ५४ तक लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों पर खासी रकम कर्ज की थी, कई कई लाख शायद १६ लाख के करीब लखनऊ पर और १८ लाख या कितनी प्रयाग विश्वविद्यालय पर थी। उस कर्ज को सरकार ने सन् ५४ में अदा करने का निश्चय किया क्योंकि कर्ज के लदे रहने से यूनिवर्सिटयों में परेशानी थी और चूंकि यूनिवर्सिटियां दे नहीं सकती थीं, इसलिये सरकार को ही देना होगा और कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिसके भविष्य में फिर इस प्रकार से कर्ज का बोझ यूनिवर्सिटियों के ऊपर न लद सके। किस्त के रूप में सरकार ने सन् ५८ तक दोनों यूनिवर्सिटियों का कर्ज अदा कर दिया। दुःख की बात यह थी कि एक तरफ तो यह कर्ज अदा किया जा रहा था और दूसरी तरफ लखनऊ विश्वविद्यालय में सन् ५४ और ५८ के बीच में फिर कर्ज हुआ ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--किसने लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अवश्य ही यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउन्सिल ने लिया जो वहां की जिम्मेदार है ।

एक खासी बड़ी रकम लखनऊ विश्वविद्यालय पर और वहां के मेडिकल कालेज पर कर्ज हो गयी, दोनों पर मिला कर करीब ३७, ३८ लाख रुपया कर्ज हो गया। प्रयाग पर कोई कर्ज नहीं था। ३ लाख रुपये का उनका कर्ज है जो कोई विशेष बात नहीं थी जो लेन-देन से समाप्त होता। प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी पर कर्ज हो जाय, तो उसे एक न एक दिन यहां की जनता को उठाना ही होगा क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि यूनिवर्सिटी की मेज कुर्सी या लेबोरेटरी कुर्क हो जायं। सरकार के सामने यह प्रश्न था कि यदि इसी प्रकार विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता के नाम पर कर्ज लेने का अधिकार यूनिवर्सिटी प्रयोग करती रहें और फिर उसका भार सरकार के ऊपर लाद दें और स्वयं सरकार का कोई नियंत्रण उनके ऊपर न हो क्योंकि न होना चाहिये, ऐसी विशेष नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ी हद तक उन्हें स्वतंत्र होना चाहिये

नियंत्रण बढ़ी हो कि बजट के बाहर न जावें, अनअथराइज्ड खर्चा न हो। यूनिवर्सिटियों से कभी कहा भी गया तो बहुत से मामलों पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो यह व्यवस्था की गयी कि अपनी अचल सम्पत्ति को यूनिवर्सिटियां रेहन इत्यादि न करें।

इस विचार से ऐसा हुआ कि कदाचित् जो बैंक्स वगैरा लोन्स ऐडवान्स करते हैं, उनके लिये कुछ रुकावट होगी और इस प्रकार मनमाना कर्जा लेने में भी कुछ रुकावट होगी। और कई काम भी किये जा सकते थे जैसे कि माननीय सदस्यों ने आर्डिनेंस के ऊपर चर्चा करते समय सुझाव दिये थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि कमीशन कायम कर दिया जाय या फन्ट्रोलर एप्वाइन्ट कर दिया जाय। लेकिन मान्यवर सरकार की यह नीति रही है कि यूनिवर्सिटीज के कामों में कम से कम हस्तक्षेप हो। और यदि कोई ऐसी चीज है जिस पर रुकावट लगना आवश्यक है तो वह रुकावट इस प्रकार की लगायी जाय कि स्वेच्छा से रुकावट लग जाय और सरकार अपने हाथ में कम से कम अधिकार रखे जिससे वह उन पर नियंत्रण रख सके।

जैसा मैंने निवेदन किया इस बिल में मुख्य रूप से तीन बातें हैं। इस बिल के स्वीकार हो जाने से, यूनिवर्सिटीज में अथारिटीज की जो बाडीज नहीं बन सकीं हैं, वे शीघ्र से शीघ्र बन जायंगी। एक यूनिवर्सिटी में तो आज एक रिक्तता की सृष्टि हो गयी है, न एक्जीक्यूटिव कमेटी है, न सेलेक्शन कमेटी है और न कोर्ट ही है, सब काम रुके पड़े हैं। यह सब मुकदमेबाजी के कारण से ही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटीज में इस तरह की मुकदमेबाजी न हुई होती तो उनके बाडीज बन गये होते। इलाहाबाद के करीब-करीब बनने को जा रहे हैं। कई बाडीज तो बन भी गये हैं। ऐक्जीक्यूटिव शीघ्र ही बन रही है। इस प्रकार से वैक्यूम हो जाने से प्रोफेसर्स का सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी दृष्टि से आर्डिनेंस निकाला गया था। इसीलिये यह बिल यहां उपस्थित किया जा रहा है। अतः यह विधेयक जैसा कि विधान परिषद् से संशोधित हुआ है, विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इस बिल के ऊपर विचार करे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक में आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसमें १५ दिन के स्थान पर ७ दिन कर दिया जाय। उसके बाद मेरा संशोधन इस प्रकार हो जायगा--

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, यह जो विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, जहां तक उसकी स्पिरिट का प्रश्न है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन यह विधेयक कई प्रश्न पैदा करता है। सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि आया इस विधेयक के द्वारा जो कर्जे हैं, जो वहां पर आर्थिक अव्यवस्था थी उसको ठीक करना चाहते हैं, आया वहां के टीचर्स जो ऐफीशियेंसी बार पार नहीं कर पाये हैं आदि चीजों में आप सुधार इसके द्वारा करना चाहते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि आया इस यूनिवर्सिटी आटोनामी पर, जिसके कि माननीय मंत्री जी स्वयं उपासक हैं, उस पर अधिक से अधिक कन्ट्रोल किया जाय या फिर से उसको रेस्टोर किया जाय। माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है--कि २२ जून, १९५९ को गवर्नर ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश को प्रख्यापित किया था जिसके उद्देश्य तथा कारण २७ जुलाई, १९५९ को सदन के समक्ष रक्खे गये ज्ञापन में बताये गये हैं। तो मैं आपके जरिये

[श्री प्रतापसिंह]

माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम उद्देश्य और कारण इस विधेयक के वही समझें, जो इस अध्यादेश के प्रस्तुत करते समय सरकार ने हमको बतलाये थे। सर्वप्रथम तो बात यह है कि जहां तक अध्यादेश को इस विधेयक के रूप में नियमानुकूल व्यवस्था करना तो ठीक ही है लेकिन जैसा कि अभी हमारे सामने कहा गया है कि कई लोगों ने यह मत प्रकट किया कि कुछ इन्क्वायरी कमेटी होनी चाहिये और वहां के फाइनेंस पर कंट्रोल होना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं और अगर ऐसा होगा तो एक प्रकार से उनके अधिकारों का अपहरण होगा। मैं समझता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन (७) में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार का यूनिवर्सिटी के ऊपर कहां पर कंट्रोल फाइनेंस पर होना चाहिये। अगर यूनिवर्सिटी में कोई आर्थिक गड़बड़ी हो तो उसके सम्बन्ध में सेक्शन (७) लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में लिखा हुआ है। आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं--

"*Visitation*—The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College."

तो मान्यवर, फाइनेंस पर कंट्रोल करने के लिये तो सरकार का हस्तक्षेप होगा और लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार सरकार को यह अधिकार है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में अगर सरकार का हस्तक्षेप होता है तो इसको हम यह नहीं समझ सकते हैं कि उनके अधिकारों का अपहरण हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

जहां तक इस विधेयक का मन्तव्य है, बार-बार इस बात को कहा गया है कि कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कर्जा लेती चली जाती हैं लिहाजा उन पर कंट्रोल करना है। मुझे यह सुन कर हंसी आती है कि यह जो दफा ३ है उसमें कहीं भी कर्जा लेना रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर कैसे कहा जाता है कि इससे कर्जा लेना रुक जायगा। यह कहा गया है कि किसी यूनिवर्सिटी को न तो अपनी अचल सम्पत्ति बेचने का हक है, न उसे गिरवी रखने का हक है और अगर हाई कोर्ट की कोई डिग्री हो जाती है तो उस का भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दफा में कौन सा शब्द छिपा हुआ है जिससे यह मालूम होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर कर्जा लेना चाहें तो नहीं ले सकती हैं। मैं समझता हूं कि जिस मन्तव्य से इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है धारा ३ उसको पूरा नहीं करती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि क्या कारण है जिससे माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाये इसको बतलाने की कृपा करेंगे।

आज जरूरत तो इस बात की थी कि तमाम यूनिवर्सिटीज के टीचरों में जो ट्रेड सिस्टम लागू न करने के सम्बन्ध में असन्तोष है, तथा बहुत से बाहरी प्रोफेशनल पोलिटिशियन्स जो अध्यापकों को अपने हाथ में किये हुये हैं, उन सब को देख कर एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक लाया जाता लेकिन ऐसी कोई भी धारा इस बिल के अन्दर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किस यूनिवर्सिटी ने उनके पास लिख कर भेजा या उनके पास यह खबर आयी कि अमुक यूनिवर्सिटी ने अपनी लेबोरेटरीज अपनी बिल्डिंग या अपनी साइंस की इमारत को मार्गेज कर दिया है और उसको बेंचा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहा गया कि कुछ कालेज बनारस विश्वविद्यालय से लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय में सम्बद्ध करना चाहते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर बात क्या है। सबसे पहली बात यह है कि इससे यह मालूम होता है कि सरकार उनकी आटोनामी को हड़प करना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं स्विस

का एक उदाहरण रखना चाहता हूं—That they will prefer to surrender the Government, Grant than the interference of Government." यानी सरकार के हस्तक्षेप को वे नापसन्द करते हैं। दूसरी चीज जो माननीय मंत्री जी ने कही और जो आर्डिनेंस में भी थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन्स ने और वहां की एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने रिट दायर किये। सन् १९४८ के संशोधन ऐक्ट की धारायें इतनी अच्छी थीं कि उन को सब ने स्वीकार किया था लेकिन आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और जैसा कि आज माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला कि रिट की वजह से वहां के तमाम बाडीज के चुनाव न हो सके और वहां की व्यवस्था भी ठीक से नहीं चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान की धाराओं के अनुसार न्याय पाने के लिये कौन बाधक हो सकता है? उन धाराओं में हमारे लिये खुली छूट है और न्याय शाखा हमारी रक्षा करती है। न्याय शाखा के पास ऐसे तरीके से जाना एक अच्छा उदाहरण होगा। जब सरकार के पास एक लीगल डिपार्टमेन्ट है और एक कानूनी सलाहकार उन के साथ बैठते हैं तो वह समय से उन को क्यों सही राय नहीं देते? क्यों नहीं उन्होंने सोच समझकर उस को बनाया? अगर मैं कहूं कि सरकार का लेजिस्लेशन फाल्टी होता है तो इस में कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस तरह से बार-बार कानून और संशोधन लाने से हमारे एक्सचेकर पर फजूल का भार पड़ता है। सन् १९२१ से सन् १९५५ तक ३५ साल में आज तक लखनऊ यूनिवर्सिटी शान से चल रही है कोई गड़बड़ी नहीं हुई लेकिन फिर भी अब अगर कर्जे की बात कही जाती है तो मैं कहूंगा कि कौन जिम्मेदार है इस कर्जे का? जिस समय कर्जा हुआ उस समय कौन लोग थे? उधर के बैठने वाले ही वहां थे या इधर के लोग थे? चांसलर गवर्नर महोदय थे, वाइस चांसलर उन के थे और ट्रेजरार भी थे जो वहां के सारे खजाने को काबू में किये थे। सन् १९५० में २२ लाख रुपया कर्जा लिया गया लेकिन यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर्स को कान्फिडेंस में नहीं लिया गया, यद्यपि बार-बार कहा गया कि २२ लाख के कर्जे के फाइनेंस को सही तरीके से हमारे सामने लाया जाय लेकिन वह नहीं दिखाया गया।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब गड़बड़ इस बिल के लाने के बाद समाप्त हो जायगी? मजा यह है कि कंट्रोल उन्हीं लोगों का है जो कर्जा लेने पर आमादा हैं। विरोधी दलों की ओर से बराबर कहा गया कि यह लाखों की गड़बड़ है इसके लिये इन्क्वायरी कमेटी कायम की जाय और स्पेशल आडिट किया जाय। यह सब कौन कर रहा है, कौन इसके लिये जिम्मेदार है? प्रश्न यह है कि कंट्रोल फाइनेंसेज पर किस तरह से हो, बीसवीं सदी में किस तरह से एकाउन्ट्स ठीक रखे जायं, सरकार जो रुपया देती है उस पर कंट्रोल होना चाहिये और सही तरीके से उस का उपयोग होना चाहिये। इस प्रकार का उपाय हमें करना होगा और इसी कारण से हम चाहते हैं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय। तीसरे, जो दफा ७ विश्वविद्यालय ऐक्ट की है उस के अनुसार कभी भी सरकार की तरफ से कोई नोटिस इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया? आप कर्जा क्यों अधिक ले रहे हैं? और अधिकारों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, यह उन से पूछा गया? मुझे खुशी है कि आज इतने दिन बाद सरकार की नींद खुली जो सोई हुई थी। यहां तो आटोनामी के नाम से वह चिढ़ जाते हैं लेकिन दूसरे देशों में भी विश्वविद्यालय हैं मैं बताऊंगा कि किस तरह से वहां उन पर कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाता है। मैं यूनिवर्सिटीज ऐन्ड देयर प्राब्लम्स के पेज ७२ से पढ़ना चाहता हूं कि किस तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ वहां पर आटोनामी को भी सेफ रखा जाता है "We shall, find that the State has rarely, if ever interfered with them or their work, while it has readily come to their, aid with grants." इसमें यह साफ लिखा हुआ है और मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने भी यह किताब पढ़ी होगी। जब इसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार का कोई भी आदमी गवर्निंग बाडी में नहीं होगा तो कौन से कारण हैं कि सरकार का एक पावरफुल मिनिस्टर ट्रेजरार रहा। आज मिनिस्टर नहीं है फिर भी ट्रेजरार है। मैं आपके सामने एक खत भी पेश करना चाहता हूं जो यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने लिखा है। उसमें लिखा है:

".....recommend to the Universities that the post of Treasurer wherever it exists may be abolished and that a full-time Finance Officer,

[श्री प्रताप सिंह]

with suitable qualifications and experience of a status equivalent to that of a Registrar or Joint Registrar be appointed instead."

यह खत तमाम युनिवर्सिटीज को गया है और मुझे खुशी है कि सागर युनिवर्सिटी ने इसको माना। क्या दिक्कत है, माननीय मंत्री जी अपनी दिक्कत बतावें तो हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। जब युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन हमने बनाया है तो वह इसलिये है कि यूनीवर्सिटीज के ऊपर उसका कंट्रोल रहे। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मंत्री जी ने इसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया ?

श्रीमन्, मैं आपके सामने रिपोर्ट आफ प्रिपेयरेटरी कांफरेन्स आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज आफ यूनीवर्सिटीज (२ से १३ अगस्त, १९४८) के पृष्ठ ११७ को पढ़ देना चाहता हूं क्योंकि जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं वह यह है कि किस तरह से फाइनेन्शियल कंट्रोल यूनीवर्सिटीज पर होना चाहिये। (कुछ ठहर कर) मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि पेज निकालने में सदन का समय लूं। उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि रुपये का मसला हल करने में जरूर दिक्कत है जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि हम कर्ज पर रोक लगाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इम्मूलेबिल प्रापर्टी गिरवीं न रखें। श्रीमन्, उसमें एक सुझाव यह भी है :—

"The main difficulty is that of finance. But the need is urgent, and solutions of the problem should be found in several different ways, one of the most practical of which would be the conclusion of as many bi-lateral agreements between countries as possible. The Conference believes that this recommendation should strengthen the hands of those negotiating with their governments upon the subject."

यानी इस कान्फरेन्स में इस बात पर जोर दिया गया कि यूनीवर्सिटीज के आज टीचिंग एक्सपेन्सेज बढ़ रहे हैं, साइंस की लेबोरेटरीज का खर्च बढ़ रहा है, रिसर्च का खर्च बढ़ रहा है। इन चीजों को देखते हुए कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आज जो इस विधेयक का मन्तव्य है कि यूनीवर्सिटीज को कर्ज लेने से रोकना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कोई इंसान सेल्फ सफीसियेन्ट नहीं हो सकता, न कोई प्रदेश और न कोई विश्वविद्यालय सेल्फ सफीसियेंट हो सकता है। अभी-अभी ८० लाख रुपये का एक लोन इस प्रदेश ने फ्लोट किया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर पुनः विचार करें।

श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट का उद्धरण भी मैं यहां देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि ११२ आइटम्स ऐसे हैं जिनका आडिट आब्जेक्शन ठीक नहीं किया गया। श्रीमन्, लखनऊ यूनिवर्सिटी का इसलिये देना चाहता हूं कि वहां पर हम पढ़े हैं। उससे हमारी हमदर्दी है। श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट इस प्रकार है :—

"There was nothing on record to show the legal title and ownership both of the land and the buildings invested in the provident fund account".

"The issue involved should be treated as one of grave concern and proper steps should be taken only after obtaining expert legal opinion."

यह वहां की आडिट रिपोर्ट है, मान्यवर।

आडिट रिपोर्ट का यह भी कहना है :

"Vast number of audit objections remained outstanding for want of compliance with audit requirements and production of relevant records."

मैं आपको बताऊं १९५० में ५१, १९५१ में ५२ और १९५२ में ५३ तथा १९५३ में ५४ इर्रेगुलेरिटीज हैं। तो उनको आज तक साफ नहीं किया गया। १९५५-५६ में आडिट रिपोर्ट में कहा गया है :

"...as usual, the office failed to produce many important records for scrutiny at the present audit. Non-production of records retards the progress of the audit and deserves the attention of the officers of the University."

तो इस तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में जो आडिट रिपोर्ट है वह इस प्रकार है—:

"From the foregoing paragraphs and 112 unsetlled items it would be seen that some irregularities pointed out in previous audit reports still continue to exist. The non-maintenace of register of Government grants in prescribed form, the delay in adjustments of temporary advances and non-production of important records deserve attention of the authorities."

यह सब चीजें हैं जिनकी तरफ आडिट ने इशारा किया है। जब विद्यार्थियों के ऐडमीशन्स हो रहे थे तो तमाम बयान छापे गये, नेशनल हैराल्ड में छपा, यहां के एकाउन्ट्स के बारे में छपा और मेमोरेन्डम जो चांसलर को दिया गया वह भी छपा है। इसके अलावा माननीय रामायण राय जी ने वहां की नियुक्तियों के बारे में लिखा है। विश्वविद्यालय ने यह प्रार्थना की कि एल० एल० बी० क्लास में एक सेक्शन खोलना चाहते हैं लेकिन वह कागज १७ जुलाई से सरकार के पास ही पड़ा है कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। कई अध्यापक ऐसे हैं जो टेम्पोरेरिली रखे जाते हैं और मई में उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है, फिर जुलाई में रखे जाते हैं। टू ग्रेड सिस्टम भी अभी लागू नहीं हुआ जिसकी सबने सराहना की थी। शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

अन्त में कहना चाहता हूं कि जो नया प्रयोग हम यहां कर रहे हैं दूसरी जगह क्या होता है।

"It is almost a tradition in New Zealand that education is the financial responsibility of the Government, and the funds for the University and its colleges, as in the case of primary and Secondary education, come mainly from Government grants."

कल ही सदन में पूंजीपतियों को ड्यूटी में छूट दी गई लेकिन यहां जब ग्रान्ट्स देने और सेक्शन खोलने का सवाल आता है तो कहा जाता है कि रुपया नहीं है। दुनिया की यूनीवर्सिटीज में टीचिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में कभी सरकार से इजाजत नहीं ली जाती है। यही एक प्रदेश ऐसा है जहां के शिक्षा शास्त्री सरकार से इजाजत लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस विधेयक के द्वारा विचार करें कि सरकार का कितना कन्ट्रोल होना चाहिये। विदेशों में जब कभी कोई असाधारण बात हो जाती है उस समय जरूर बाहर का कन्ट्रोल होता है। जब हम यहां पढ़ते थे यही सरकार थी, वही ट्रेजरार थे, बिना प्रोक्टर साहब की इजाजत के यूनिवर्सिटी कैम्पस में मिलिटरी भेज दी गई और विद्यार्थियों को निकाल दिया गया। जब ऐसा हो सकता है तो कल को बहुत कुछ हो सकता है। यह उदाहरण इसलिये देता हूं कि विश्वविद्यालय एक पवित्र संस्था है और उसमें कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। इससे माननीय शिक्षा मंत्री भी इत्तिफाक करते हैं।

मैं अधिक न कह कर सिर्फ अन्त में इतना कहना चाहता हूं कि स्पेशल आडिट होना चाहिये। एक एक्सपर्ट कमेटी होना चाहिये जो ३९ लाख कर्जे की जांच करे कि कौन से ऐसे कारण थे और दूसरे जो आनरेरी ट्रेजरर थे—अब नहीं रहे—उनके लिये जांच कमेटी स्थापित होना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि आनरेरी ट्रेजरर ने छुट्टी ले ली है, इससे काम नहीं चलेगा। जांच के बाद जो गलती पर हो उसको सजा मिलना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसे लोग वहां आ सकें जो यूनीवर्सिटी को चला सकें। शिक्षा विभाग में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सही राय दे सकते हैं लेकिन हमारी सरकार अपने सुबार्डिनेट्स की राय नहीं लेना चाहती। एक प्रेस्टिज का सवाल उसमें आ जाता है।

दूसरी मांग मेरी यह है कि एक कांप्रिहेंसिव बिल आना चाहिये।

[श्री प्रतापसिंह]

तीसरे, कुछ टीचर्स जो वहां सर्विस करते थे उनके लिये सैंक्शन नहीं दी जा रही है उनके लिये शीघ्रातिशीघ्र सैंक्शन दी जाय और यूनीवर्सिटी की आटोनामी को फिर से रेस्टोर किया जाय ।

इन शब्दों के साथ में आदरणीय सदन के सदस्यों से कहूंगा कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है कि इसे ७ दिन के लिये प्रवर समिति को भेज दिया जाय उसका वे समर्थन करें जिससे हम भविष्य के लिये एक निर्देश के रूप में इस विधेयक में कुछ चीजें रखें ताकि यूनीवर्सिटी को जो राजनीति का अखाड़ा बना रखा है वह समाप्त हो सके, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सर्विस में सुरक्षा मिल सके, सही स्टैंडर्ड शिक्षा का कायम हो सके और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जो बात कही जाती है वह भविष्य में दूर हो सके ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । वैसे तो मेरा अलग से प्रस्ताव है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसे मूव करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--जैसी आपकी इच्छा हो । वैसे नियमानुकूल है, उसे आप रख सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--दूसरी भी व्यवस्था है । वैसे आपकी आज्ञानुसार मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं.....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई संशोधन रखे हुए हैं, क्या सभी संशोधन लिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--इस समय तीन संशोधन मेरे सामने हैं । वे तीनों प्रस्तावित होंगे, क्योंकि तीनों नियम के अन्दर आ जाते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मेरा संशोधन इस प्रकार है :--

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, इस सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो २० दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।"

श्रीमन्, जहां तक इस बिल की मंशा का सवाल है मैं भी उन लोगों में से हूं जो माननीय मंत्री जी जिस मोटिव से इस बिल को लाये हैं उसका स्वागत करते हैं । काश यह पहले आ जाता । श्रीमन्, जरा तकलीफ होती है इस बात को सुन कर कि आज जो दोषारोपण माननीय मंत्री जी करते हैं तो कल तक वे उसको कहां भूल गये थे । इसलिये कुछ शंका होती है ।

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को हम बराबर इस बात की तकलीफ देते रहे हैं कि जब हम कागज मांगते हैं तो हमारी बातें सुनने में तो उनको अवश्य तकलीफ होती है, लेकिन कागज कभी मिलते नहीं । लेकिन हमें तो अपना फर्ज अदा करना ही है । असल में कोई भी कानून जो यहां पर बनता है उसके लिये यह सरकार के हित की बात है कि अच्छी तरह से हमें अवगत कराया जाय । मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि पार्लियामेंट में जितना भी कार्यक्रम होता है वह एक महीना पहले ही भेज देते हैं कि कौन-कौन बिल लिये जायेंगे । हमारे रूल्स में भी इसका जिक्र है । माननीय मंत्री जी हमसे क्या यह वर्जिश कराना चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले भी मोल लें और जितने फैसले हैं सब मोल लिया करें और अपने घर में इकट्ठा कर लें । वह हमारे तो किसी काम आने के नहीं हैं । श्रीमन्, मैंने अपनी लायब्रेरी में भी तलाश किया लेकिन सब दरवाजे बन्द । वहां तोता मैना के किस्से जैसी पुस्तकें तो बहुत हैं, उपन्यास तो बहुत लिये जाते हैं,.....

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आप अपने सुझाव भेज दें, हम लोग विचार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक बार मैं लिख चुका हूं और कानून की किताबों की एक लिस्ट भी दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—आप एक लिस्ट मेरे पास भेज कर देखिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, विधायक के नाते हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम ऐसा कानून बनायें जो हाई कोर्ट की पकड़ में न आ सके, लेकिन हमारे बनाये कानून रोज पकड़ में आ जाते हैं, कुछ तो ला डिपार्टमेंट की वजह से और कुछ अपनी अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से। मिसाल के लिये एक लफ्ज बता दूं। इससे ज्यादा कुछ बिगड़ने का तो है नहीं लेकिन मंत्री जी का तर्क गलत हो जाता है। मंत्री जी ने फरमाया कि अगर हम आर्डिनेन्स न लाते तो हमें डर था कि कहीं वहां की लेबोरेटरी बन्द न हो जाय, कहीं उसका सामान न कुर्क हो जाय। तो आर्डिनेंन्स में लिखा है—

"No immovable property of a University shall, except with the prior sanct on in writing of the State Government."

यानी यह बिल केवल इम्मूवेबिल प्रापर्टी के लिये बना है। लेकिन जो साइन्स के ऐपेरेटस होते हैं, जो बड़े कीमती होते हैं वे तो नीलाम होने से बच नहीं सकते क्योंकि वे movable होते हैं। इसी तरह से किताबें भी नीलाम हो सकती हैं। हां, Fixed आलमारी भले ही नहीं हो सकती क्योंकि वह इम्मूवेबिल है। तो इस सरकार ने आलमारी को तो बचा लिया लेकिन उसके अन्दर जो हजारों किताबें रखी रहती हैं उनकी कोई परवाह नहीं की कुछ दिन पूर्व जब मैं किसी दूसरे काम से सदन खुलने से पहले लखनऊ आया हुआ था मैंने आपके सेक्रेटरी साहब से आर्डिनेन्स की कापी मांगी मगर उनके पास भी नहीं थी। इसी तरह से रिमवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर की बात है। वह भी नहीं मिली।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय गोविन्द सिंह जी की बड़ी भारी शिकायत यही है कि हाई कोर्ट का फैसला कहां से ढूंढ़ें, रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर कहां से लायें। तो आपकी आज्ञा अगर हो तो मैं इन दोनों को सदन की मेज पर रख दूं?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, मैंने तो कह दिया था कि डिजायरेबीलिटी के लिहाज से अगर आपके पास हो तो रख दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपकी आज्ञा से मैं हाई कोर्ट का फैसला भी और रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर भी सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बड़ा अनुगृहीत हूं मंत्री जी का। हम उनसे कोई लड़ाई करने नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि हम अध्ययन करें और वे मौका दें। उन्होंने इस समय टेबिल पर कोई कागज रखा भी तो वह टेबिल पर ही तो पड़ा रहेगा। जैसी कि एक दलील दी गयी थी कि बिल १३ तारीख को पीजन होल्स में डाल दिया गया था। लेकिन १३ तारीख को सदन बन्द हो गया था और हम लोगों से यह आशा की जाती थी कि अपनी constituencies को उस दिन जांय। तो क्या १३ तारीख की शाम को हम Pegion Holes में ढूंढ़ने जाते? इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये। इससे तो उन्हीं का फायदा है, हम लोग पढ़ कर आयेंगे, डिबेट का स्तर ऊंचा होगा, ठीक लाइट पड़ेगी, कोई lacuna नहीं रहने पायेगा।

कहा गया कि १९५४ में १६ लाख रुपया लखनऊ यूनिवर्सिटी और १८ लाख रुपया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कर्ज था जिसे सरकार ने उतारा। यह सरकार

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

ने बड़ी कृपा की। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि क्या कारण है कि उस वक्त सरकार का ध्यान इधर नहीं गया। आज कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गयी? लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ७ में लिखा है—

"The State Government should have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, the buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University, and Associated College or a Constituent College.

(3) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon."

मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा बिल लाने से पहले इस धारा में दी हुई शक्ति का क्यों प्रयोग नहीं किया गया। इसके बाद क्या करें, क्या न करें? कुछ समझ में नहीं आता है। मंत्री जी ने इसके उद्देश्य और कारणों में भी नहीं बताया कि इस पर अमल क्यों नहीं हुआ है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहां पर बिल इनकम्पलीट छापे जाते हैं। लोक सभा में जो बिल छपते हैं वे बिल्कुल कम्पलीट छपते हैं। यहां तक कि जो रेलवेज़ कागजात हैं वे भी उसके साथ छपते हैं और उनके अंश छापे जाते हैं। हमारे यहां नियम के अनुसार बिल नहीं छापे जाते हैं। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस फार्म में बिल छपने चाहिये उसमें नहीं छपते हैं। इससे हमको बहस करने में तकलीफ होती है।

श्रीमन्, यह जो कर्जा है १९५४ से चला आ रहा है। यह एक दिन में नहीं हुआ बल्कि कई साल में हुआ है और उसके बाद इलेक्शन भी हो गये और मौदहा के इलेक्शन के बाद ही यह खयाल क्यों आया? मुझे शिकायत यह है कि इतनी देर बिल के लाने में क्यों हुई। श्रीमन्, नेगलीजेंस के बारे में एक शब्द कहूं कि जूरिसप्रूडेंस का शब्द कल्पेबिल है। "अब्रेटिंग दिस क्राइम" इसके लिये हमारी सरकार जिम्मेदार है। किसी को ठेका दिया गया, बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है और ठेकेदार गायब है। इस तरह की रोज शिकायतें आती रहती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाजिदअली शाह की तरह से रुपया खर्च किया जाता रहा है; उस समय मंत्री जी कहां बैठे हुये थे? उस समय सरकार क्या कर रही थी? लखनऊ की जो हालत खराब हुई है उसके लिये सरकार जिम्मेदार है और सरकार ने ही आदत बिगाड़ी है। एक कहावत यहां मशहूर हो गई थी। मैं उसको नहीं कहूंगा लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तीन आदमियों का नाम गली-गली में मशहूर हो गया था। उस समय, श्रीमन्, क्या शोर होता था उसके दुहराने की आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार उस समय सो गई थी? आज उसकी नीयत साफ होते हुये भी इस बिल का कुछ उद्देश्य और भी है और यह सीधा-सादा मामला नहीं है।

श्रीमन्, इस बिल को रखते हुए माननीय मंत्री जी उदारता दिखायें और इसमें एक मौका है कि जो ट्रेजरार रूपी भगवान बनाया है, उसको हटाने की हमारी मांग है। माननीय प्रताप सिंह जी ने भी मांग की और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि खजांची के यूनिवर्सिटी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हम उसे क्यों रखना चाहते हैं और उसको हटाते नहीं हैं, उसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रार यहां लखनऊ से हटाया गया तो उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी हटाना पड़ेगा। आप एडवोकेट जनरल खजांची को रखते हैं। आपने एडवोकेट जनरल के लिये

अपने यहां एक सीट रखी है हमारे कानून गलत हो जाते हैं लेकिन कानूनी मसविरे के लिये उनकी सूरत यहां नहीं दिखाई देती है। तो सरकार को अड़चन है कि किस मुंह से कहे कि एक जगह के खजांची को रखें और दूसरे को निकाल दें; लिहाजा दूसरी जगह के खजांची को बचाने के लिये यहां के भी खजांची को रखे हुए हैं। दिल खोल कर, विद ए क्लीन स्लेट सरकार आये। आशंका तो जरूर है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शायद कुछ अधिक कर देगी। कुछ हल्का-सा इशारा है। इसलिये थोड़ी उस पर भी रोक लगाना चाहते हैं। कहते हैं कि वहां तो मामूली कर्ज ३ लाख रुपये का है; लेकिन तीन लाख क्या कम हुआ करता है? ट्रेजरर का यह कर्त्तव्य है कि बजेटेड अमाउन्ट से एक पैसा भी ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिये। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐक्चुअल ओपनिंग बैलेंस १९५७-५८ में -१८,६४,४०४ रुपया था। १९५८-५९ में ओरिजिनल एस्टीमेंट्स -२७,८४,१८२ के थे और १९५९-६० में एस्टीमेंट (-२८,८४,३२५) रुपया है; यानी वह कमी बढ़ती गयी। माननीय मंत्री जी इसकी तसदीक करते हैं कि यह कर्ज एक दम नहीं बढ़ा, धीरे-धीरे बढ़ा है।

आज इसमें यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में बहुत-सी पोस्ट्स नई बना दी गयीं जिनमें सरकार की स्वीकृति नहीं ली गयी। ठीक है। लेकिन यह बुद्धि १९५१-५२ में कहां गयी थी? १९५१-५२ में यूनिवर्सिटी ने कई पोस्ट्स क्रियेट कीं लेकिन उन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति की मोहर ठोंक दी। उसी आदत से यूनिवर्सिटी ने फिर नई पोस्ट्स बनाईं वे तो पुराने खिलाड़ी हैं; उनकी यह कोई नयी आदत नहीं है। मुझे डर है कि जैसा आज बिल आया है अगर कल मेल हो गया तो यह फिर उलट जायगा। मुझे यह उम्मीद नहीं है कि यह रहेगा। १९५७ में हमने स्वागत किया था। मंत्री जी ने कई चीजें टीचर्स को दी थीं और डिसिप्लिनरी ऐक्शन के नाम पर हिटलराइट मेथड्स थे, उनको दूर किया गया। इनका हम आज भी स्वागत करते हैं। हमें शिकायत यह है कि कल इस बात पर सरकार स्टिक नहीं करेगी। इस संबंध में बड़ी अखबारबाजी भी हुई है। दूसरी तरफ वालों का यह कहना है कि जो सारा कर्जा हो गया वह हमारी बजह से थोड़े ही हुआ है। जो छोटे सर्वेंट्स हैं, उनका डियरनेस अलाउन्स बढ़ गया। जब स्लैब सिस्टम नहीं था तब से साढे सत्तरह फीसदी सरकारी नौकरों के बराबर यूनिवर्सिटी भी तनख्वाहों में देती थी। उनका कहना है कि १ लाख ८६ हजार हमारी तरफ से इसका खर्च पड़ता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने स्लैब सिस्टम अडाप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट के हिसाब से १ लाख ८१ हजार होता है। करीब ५,००० का अन्तर है। तो इससे क्यों हो-हल्ला हो? श्रीमन्, अगर आजकल कोई काम करना होता है तो उसकी पुष्टि में बड़े लोगों द्वारा गरीब का नाम ले लिया जाता है। कहते हैं कि गरीब के नाम पर त्याग करो, भूखे रहो। बड़े-बड़े लेक्चर प्लेटफार्म व रेडियो में दिये जाते हैं। एक बार रेडियो पर एक बहुत बड़े नेता कोई मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। उनको डकार आ गयी। लोगों ने कहा कि शायद मंत्री जी के पेट को रोकने के लिये आगे कोई स्टूल रखा होगा। वह कह रहे थे, भाइयो, भूखे रहो, उसी तरह आज भी उपरोक्त दलील वालों ने भी गरीबों की दुहाई दी है। गरीब का डियरनेस अलाउन्स बढ़ाने के लिये इतना खर्च बढ़ गया, ऐसा उनका कहना है। सब कुछ करेंगे लेकिन होगा गरीब के नाम पर। हमें दर्द है गरीबों के नाम पर, आपको दर्द है गरीबों के नाम पर। हमारी तनख्वाह बढ़ती है गरीबों के नाम पर, हम बसों में जो चक्कर लगायेंगे, गांव-गांव घर-घर जायेंगे, वह भी गरीबों के नाम पर। जो भी अमेनिटीज मिल रही हैं वे सब गरीबों के नाम पर। ये पंखे चल रहे हैं गरीबों के नाम पर। यहां ८ लाख रुपये की पेंटिंग होगी ताकि हमारी आंखों को खूबसूरती नजर आये, वह भी गरीबों के नाम पर। तो वही बात यहां भी है क्योंकि ये सब एक ही थैली के तो हैं।

दूसरा आरोप यह लगाया है, दफा ७ वाली बात। आज तक कहां गये थे? इस बिल से यूनिवर्सिटी को आप साहूकारों की नजरों में इतना गिरा देते हैं कि इनको पैसा मत दो, गवर्नमेंट की बैंकिंग इन्हें नहीं है, गवर्नमेंट इनकी जिम्मेदार नहीं है। यानी कितनी प्रेस्टीज लो हो गई है यूनिवर्सिटी की! तो उस पक्ष का कहना यह है कि इससे पहले

[श्री गोविंद सिंह बिष्ट]

क्या दफा ७ का आपने उपयोग क्यों नहीं किया। आप जाते यूनिवर्सिटी की फाइनेंसेज देखते। हर जगह आप जा सकते थे और हर फाइनेंस की जांच कर सकते थे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते। गवर्नमेंट ऐक्शन लेती। लेकिन यह सब कुछ नहीं किया गया। जो कानून आपने पहले से बना रखा है जब उसका इस्तेमाल ही नहीं होता तो और कानून बनाने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या वजह थी कि ऐसे बड़े-बड़े लैकुना यहां पर रखे गये, ऐसी गलत-गलत बातें की गईं? आल आफ ए सडेन एक आर्डिनेंस लाया गया। मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कौन सा ऐसा बड़ा खतरा हो गया था २२ जून को, कोई प्रापरटी का कहीं मार्गेज हो रहा था या कोई हाई कोर्ट की डिग्री होने वाली थी या कोई अटैचमेंट का सवाल था। इसका बिल में कतई कोई खुलासा नहीं आया। बार-बार इसकी मांग की गई लेकिन सरकार की चुप्पी इस बात को तसदीक करती है कि कोई ऐसी एमर्जेंसी उसी दिन नहीं हो गई थी। यह बिल जैसे आज आया है वैसे ही आ सकता था। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। बहुत सी खामियां प्रताप सिंह जी ने बतलाईं। दो-चार मैंने भी बतलाईं। इनको दूर करने के लिये एक काम्प्रिहेंसिव बिल आये जिसमें कि कोई लैकुना न रहे।

श्रीमन्, हाई कोर्ट का वह रिट मैं ढूंढ़-ढांढ़ कर बड़ी मुश्किल से लाया हूं क्योंकि मैं जानता था कि सरकार तो देने वाली नहीं है। एक पी०एन० शर्मा डीन थे, उनकी रिट थी।

"Their Lordships have held that the office of the Dean is a creation of the Act itself—neither the amending Act of 1954 nor of 1957 have changed the position. It is an office created by the Act and not by the Statutes. The latter only regulate the way in which the Dean is to be chosen and prescribe the period of office. As such, Dr. Sharma was entitled to run out of his full tenure before relinquishment of office. It has also been held that under emergency powers the Vice-Chancellor was not empowered to cut down the period of office."

श्रीमन्, इससे इतनी बात तो आयी कि एकाएक वाइस-चांसलर ने कोई ऐसा आर्डर दिया। एक तारतम्य, गलत या सही, चला आ रहा था और आल आफ ए सडेन एक ब्रेक लगाया गया। उससे यह जुम्बिश आयी। मैं ज्यादा डीपली तो इसमें नहीं जा सका हूं क्योंकि पूरा जजमेंट मेरे सामने नहीं आया। यह तो अखबार की बात है। लेकिन इसी टर्म के बारे में कहा गया है—

"The term of —

(i) any member elected or nominated to any Authority or Body of the University under the provisions of the Principal Act, or this Act or the Statutes framed under any of the said two Acts, or

(ii) any officer of the University and any member holding office in, or membership of an Authority or Body of, the University, as the case may be, by rotation in order of seniority or in order of preference in accordance with the provisions of the afore mentioned Acts and Statutes shall be and be deemed to have been determined with effect from the date or dates mentioned in the order and notifications."

यानी अगर मैं इसको, श्रीमन्, ठीक समझा हूं तो यह है कि जिस तारीख को आर्डर निकाला जायगा कि आज से तुम्हारी पदावधि खत्म हो गई तो उस दिन वह खत्म हो जायगी। वह जिस पोस्ट को होल्ड करता है, चाहे कितना भी सीनियर रहा है, या नहीं रहा है लेकिन उसकी seniority फौरन खत्म हो जायगी। मेरा आशय है कि उस सीनियारिटी का कुछ तो खयाल होना चाहिये। क्या इतनी बड़ी ताकत का देना ठीक होगा? इस असर दूर तक पड़ेगा। इस वजह से मेरा विचार है कि इतनी बड़ी ताकत देना गलत बात है।

दूसरी बात यह है कि जो Removal of Difficulties Order निकलेगा, जैसा कि पहले भी निकला था। उसकी क्या गारंटी है कि वह आर्डर just ही निकलेगा क्योंकि हम यह देखते हैं कि तत्संबंधित मनुष्यों के अन्दर कुछ प्रतिशोध की भी भावना है। यह कटुता की भावना अब नहीं रहेगी, यह आप न समझें। कल को उस स्थान पर दूसरा आदमी आ सकता है या हम लोग ही उधर आ जायं तो हम ही ऐसा कर दें क्योंकि टीचर कम हैं तो हमसे भी इस तरह की गलती हो सकती है। इसलिये इस प्रकार से उसकी सीनियारिटी को खत्म करना क्या उचित कहा जा सकता है। एक आदमी ट्रेजरर या अन्य कोई को अकेले इतनी ज्यादा ताकत देना ठीक नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पास करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कठिनाई न हो बल्कि प्रैक्टिकल वे में इसके रनिंग में दिक्कत जरूर होगी। मैं समझता हूं कि यह हाउस एक पब्लिक प्लेस है और यहां पर हमको जांचने का और देखने का मौका है कि वह चीज सही है या गलत है। अगर उन आर्डरों को यहां पर रखा जायगा तो कोई अंट-संट आर्डर नहीं Issue होगा। इससे माननीय मंत्री जी की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

एक और बात है जिसको मैं बड़ी तकलीफ और दुख के साथ कहना चाहता हूं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में हो चुकी है। इसमें अधिक शक नहीं कि लड़कियों की एजुकेशन ज्यादा होनी चाहिये और उनको प्रीफरेंस दिया जाना चाहिये। मैं भी इसको ठीक मानता हूं लेकिन लड़कियां हैं महज इसलिये क्लासेज नहीं चलने चाहिये। आपके यहां बड़ी-बड़ी शिकायतें आया करती हैं कि क्लास के अन्दर १८,१५ लड़के भी हैं। यहां तक कहा जाता है कि लड़की होने से डिवीजन दिया जाने लगा है, पदवी दी जाने लगी है, चेहरा अच्छा होना चाहिये बस लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीट मिल जायगी, ऐसी बात सुनाई पड़ती है। क्या हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं है? जो पुराना रवैया चला आ रहा है उसको ठीक करने की तरफ माननीय मंत्री जी को तवज्जह करनी चाहिये। मैं यह बात सोचकर कहता हूं कि इससे हमारी बदनामी हो गई है और आज भी यह बात हो रही है। इस बात पर कोई चेक होना चाहिये। हमारी युनिवर्सिटियां तो चरित्र गठन के केंद्र हैं, उनको देव मंदिर की तरह से प्रतिष्ठा होनी चाहिये। सरकार सब तरह से विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करती है जो जरूरत से ज्यादा है, तो भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की गलती वहां पर न हो इसके लिये सरकार को जागरूक होना चाहिये। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके ऊपर अंकुश रहना चाहिये।

अन्त में मैं कुछ ऐफिलियेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों की यह मांग बहुत पहले से रही है कि एसोसियेटेड और एफिलियेटेड कालेजों को उनके ऊपर लाद दिया गया है। इससे उनकी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड गिर गया है। यह मांग आज से नहीं बल्कि अर्से से है। एक जमाना था जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शोहरत सारे भारत में थी। हमें इस बात का फख्र है कि उधर के बैठने वालों में बड़े-बड़े विद्वान काफी मात्रा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। जब हम लोग वहां पर पढ़ा करते थे और डाक्टर अमरनाथ झा का जमाना था तो वहां पर यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंडर्ड था? आज वहां जाइये और देखिये कि म्योर होस्टल और बनर्जी होस्टल का वह स्टैंडर्ड खत्म हो गया है और वह स्टैंडर्ड ऊपर नहीं चढ़ा है। इसके और भी कारण हैं और एक कारण तो यह है कि आपने कुछ ऐसे कानून बना दिये कि वहां टीचर पालिटीशियन्स पैदा हो गये। रोजमर्रा ढर्रा बदलने से इलाहाबाद और लखनऊ में काफी टीचर पालिटीशियन्स पैदा हो गये हैं और ये बड़े खतरनाक हैं। वे अपनी पालिटिक्स लड़कों के दिमाग में भी बैठाते हैं। यह बड़ा गंभीर और जटिल विषय है और इसमें बड़े बड़े विद्वानों को बैठ कर सोचना चाहिये कि कैसे यह चीज खत्म की जाय? कैसे हम इनकी संख्या कम कर सकेंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो request है उसको हम मानें।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको एक प्रवर समिति में भेजें जहां पर इस पर ठंडे दिमाग से विचार किया जा सके, जहां यह बात न हो कि

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

चूंकि यह सरकारी बात है इसलिये हमको इसका विरोध करना ही चाहिये और यह विरोधी दल की बात है इसलिये इसको नहीं मानना चाहिये। यह जनता का सवाल है। इस बिल का स्वागत करते हुए मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि जहां इतने दिन लगे हैं वहां १० या ७ दिन के लिये और इसको रोक कर देख लिया जाय और तब इसको सदन में विचार के लिये लाया जाय।

(श्री रामायणराय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जिस संशोधन का माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है, मेरे विचार से यह अवैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय गोविन्दसिंह जी का ?

श्री देवकीनन्दन विभव—जी नहीं, श्री रामायणराय जी का।

श्री उपाध्यक्ष—अभी आपत्ति कैसे ? अभी तो वह प्रस्तुत भी नहीं हुआ है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैंने जो संशोधन दिया है उसमें संभवतः एक शब्द ऐसा आ गया है कि जिसकी वजह से माननीय सदस्य को एतराज करने का मौका मिला। वह शब्द है "इस सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति"। मेरा तात्पर्य दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति से था।

श्री उपाध्यक्ष—जिस रूप में आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वह पेश कर लें, तब बात होगी।

श्री रामायणराय—आपकी आज्ञा से मैं श्री प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है।

श्री रामायणराय—जहां तक मेरा विचार है, इस बिल में कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से मैंने यह उचित समझा कि मैं भी जो संयुक्त प्रवर समिति में इसको भेजने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करूं।....

श्री उपाध्यक्ष—संयुक्त प्रवर समिति के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामायणराय—प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करूं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस बिल से वस्तुतः जो परिहार होना चाहिये था वह नहीं हो सकेगा। एक फाल्टी लेजिस्लेशन की शकल में, एक अपूर्ण बिल की शकल में यह चीज आयी है। फाल्टी के साथ-साथ यह अधूरा भी है। मैंने राज्यपाल के संबोधन के सम्बन्ध में भी इस दिशा में संकेत किया था कि माननीय मंत्री जी को एक पूरी चीज सामने लानी चाहिये।

दूसरा कारण जिसकी वजह से मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं, वह यह है कि आर्थिक व्यवस्था का जो परिहार इसमें प्रस्तुत किया गया है, मनमानी जो गड़बड़ियां हैं यूनिवर्सिटी के अन्दर, उसके लिए, उसके दोष को दूर करने का जो प्राविजन इसमें दिया गया है वस्तुतः हमारी समझ में ठीक नहीं है।

तीसरा कारण यह है कि विश्वविद्यालय की स्वाधीनता पर यह बिल हमला करता है।

चौथा कारण यह है कि आर्थिक अधिकार छिन जाने के कारण आज विश्वविद्यालय में एक अजीब उपहासास्पद स्थिति पैदा हो गयी है, उसकी चर्चा मैं बाद को चल कर करूंगा।

पांचवीं बात, जिस वजह से मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं यह है कि आज यूनिवर्सिटियों के अधिकारियों को हर छोटी से छोटी बात के लिये विभागीय अधिकारियों के पास आना पड़ता है ।

छठी बात जो बड़े ही महत्व की है वह यह कि मैंने और यूनिवर्सिटियों के ऐक्ट को भी देखा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था और किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के १० मील के रेडियस में, कोई नया कालेज नहीं खुल सकेगा यह कानून लागू हो जायगा।

सातवीं बात यह है, जिसकी चर्चा हो भी चुकी है, कि विश्वविद्यालय में जो आज नियुक्तियां हो रही हैं उनकी धांधली दूर करने के लिए कोई व्यवस्था अगर इस बिल में होती तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप में बहुत संतोष हुआ होता। एक बार स्वयं मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि "विश्वविद्यालय वहां की चहारदीवारी नहीं है, वहां की कुर्सी-मेज विश्वविद्यालय नहीं है।" वस्तुतः वहां के अध्यापक विश्वविद्यालय के प्राण होते हैं यह मैं शायद उन्हीं के वाक्य उद्धृत कर रहा हूं। तो जिन अध्यापकों को माननीय मंत्री जी प्राण मानते हैं उनकी नियुक्ति में गड़बड़ी हो रही है और उसको दूर करने के लिये आपने इसमें कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं तो ऐसा समझता था कि हाल ही में देश में जो बड़ी घटना घटी शिक्षा के क्षेत्र में यदि उससे कुछ भी हमने लेसन सीखा होता तो हमारे लिये यह संभव होता कि हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नया काम कर पाते। केरल में जो कुछ हुआ, मैं मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां की घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिये था। मैंने तो ऐसा कहते हुए सुना कि हमारे देश का फैसला होने वाला है केरल की राजनीति में। वहां जो उपद्रव और गड़बड़ी थी वह हम सभी जानते हैं। और कारणों के साथ उसका सब से बड़ा कारण यह भी था कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से कब्जा करना चाहती थी। इस चीज को वहां के पढ़े-लिखे लोग पसन्द नहीं करते थे। यही वजह है कि वही लोग, जिन्होंने वहां की सरकार बनायी, उन्होंने लाखों आदमियों को जेलों में भेजा, बड़े से बड़ा त्याग किया। तो उस घटना से हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सबक नहीं लिया।

आज ये दोष बिलों में क्यों आते हैं, मैंने इस पर बहुत गहराई से सोचा। मेरी समझ में एक बात आयी कि हमारे यहां एक व्यवस्था है विभागीय कमेटियों की। उन कमेटियों में अगर कोई नया प्रश्न पहले से डिस्कस कर लिया जाय माननीय सदस्यों द्वारा और फिर रेफर कर दिया जाय डिपार्टमेंटल आफिसर्स के पास कि इस समस्या पर तुम कोई बिल तैयार करो तो शायद यह दोष पैदा न हो। सेलेक्ट कमेटी के सामने आप इस तरह का सवाल नहीं ले जाते। यह इतना अहम सवाल है। होता क्या है? होता यह है कि विभागीय अधिकारी सब से पहले बिल तैयार करते हैं और ऐसा बिल तैयार करते हैं जिसमें उनके अधिकार सुरक्षित रहें। डिपार्टमेंटल हेड्स का इन्टरेस्ट उसमें सेफगार्ड रहे, इस बात की व्यवस्था वह पहले करते हैं। फिर वह बिल ला डिपार्टमेंट के पास जाता है और वह देखता है कि इसमें कोई कानूनी दोष तो नहीं आ गया जिसकी वजह से यह फिर हाई कोर्ट से लौट आये और हमारे ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास हो जांय। फिर माननीय मंत्री जी की सेवा में यह बिल आता है और वह उसको अपने चश्मे से देखते हैं कि हमारी पार्टी का इन्टरेस्ट इसमें सुरक्षित है या नहीं। बस यह तीन स्टेजेज होती हैं और फिर वह सदन के सामने ले जाया जाता है। लेकिन कभी कोशिश नहीं की जाती यह जानने की कि और लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। इसी दोष को दूर करने के लिये अन्य प्रजातन्त्रीय देशों में स्थायी समितियों की व्यवस्था है। अगर शिक्षा मंत्री जी अपनी उसी कमेटी के द्वारा इस प्रश्न पर विचार किये होते और फिर इसके ऊपर कानून बनाने की चेष्टा करते तो सम्भवतः यह दोष नहीं होता।

मैं अधिक न कह कर संक्षेप में आप के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है, सब से पहले १९२१ में एक ऐक्ट बना था और उसके बाद काफी अर्से तक वह ऐक्ट चलता रहा, करीब ३५ साल सुगमतापूर्वक चला। वह ऐक्ट

[श्री रामायणराय]

किन लोगों ने बनाया था ? उन लोगों ने बनाया था जिनको हम कहते हैं कि हमारा शोषण कर रहे थे। ३५ साल तक वह ऐक्ट चलता रहा और उसके बाद १९५५ में सब से पहले कोशिश की जाती है उसमें परिवर्तन करने की। क्या परिवर्तन उसमें हुए ? परिवर्तन यह किया गया कि अपने दल के लोगों के किस तरह से इन्टेरेस्ट सेफगार्ड हो जायं यूनिवर्सिटी में, इस बात की चेष्टा की गई। शिक्षकों के अधिकरों के ऊपर सब से पहला हमला सन् १९५५ में किया जाता है। अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जो डिफरेन्ट कमेटीज में था उसको भी कम कर दिया गया तथा डिसिप्लिनरी कमेटी की भी व्यवस्था की गई और अपने लोगों का धीमे-धीमे पंजा फैलाने का प्रयास सन् १९५५ में किया गया। उसके बाद फिर हम सन् १९५७ में आते हैं। उसके पहले बड़ा शोर हुआ, उपरोक्त व्यवस्था के विरुद्ध अध्यापकों ने बड़ी मांग की, बड़ी-बड़ी कान्फ्रेन्सेज हुईं तो जाकर किसी तरह से, उसके लिये मैं बधाई दूंगा, अनुशासन समिति जो बनी थी वह एक कलंक था अध्यापकों के लिये, उसे भंग करने की व्यवस्था सन् १९५७ में की गई। किन्तु एक जो बात विचित्र हुई वह यह कि हमारे सदन के सामने एक बिल आया, सन् १९५७ का उसमें हम लोगों ने जो देखा तो हम लोगों को लगा कि कुछ लोग जो अनन्तकाल से सदस्य बने हुये हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, अविच्छिन्न है सदस्यता, कन्टीनुअस मेम्बरशिप उनकी है, एक वेस्टेड इन्टेरेस्ट उनका क्रिएट हो गया है वह शायद समाप्त हो जायगा। लेकिन वही बिल श्रीमन्, जब दूसरे हाउस में गया तो उसमें एक व्याख्यात्मक क्लाज, एक्सप्लेनेटरी क्लाज जोड़ दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि फिर अगले ६ साल के लिये वे लोग यूनिवर्सिटी में अपने हाथ फैलाने के योग्य बन गये। ऐसा क्यों हुआ ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मंत्री जी को संकोच हो सकता है, लेकिन उनके दल में एक खींचातानी है, और जिस हिम्मत के साथ वह उस बिल को सन् १९५७ में लाये थे उसी हिम्मत के साथ उसे उसी रूप में रहने देना चाहिये था; लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष असर पड़ा और उसमें एक एक्सप्लेनेटरी क्लाज जोड़ दिया गया। आगे क्या होता है ? सन् १९५८ में गवर्नमेंट ने सन् १९५७ के हिसाब से कुछ जो नयी कमेटियां बननी आवश्यक थीं उन्हें बनाने का आदेश दिया। लेकिन ऐक्ट तो दोषपूर्ण था, उसमें तो इतनी ताकत नहीं थी कि उसके आधार पर कमेटी का निर्माण हो पाता। शायद डिपार्टमेंट के आफीसरान, जिन्होंने इस कानून को बनाया था, अब तो हम लोगों पर भी उसका उत्तरदायित्व आता है, उन लोगों ने नहीं सोचा कि असली ताकत ऐक्ट से ही डिराइव हो सकती है पहले वह समझते थे कि स्टेट्यूट्स से काम चल जायगा लेकिन दनादन हाईकोर्ट में रिट्स आने लगीं और इस प्रकार की असमर्थता की स्थिति पैदा हो गई जिसका जिक्र कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं किया। लेकिन यह जो माननीय मंत्री जी ने अब किया है वह भी अपूर्ण है। इस संशोधन से भी माननीय मंत्री जी की मंशा पूर्ण न होगी। सब से पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या आप कम्युनिस्ट सरकार की तरह से ऊंची शिक्षा में पूरी तरह से दखल देना चाहते हैं या इस प्रकार के अप्रच्छन्न अधिकार चाहते हैं, लेकिन यह पूंछवादी-ढंग कि कुछ डेमोक्रेटिक और कुछ कम्युनिस्टिक ठीक नहीं है। इससे गड़बड़ी होती है क्योंकि जिन लोगों के द्वारा यह चीज लायी जाती है वह वे लोग होते हैं जो सोलहो आना अफसरशाही को सलामत रखना चाहते हैं। मैं तो यह नहीं समझ पाया कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों के बावजूद, और जहां तक मुझे मालूम हुआ है कदाचित् कैबिनेट के यूनानीमसली यह फैसला होने के बावजूद भी कि, ट्रेजरर की पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाय, यह अजीब व्यवस्था क्यों की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। कैबिनेट के किसी फैसले का पता न मालूम उनको कहां से हो गया ? उसका उल्लेख यहां करना कैबिनेट के सदस्यों के लिये भी अनुचित है। आपको न जाने कहां से यह पता लग गया।

श्री उपाध्यक्ष-- मैं समझता हूं कि कैबिनेट को अपने फैसलों को सावधानी से गुप्त रखना चाहिये। (हंसी)

श्री रामायणराय--माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आर्थिक अव्यवस्था को दूर करने के लिये ऐसा करना पड़ा; बैंक कर्जा देने से डर जायंगे। यह मैं मानता हूं कि वे डर गये हैं। जुलाई में अध्यापकों की तनख्वाह रुक गयी तो मंत्री जी को ए० जी० के पास आदमी दौड़ाना पड़ा। हालांकि छः लाख मेडिकल कालेज की ग्रांट का ही पैसा आया तथा उससे दो-तीन महीने अध्यापकों को तनख्वाह दी गई। वहां की हालत तो यह है कि चाहे किसी मद का भी पैसा हो, चाहे वह रिकरिंग ग्रान्ट का पैसा हो या नान-रिकरिंग ग्रान्ट का पैसा हो, वह एक ही खाते में जमा हो जाता है तथा किसी भी मद में खर्च किया जाता है। भवन के लिये मिला पैसा तनख्वाह में दे दिया गया तथा जब बिल्डिंग बनने लगी तो उसमें से पैसा खर्च होता रहा, लेकिन जब अध्यापकों को तनख्वाह का सवाल आया तो ओवर ड्राफ्ट होने लगा। इस स्थिति को हम लोग भी समझते हैं। इसी नीयत से मैंने पायोनियर में चिट्ठी लिखी थी। उसमें मेरी यही नीयत थी कि कम से कम शिक्षा विभाग उस चिट्ठी को पढ़ेगा। लेकिन जिन दोषों की ओर मैंने तथा दूसरे संभ्रान्त नागरिकों ने पत्रों द्वारा शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया, उसका नतीजा क्या इस बिल के रूप में ही निकला? इस सारी गड़बड़ी को दूर करने का सबसे सरल उपाय यह था कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया जाता। अगर ऐसा होता तो कुछ लोगों को यह शक न होता कि किन्हीं लोगों को पेन्शन देने की वजह से ऐसा हुआ है। एक, दो ट्रेजरर ऐसे हैं जिनको यह विभाग चाहता है कि उनको रहना चाहिये, मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह इसलिये कहता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट को ही कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा परिहार मानता हूं। इसलिये आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं यह अपील करूंगा कि उस सोल्यूशन को अडाप्ट करने की कृपा करें।

कहा गया कि बड़ा कर्जा लिया गया। कर्जा लेने का जहां तक सवाल है, मैं भी मानता हूं कि कर्जा लिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी पर काफी कर्जा है। सरकार को सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी पर जितना कर्जा था उसको अदा करना चाहिये था और कर्जा दे देने के बाद उसे ट्रेजरर की पोस्ट को अबालिश कर देना चाहिये था। उसके बाद सरकार फाईनेंशियल कंट्रोलर नियुक्त करती और देखती कि गड़बड़ी किस प्रकार से होती है। लेकिन इस बात के कर देने से एक बात अवश्य हुई है कि सैकड़ों लड़कियां दो हजार रुपये के लिये इधर-उधर मारी-मारी फिर रही हैं, उनके लिये हास्टल का प्रबंध अब तक नहीं हो पाया है। एक लड़की के गार्जियन मुझे मिले थे। वे मेरे मित्र हैं और पाकिस्तान में एक मिल के मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि मैं दो महीने की छुट्टी लेकर यहां बैठा हूं हास्टल के लिये, युनिवर्सिटी को दो हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं। अब लड़की को कहां छोड़ कर जाऊं। तो अब हालत यह है कि दो हजार के लिये वाइस-चांसलर साहब डर रहे हैं। यह भय की स्थिति जो पैदा हो गयी है, वह क्यों हो गयी है? यह ब्रह्मा की तरह अव्यक्त कानून जो आपने रख दिया है, इसलिये। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसमें जो दोष हैं जिनकी तरफ मैंने संकेत किया उनका परिहार ठीक ढंग से करने की चेष्टा की जाय। नहीं तो क्या हो रहा है? श्रीमन्, १९५२ में यूनिवर्सिटी को ७ पदों की जरूरत हुई। टीचर्स वहां पर काम करते हैं, आज तक बिना पे के काम करते हैं। ७ जगहें ऐसी हैं। हकीकत क्या है वहां पर? आपने घोषणा कर दी कि हमने ट्रेड सिस्टम चालू कर दिया; लेकिन जहां तक मेरी सूचना है उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से अध्यापक जो रीडर थे और उस वक्त ५७५ रुपये पाते थे, आपकी घोषणा के बाद उनकी तनख्वाह घट कर ५०० रुपये हो गयी। करीब ५० ऐसे अध्यापक हैं जो एफीशिएंसी बार के नजदीक पहुंचे हैं लेकिन वे कैसे उस दुर्गम पहाड़ी को लांघें। मैंने उस समय भी माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कहा था कि माननीय मंत्री जी के मन में जो एक कल्पना है इस कल्पना को कहां तक इस धरती पर उतारने में अध्यापक सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह दिखायी देता है और वह सन्देह मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में दिखाई देता है तथा सत्य मालूम होता है।

[श्री रामायणराय]

हमारे साथी ने कहा कि फाइनेंस के बारे में कोई जांच कमीशन नियुक्त होने वाला था तो हमारे ट्रेजरार साहब ६ महीने की छुट्टी लेकर प्रज्ञातवास करने चले गये। ३६ एप्वाइंटमेन्ट्स नहीं हो पाये हैं, वह इसीलिये नहीं हो पाये हैं कि आवश्यक कमेटियां नहीं बन पायीं। यह कमेटी क्यों नहीं बनी? इसलिये कि आप का फाल्टी लेजिस्लेशन था, आपके ऐक्ट में दोष थे। और सब से आखिरी बात इस सिलसिले की श्रीमन्, जिधर मैंने प्रारम्भ ही में संकेत किया, वह नियुक्तियों की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों की जब चर्चा इस सदन में की गयी तो उस समय यह कहा गया कि साहब यूनिवर्सिटी तो एक आटोनामस बाडी है और चान्सलर साहब वहां पर सब कुछ हैं, उनके पास जाना चाहिये।

श्रीमन्, मेरे जैसे आदमी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि आखिर यह मामला क्या है कि एक तरफ तो आटोनामस बाडी की बात हो और दूसरी तरफ इस तरह के उसके जो अधिकार हैं वे भी उसमें सुरक्षित न रह पायें, यह कुछ अजीब सी चीज है। पता लगायें गोरखपुर में क्या हुआ? १० आदमी श्रीमन्, अप्लाई करते हैं किसी पद के लिये, उनमें से जो अधिक योग्य हैं उनको नहीं लिया जाता है। लिया उनको जाता है जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल या वहां के अधिकारियों के कृपापात्र हैं। यहीं तक नहीं हुआ है। एक बात तो अदालत के सामने गयी हुई है। चुनाव का जब वक्त आया तो ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएट नहीं थे उनको भी ग्रेजुएट बना दिया गया। तो यह सब गड़बड़ी है। आखिर हम कैसे अपनी जिम्मेदारी को फेंक सकते हैं? हमें गम्भीरता से सोचना होगा कि इस परिस्थिति में, शिक्षा की अव्यवस्था की स्थिति में आखिर हम कौन-सा मार्ग अनुसरण करते हैं, वह मार्ग जिसकी तरफ आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी या राधाकृष्णन् कमीशन या मुद्दालियर कमीशन ने संकेत किया था या वह मार्ग जो कामचलाऊ है, टेम्पोरेरी है। एक समस्या सामने आयी, प्रश्न आता है कि अब क्या होगा। दौड़धूप शुरू हुई और झट दो पन्ने का संशोधन हमारे सामने ला दिया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उसको जानने की चेष्टा नहीं की जाती है। मैं जानता हूं कि जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं उस को यह कह कर टाल दिया जायगा कि अरे विरोधी दल का तो यह काम ही है कि हम जो कुछ करते हैं उसकी वे नुक्ताचीनी करें। तो श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने सुना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसी परीक्षा के दिनों में एक अजीब उपद्रव की स्थिति पैदा हो गयी थी। आप ने कहा कि वहां विद्यार्थीगण और अध्यापकों में एक अजीब तनाव की स्थिति आ गई। यह सब क्यों हो रहा है? गुरु शिष्य के सम्बन्ध क्यों बिगड़ रहे हैं? अनुशासनहीनता क्यों है विश्वविद्यालयों में? एक सीधी-सी बात है, कहा जाता है कि इनटरेस्टेड पोलिटिकल पार्टीज वहां जा कर पालिटिक्स फैलाती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से आप के द्वारा आग्रह करूंगा कि वह स्मरण करें कि कम से कम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का छात्र आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग रहा है परन्तु स्वाधीनता प्राप्त होते ही हम ने स्वयं विद्यार्थियों के सामूहिक मोर्चे को समाप्त कर दिया और बदली हुई स्थिति में हम ने नये ढंग से, नई दिशा में सोचना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लिये आप कह सकते हैं उनके लिये असंगत बात है। केरल में उनके यहां कानून बनाया गया कि विद्यार्थी कोई संगठन नहीं बना सकते, अध्यापकों को संगठन बनाने का हक़ नहीं है।

एक सदस्य—यह कहां पढ़ लिया आप ने?

श्री रामायणराय—लेकिन जब कोई डिसटरबेन्स होता है तो फौरन भाई लोग सामने आते हैं और तरह-तरह की क्रान्तिकारी बातें करते हैं।

पिछले साल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उपद्रव हुआ उस समय हम विद्यार्थियों के साथ अकेले डटे रहे और हमने उस समय देखा कि कौन लोग अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। उनकी बात मैं नहीं करता लेकिन मैं आप से कह रहा हूं कि जिस का दावा है कि हम जनतन्त्र में विश्वास

करते हैं और जो देश को सुन्दर, समुन्नत बनाना चाहते हैं और जो नई पीढ़ी में स्वतंत्रता की भावना का आरोपण करना चाहते हैं उन से तो मैं ऐसी आशा नहीं करता कि वह लोग केवल यह कह कर इस समस्या को टाल दें कि वहां विरोधी दलों के लोग तीन-पांच किया करते हैं। उन्हें तो इस प्रश्न को गहराई से सोचना चाहिये। मैंने कई बार संकेत किया है तथा इसका कारण हमें यहां नहीं बताना है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि अध्यापक ही वहां के प्राण हैं, जब वही सांसत में रहेंगे, जब उनके सामने रोटी की बातें और दूसरी बातें हर समय रहेंगी कि यदि हम एक्जिस्टिन्ग आफिसर्स या अधिकारियों के कृपापात्र न रहे तो हमारा प्रोमोशन रुक जायगा, तो उनके प्राण से कैसे स्वस्थ ध्वनि मुखरित होगी? इस तरह से हम कैसे कबीर और तुलसी की वाणी अध्यापकों के द्वारा नई पीढ़ी में ले जाने की बात सोच सकते हैं? किस तरह से कबीर जैसे उदार और शंकराचार्य जैसे स्वस्थ विचारों के अध्यापक हमारे बन सकते हैं, अगर ऐसे लोग बनें तभी उनके द्वारा स्वस्थ ज्ञान आगे की पीढ़ियों में जायगा। आज हमारे अध्यापक काम्पलेक्स से सफर करते हैं। मैं आपको बताऊं, चुनाव की बात है, एक बक्सा गलत तरह से बन्द हो गया। इस पर कहा गया कि बन्द करने वाले कोई मास्टर साहब होंगे। किसी जमाने में किन्हीं और लोगों को मूर्ख कहा जाता था लेकिन गुरुओं का बड़ा आदर था और समझा जाता था कि वह निपुण होते हैं, लेकिन आज वह सारी संज्ञा गुरुओं को दे दी गई है और जैसा कि माननीय मंत्री जी भी अपनी सुमधुर ललित पदावली में कहा करते हैं कि हम भी मास्टर रहे हैं इसलिये हम चाहते हैं कि अध्यापकों का भविष्य भी हमारे यहां उज्जवल हो। तो ऐसे ही उज्जवल होगा? त्राहि-त्राहि मच गई थी, सारा प्रविडेन्ट फंड का पैसा जो कटा था वह भी प्रतिभूति दे दिया गया है। क्या ऐसे ही उन अध्यापकों में हम विश्वास पैदा कर सकते हैं? हम देखते हैं कि अमुक अध्यापक क्योंकि एक्जीक्यूटिव के लोगों का कृपापात्र है इसलिये नालायक होते हुए भी हेड आफ दि डिपार्टमेंट हो गया। तो आप एक स्वस्थ वातावरण पैदा करने के लिये, उसके मन में आर्थिक स्थिरता लाने के लिये जो मार्ग के अवरोध हैं उनको हटाकर कोई ऐसा प्रशस्त मार्ग बनायें जिससे वह अध्यापक जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है अपना पार्ट ठीक से अदा कर सके।

जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है जिन्हें आप अवयव कहा करते थे किसी-किसी दर्शन के क्षेत्र में अवयव और प्राण का द्वैत संबंध माना गया है। मैं तो कम से कम ऐसी फिलासफी का मानने वाला हूं। जहां यह भेद बिलकुल नहीं है, उन विद्यार्थियों को जिन्हें आप आशा का दीप मानते हैं वह दीप स्नेह-दान से प्रज्जवलित होगा, दुलराने से होगा, कोसने से नहीं होगा। उनके मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि जब तुम इस विश्वविद्यालय के प्रांगण से जीवन-क्षेत्र में पदार्पण करोगे तो तुम्हें तुम्हारे अनुकूल काम करने का अवसर समाज प्रदान करेगा..

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अब विषय पर आइये।

श्री रामायणराय—मैं मणि जी का बड़ा आभारी हूं क्योंकि वह मेरी हमेशा खबरगीरी रखते हैं शायद इसलिये कि वह गुरु हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता रहती है कि रामायण रेलेवेन्ट है या इर्रेलेवेन्ट। श्रीमन्, मैं उन्हें गुरु दक्षिणा अर्पित कर रहा हूं। उन्हें तो अध्यापक के पवित्र पद को छोड़ कर इस दल में नहीं फंसना चाहिये था।

मैं निवेदन कर रहा था कि आज देश-हित को ध्यान में रखकर ही इस बिल पर माननीय मंत्री जी के सामने मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। आज केरल हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। हर आदमी जो इस देश का ईमानदार नागरिक है उसे उस महान् घटना से सबक लेना चाहिये। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं मालूम हो रहा है कि उस घटना विशेष को सफलता तक पहुंचाने में किसी दल विशेष का कोई श्रेय नहीं है। इस देश का जो एक ढंग है सोचने का, यहां की जो चिन्तन धारा रही है, जो शिक्षा पद्धति रही है, उस शिक्षा पद्धति पर कुछ लोगों ने कुठाराघात करना चाहा। और देश ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उनकी दुरभिलाषा को धराशायी होना पड़ा। ठीक उसी तरह से अगर आप भी प्रच्छन्न रूप से

[श्री रामायणराय]

शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी बात करना चाहते होंगे तो एक भयंकर स्थिति की ओर आप देश को ले जायंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि वे कृपा करके इस बिल को जिसे मासूम कहेंगे, मंत्री जी भले ही न कहें, लेकिन उनके पीछे बैठने वाले जरूर कहेंगे, एक ऐसा अवसर मान लें, एक ऐसी कड़ी मान लें जहां से हम नये चरण की तरफ अग्रसर हो सकें, मुझे आशा है कि मंत्री जी हमारे मासूम सुझाव को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है उनके बारे में क्या-क्या उनमें खामियां हैं, काफी बातें बतायी जा चुकी हैं, उनके दोहराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज जिस ढंग से चल रही हैं उनमें कुछ करने की आवश्यकता है इसलिये सरकार को कोई न कोई बिल लाकर दखल देना होता है। सिर्फ यह सवाल काबिले गौर है कि क्या सरकार को मौजूदा यूनिवर्सिटीज के मामलात में दखल देना चाहिये या नहीं? इसके ऊपर भिन्न रायें हो सकती हैं। कुछ का कहना है यूनिवर्सिटी बिल्कुल अटोनामस बाडी है, सरकार को दखल नहीं देना चाहिये और वे इतनी अटोनोमस हैं कि अगर वे अपनी आजादी का भी दुरुपयोग करें, रुपये का दुरुपयोग करें, शिक्षा भी खराब हो जाय लेकिन उसमें तब भी दखल न दिया जाय। तो उन दोस्तों को तो मैं समझा नहीं सकता। यूनिवर्सिटी वह वर्कशाप है जिसमें से नई संतान तैयार होती है। इसलिये सरकार की मौलिक जिम्मेदारी है कि वह अगर यूनिवर्सिटीज के मामलात, उसकी स्थिति बराबर खराब होती जा रही है, तो उसमें दखल दे। मेरी शिकायत है कि सरकार ने दखल नहीं दिया, इसको देना चाहिये था। और जैसा अभी मेरे दोस्त रामायण राय जी ने कहा, मेरी तो यहां तक राय है और मैंने उनकी बातों को सुना और ताज्जुब हुआ उन्होंने कहा कि शिक्षा-प्रणाली पर प्रहार होगा और केरल में उस प्रहार का नतीजा निकला, मेरा तो खयाल है मौजूदा यूनिवर्सिटीज में न सिर्फ इतना ही दखल देना होगा बल्कि यह भी देखना होगा कि उसकी तालीम ऐसे ढंग की हो जिससे निकले हुए विद्यार्थी आज के समाज में फिटइन हो सकें। मार्शल और टेंशन की आउटमोडेड इकोनामी पढ़ायी जाती है, जो इतिहास पढ़ाया जाता है मुझे हैरत है कि आज यूनिवर्सिटीज में जो लड़के पढ़ते हैं, एम० ए० का लड़का यह नहीं बता सकता कि इंडियन स्ट्रगिल फार फ्रीडम का गौरवपूर्ण विषय क्या है? कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। १९१९ के राष्ट्रीय आन्दोलन का ध्येय क्या था, उसकी टेक्नीक क्या थी? इसलिये मैं कहना चाहता हूं, चाहे मेरी राय को कुछ समझा जाय मगर मैं इस खयाल का होता जा रहा हूं कि सरकार को यह देखना चाहिये कि देश की शिक्षा प्रणाली आज किधर जा रही है। कोर्स के बारे में ऐमफेसिस होना चाहिये, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम एक सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं, तो यह उन पुरानी किताबों से नहीं होगा जो किसी समय दूसरे उद्देश्य से पढ़ायी जाती थीं।

आज एक एवरेज लड़का जो एम० ए० में इकोनामिक्स पढ़ता है उसको यह पता नहीं कि चीजों के दाम क्यों बढ़ते हैं और वह साहबजादे खुद नहीं मालूम कि वह क्यों बेकार हैं। चूंकि आपने थोड़ी उस सबजेक्ट पर छेड़खानी की तो मैं समझता हूं कि मैं अगर अपनी शिकायत को सरकार के बारे में नहीं बताऊंगा तो अपने साथ न्याय नहीं करूंगा। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें इतनी आजादी दी गई हो। क्या समाज है? यूनिवर्सिटीज अटोनामस हैं, जुडिशियरी अटोनामस है, ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल न दें तो हम हैं किसके लिये? अगर हम दखल नहीं दे सकते, उनको किसी परपज के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकते, १०० साल पहले जो ढांचा बनाया गया था किसी दूसरे ध्येय से वह आज कैसे फिट इन हो सकता है। मैं कहूंगा यूनिवर्सिटीज के बारे में बड़ी गलतफहमी है। इस देश के बड़े जो अच्छे विचारक हैं, जैसे आचार्य विनोबा भावे जिन्हें कोई नहीं कह सकता कि उनका कम्यूनिस्टों से हजारों मील तक सम्बन्ध होगा कोई, उनका कहना है कि जैसी यूनिवर्सिटीज हैं इनको अगर बन्द कर दिया जाय तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या सरकार को इनके मामले में दखल देना चाहिये?

मेरी स्पष्ट राय है कि, यह कहा जा सकता है यह कोई मजबूत कदम नहीं है, मगर एक शुरूआत है। मुझे खुशी है कि आपका ध्यान उधर गया और मर्ज को समझा और जिम्मेदारी को, जो आपकी है, पूरा करने की तरफ कुछ कदम उठाया। अब सवाल आता है कि हम कर क्या सकते हैं? बहुत-सी बातें अपोजीशन की तरफ से कही गयीं और बहुत सी माकूल बातें कहीं गयीं। मुझे मौका हो तो मैं भी वही बातें कहूं लेकिन मुझे उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। डायगनोसिस में ज्यादा फर्क नहीं है। आप भी मानते हैं कि टीचर्स पोलिटीशियन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से जो लड़के निकलते हैं उनमें जो गुण राष्ट्र निर्माण के होने चाहिये वे नहीं होते। तो फिर यह सब कैसे होना चाहिये? उसके लिये इधर से बिल आया। आपका ख्याल है कि सिलेक्ट कमेटी में यह चला जाय तो ये चीजें पूरी हो जायंगी। मुझे दोनों में मुगालता नहीं कि महज बिल के पास होने से वे पूरी हो जायंगी या सिलेक्ट कमेटी में जाने से कोई खास बात हो सकेगी। यह जरूर है कि जो बिल आया है उसके पीछे एक संकल्प है।

असल में बिल पास होने से कोई बात नहीं होती। बिल के पीछे संकल्प क्या है इसे देखना होता है। उसके पीछे एक संकल्प है। अब वह धीमा है या तेज उसकी डिग्री पर मैं बहस नहीं करता, उसके पीछे एक संकल्प है। सन् १९५५ में जो बिल आया था या १९५७ में जो बिल आया था वह किस नीयत से आया था, उस बहस में भी मैं जाना नहीं चाहता। हां, जो बिल के बनाने वाले होते हैं वे अपने को इस बात से बरी नहीं कर सकते कि क्या उनके खयालात हैं, क्या उनकी एप्रोच है। चाहें बिल हम बनायें या आप बनायें।

यह दलील देनी कि यूनिवर्सिटी में खराबी तो बहुत दिनों से थी, आपको अभी क्यों मालूम हुई। यूनीवर्सिटी में खराबी है और जब भी वह मालूम हो जाय तो उसे दूर करना चाहिये। बाज वक्त जितने अच्छे विचार पैदा होते हैं वे अंधेरे के बाद पैदा होते हैं। जब बेचैनी व परेशानी हो जाती है तो इंसान का दिमाग उधर लग जाता है। तो जब यहां परेशानी ज्यादा बढ़ गयी तो दिमाग उधर जुटाना पड़ा।

आज यूनिवर्सिटी की हालत अच्छी नहीं है। उसका जो वातावरण है वह उतना स्वस्थ नहीं है जितना कि होना चाहिये था। न टीचर्स आज कल के तालीम, जिस कोटि की देना चाहिये, दे पाते हैं और न उस पैमाने के आदमी मिल पा रहे हैं और न विद्यार्थी उनकी शिक्षा के अन्दर इस किस्म की तालीम पा रहे हैं। तो इस को क्या किया जाय, क्या गवर्नमेंट कर सकती है?

कुछ दोस्तों का तो यह ख्याल है कि यह बिल लाना ही गजब हो गया है। यह केरल का रास्ता अपनाया गया है। केरल के रास्ते में यह कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। केरल में जो उनका बेसिक एप्रोच था वहां की हालत न समझते हुए एप्लाई किया गया। हिन्दुस्तान की जहनियत और आबोहवा के मुताबिक उसूलों को वहां एप्लाई नहीं किया गया। जैसा मैं समझता हूं आप की हिस्ट्री उन्होंने बदली, यह ठीक बात है। मगर उस बदली हुई हिस्ट्री में से गांधी जी का नाम हट जाय या राष्ट्रीय आन्दोलन की महत्ता कम हो जाय तो उसका रिएक्शन होगा। मगर हम हिस्ट्री बदलना नहीं चाहते, हम तो जो हिस्ट्री हो गयी है उसको लिखवाना चाहते हैं। तो आज तो संदेह हो सकता है मगर हम यह कहें कि हम सोशलिज्म में यकीन करते हैं पर एकोनामिक्स के डाक्ट्रिन्स को न बदलें, मैं समझता हूं यह कोई ज्यादा मुनासिब बात न होगी। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि अगर हम भी यह गलती करेंगे, शिक्षा प्रणाली और न्याय प्रणाली नहीं बदलेंगे तो हम भी जल्दी लुढ़क जायेंगे इस माने में कि यह एक क्राइसिस है। क्या आप पुलिस स्टेट के मेकैनिज्म से एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं? क्या आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के आलों से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना सकते हैं?

आज दस साल के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने यह एक सवाल पैदा हो गया है कि हमें अपने आलों को भी तेज करना होगा और नये हालात के साथ बदलना होगा। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री गोविन्द सहाय]

इस मुल्क में अगर आजादी बाकी रह गयी है तो सिर्फ करप्शन करने की रह गयी है, ईमानदारी से रहने की आजादी मिटती जा रही है, क्योंकि आजादी को इस्तेमाल करने के लिये जिस किस्म के इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है वह हम नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल, मुझे खुशी है कि यह एक अच्छा कदम है। कुछ वाकयात मुझे भी मालूम हैं, उसमें रामायण राय जी और मुझ में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जहां से उन्हें ब्रीफ मिली है वहां से मुझे भी मिली है।

मुझे खुद हैरत होती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के हालात जो इतने अर्से से चले आ रहे हैं उनमें पहले ही दखल देने की काफी जरूरत थी। उस पर कर्जे का बढ़ना, कर्जे का एक खास बैंक से लेना, दो लाख रुपये के करीब सूद देना, ये सब ऐसी बातें हैं कि अगर नहीं देखी गयीं तो बहुत बड़ा अन्देशा हो सकता है। सन् १९५५ में सरकार ने जो बिल पास किया था उसका मकसद था कि टीचर्स की आजादी को कम किया जाय। सन् १९५७ के बिल में यह महसूस किया गया कि जो पढ़ाने वाले हमारे आलाकार हैं वे अगर खुली हवा में सांस नहीं ले सकेंगे, अपना संगठन नहीं कर सकेंगे, यूनिवर्सिटी कोर्ट वगैरह में उनका कोई हाथ नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी का वातावरण अच्छा नहीं हो सकता। सन् १९५७ का बिल बहुत काफी तरक्की वाला बिल है। सन् १९५७ के बिल की स्पिरिट को खत्म करने के लिये जो हथकन्डे इस्तेमाल किये गये, चाहे इधर से किये गये हों या उधर से क्योंकि यूनिवर्सिटीज में मिक्स्ड पार्टीज हैं, बहरहाल, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं तो इतनी कम से कम आप कद्रदानी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी गलती को महसूस होने पर सुधार भी सकते हैं यानी यह कैथोलिक कैरेक्टर जो हमारा है इसको तो कम से कम आपको मानना चाहिये और आपका फर्ज हो जाता है इन बातों में हमारा साथ देने का। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी को मैं अपनी बात नहीं समझा पाता हूं कि यह जुडिशियरी गजब ढा रही है। रिट ऐसा निकल गया है कि म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो तो रिट आ जाय, युनिवर्सिटी में कुछ हो जाय तो रिट आ जाय। जुडीशियरी, मेरा खयाल है कि इस मुल्क में बहुत गैर-जिम्मेदारी से काम कर रही है और जो तरीके बरते गये उस बिल की स्पिरिट को खत्म करने के लिये और उन तरीकों का प्रतिकार करने के लिये जो बिल आ रहा है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि सदन में उधर के बैठने वाले लोग भी अपना सहयोग ज्यादा से ज्यादा देंगे क्योंकि अपोजीशन के माने यह होते हैं कि अगर कोई ठीक काम है तो आप भी उसमें मदद दीजिये। यदि ऐसा हो जाय तो सारे हाउस की ताकत बढ़ जाती है। इस खयाल से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जहां तक वाकयात का ताल्लुक है मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वह तो सब-यूनिवर्सिटीज में कामन हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अवश्य कहूंगा कि वह यूनिवर्सिटीज में दो, तीन स्टैंडर्ड कायम कर दे। एक तो यह कि अगर कोई एक्जीक्यूटिव कमेटी मैरिट को सैक्रीफाइस करती है तो यह ठीक नहीं है। पोलिटिकल पार्टीज में तो मैरिट को सैक्रीफाइस किया जा सकता है क्योंकि असर उसका एक लम्बे अरसे के बाद पड़ता है। लेकिन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन में यह सत्य की कैजुएलिटी है, ईमानदारी की कैजुएलिटी है। ऐसी दशा में सरकार को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिये कि अगर सरकार के नोटिस में ऐसी बात आये कि किसी एक्जीक्यूटिव कमेटी में मैरिट को सैक्रीफाइस कर दिया है तो उसमें से १०/५ को जरूर निकाल दीजिये और ब्लेक लिस्ट कर दीजिये ताकि ऐसा आगे करने की किसी को हिम्मत ही न हो। ईविल तब ही बढ़ता है जब कोई सजा देने वाला नहीं होता है। जब गलत कामों को जस्टीफाई किया जाता है तो बुराइयां बढ़ने लगती हैं। इसी तरह से जब बदमाशों को जस्टीफाइ किया जाता है तो क्राइम्स बढ़ने लगते हैं। इसलिये आपने जो यह कदम बढ़ाया है उसके लिये सारे हाउस की सद्भावना आपके साथ है। लेकिन इससे किसी को ऐसी गलतफहमी नहीं है कि यूनिवर्सिटी का इससे स्तर बदल जायगा। लेकिन यह जरूर है कि आपका कदम सराहा जायगा। आप दखल को ज्यादा न बढ़ायें

और इसके लिये आहिस्ता-आहिस्ता जनमत तैयार करें और आप रुपये तक ही अपने को सीमित न रखें बल्कि इतना आगे बढ़ें जायं कि जो लड़के यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं वह ऐसे निकलें जिससे वह देश के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकें और राष्ट्र का निर्माण कर सकें। यूनिवर्सिटी की तालीम का हमारे प्रोडक्शन से संबंध हो। आज आपका इलेक्टोरेट तो सीधी सी बात जानता है कि उसने आपको ठीक रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी दी है अगर आप नहीं चलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिये जब बदनामी हमारे सिर पर आती है तो अब वह समय आगया है जब सरकार को मुस्तैदी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिये और उसमें स्टैंडर्ड कायम करना चाहिये। इससे शिक्षा का स्तर उठेगा और देश के अन्दर एक सुन्दर और अच्छा वातावरण पैदा होगा और सही माने में जो काम आप करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके आने के चन्द मिनट पहले इस आदरणीय सदन में एक विषय पर सैद्धानिन्तक बहस प्रारम्भ हो गयी है। मैं समझता हूं कि इस तरह के सैद्धान्तिक विवाद हुआ करें तो अच्छा है। बड़े गौर से मैं लोगों के भाषणों को सुनता रहा और माननीय गोविन्द सहाय जी के भाषण को सुनकर मुझे निराशा ही नहीं हुई बल्कि तकलीफ भी हुई और मैं सोचता रहा कि गोविन्द सहाय जी का जनतंत्र के सम्बन्ध में क्या मत है? इसके अलावा शिक्षा के सम्बन्ध में और जुडिशियरी के सम्बन्ध में जो उन्होंने राय दी उससे मालूम हुआ कि अधिनायक वृत्तियों से उनका सामीप्य है। इसके बीच में मुझे आश्चर्य इसलिये हुआ कि इस तरह के अनुभवी सदस्य यूनिवर्सिटी की आटोनामी और एजूकेशन में फर्क पैदा न कर सकें। माननीय सदस्य ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र होने चाहिये और दूसरी तरफ कहा कि यूनिवर्सिटी वह वर्कशाप है जहां से निकले हुए लड़के हमारे देश के भविष्य को उज्ज्वल करेंगे और यों कहना कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो और विश्वविद्यालयों में आटोनामी होनी चाहिये। यह दोनों दो बातें हैं। ऐसा मुझे सुनने का मौका मिला और मैं क्या समझूं? उन्होंने इस बात को कहां तक सोचा है और कहां तक समझा है?

यूनिवर्सिटी आटोनामी के साथ-साथ शिक्षा स्तर को ऊंचा करने की बात है। शिक्षा स्तर ऊंचा करने के सम्बन्ध में इस सदन में बहुत बार बातें हुईं। आज मैं उम्मीद करता था कि माननीय गोविंद सहाय जी, जो यूजुअल स्पीच दिया करते हैं और नया जमाना, सोशलिज्म और प्लानिंग की बात किया करते हैं, इस प्रकार की बात न कह कर ऐसी सैद्धांतिक बात कहेंगे जिससे पूरे सदन को, जो विचार-विमर्श हो रहा है, रोशनी मिलेगी या मार्ग दर्शन होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यूनिवर्सिटी आटोनामी रहते हुए शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकता है और शिक्षा का स्तर यूनिवर्सिटी आटोनामी के रहते हुए ही उठ सकता है। ऐसी मान्यतायें सारे विश्व की हैं, केवल इस देश की नहीं। माननीय गोविंद सहाय जी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में रोज रोज गड़बड़ियां होती हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री के एक भाषण की ओर इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी की फाइनेंशल गड़बड़ियों, उनकी अप्वाइंटमेंट की गलतियों के बीच में हम इस लिये इन्टरफियर नहीं करते क्योंकि हम यूनिवर्सिटी आटोनामी में विश्वास करते हैं। जहां यूनिवर्सिटी में पक्षपात, भ्रष्टाचार और अन्य दोष होते हैं तो कह दिया जाता है कि हम इसलिये उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वह स्वतंत्र क्षेत्र है। लेकिन दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों के जो अधिकार हैं उनके अधिकारियों, प्राधिकारियों के जो अधिकार हैं, उनका जो एकेडेमिक कैरेक्टर है, उन अधिकारों को लेने की बात की भी आवश्यकता बताते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

अभी जब पिछले बार आर्डिनेंस पर इस सदन में विवाद हुआ तो इधर के और उधर के भी कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया था कुछ विश्वविद्यालयों की गड़बड़ियों की ओर। मंत्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटयां आटोनामस बाडीज हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एक छपी हुई किताब के रूप में कुछ सज्जनों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गयी

[श्री गौरीशंकर राय]

थी जो मंत्री जी को दी गयी। उसमें माननीय मदन पांडेय, लोक सभा के एक सदस्य और एक दूसरे सज्जन हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सम्बन्ध में निश्चित चार्ज लगाये हैं। १,२,३,४, करके उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों, चचा, भतीजे, लड़के और दामाद को किस प्रकार वहां स्थान दिया। इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना यूनिवर्सिटी आटोनामी के नियम के विपरीत है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि इलाहाबाद में एक छोटा सा मामला हुआ। प्रश्न यह था कि वहां के दूसरे कालेजों को ला कालेज का अफीलिएशन दिया जाय या नहीं। आज से एक साल पहले वहां की ऐकेडेमिक काउंसिल ने यह निश्चय किया कि किसी भी ऐफीलिएटेड कालेज को ला पढ़ाने की इजाजत न दी जाय क्योंकि वह पोस्ट-ग्रेजुएट विषय है। ऐकेडेमिक काउन्सिल के निर्णय के विरुद्ध इस बात की आवश्यकता पड़ी कि कायस्थ पाठशाला और अग्रवाल कालेज को ला का अफीलियेशन दिया जाय। सारी मान्यताओं और सारे नियमों के विपरीत वायस-चांसलर ने अफीलियेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री से बातें कर ली हैं। जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक मुख्य मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है। मैं इंटरफियर नहीं कर सकता। वायस-चांसलर का वह बयान है कि मैंने मुख्य मंत्री से बातें कर के कायस्थ एवं अग्रवाल पाठशाला को अफीलियेशन दिया है और माननीय मुख्य मंत्री का यह कहना कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है मैं इंटरफियर नहीं कर सकता, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैंने बताया।

लखनऊ विश्वविद्यालय तो राजनैतिक जीव जन्तुओं का क्रीड़ास्थल है ही। लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति और इसकी इक्की दुक्की समस्याओं को ले कर इस ऐक्ट में संशोधन करने की बात आती है। इसीलिये हमारे मित्र माननीय प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय, बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर छः महीने बाद, हर एक साल बाद एक समस्या आयेगी, उसके सम्बन्ध में बड़ी तेजी होगी और एक आर्डिनेंस निकल जायगा। अगर असेम्बली के दिनों में तेजी हुई तो विधेयक का अमेंडमेंट आ जायगा। पिछले वर्ष आया, उसके पहले आया, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आया, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आया, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन कठिनाइयों की ओर उस समय आपका ध्यान नहीं गया था? मंत्री जी का ध्यान इसलिये नहीं गया था कि उन्होंने उन कठिनाइयों के बारे में सोचा नहीं। एक समय में जो परिस्थिति हुई उसको ले उड़े। क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, पार्टीबाजी के शिकार कुछ लोगों ने कोई बात कही और वहां की पार्टीबाजी कोई उस तरह की नहीं है, वहां कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट इस तरह के दल नहीं हैं बल्कि उस तरफ के बैठने वाले शासक दल के लोगों में ही जो आपसी दल हैं उनसे संबंधित दल विश्वविद्यालयों में पार्टीबाजी किया करते हैं उन दलों में जब किसी एक के इन्टरेस्ट के खिलाफ कोई बात आती है और वह दल अगर शासक दल का स्नेहभाजन हुआ तो वह परिष्कार के लिये, परिवर्तन के लिये, संशोधन पेश कराता है और सरकार से उसे स्वीकृति मिल जाती है। अगर कभी उलट फेर हुआ और दूसरे भाई शक्ति में आ गये तो वह पुनः संशोधन करने लगेंगे और कहेंगे कि पब्लिक इन्टरेस्ट में है यह। तो यहां तो पब्लिक इन्टरेस्ट नित्य प्रति बदला करता है, विश्वविद्यालय का इन्टरेस्ट बदला करता है। हर छः महीने के बाद अमेंडमेंट की जरूरत पड़ जाया करती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ऐसी जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जिसके सम्बन्ध में हर दूसरे, तीसरे महीने इस प्रकार का प्रयोग आप करें, उसको ऐसी प्रयोगशाला आप न बनावें जिसमें अपने कानूनों का प्रयोग करें, जिसमें अपनी दलबन्दी का प्रयोग करें और अपने व्यक्तिगत मित्रों को कुछ तरक्की और दूसरों को कुछ तनुज्जली देने के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग करें।

जब हम यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात करते हैं, जब हम यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता होनी चाहिये तो उसका यह अर्थ कभी नहीं होता है कि उसके साथ जो शिक्षा प्रणाली बनी हुई है उसकी ओर ध्यान न जाय। जैसा माननीय गोविंद सहाय जी ने कहा कि एम०ए० पास और यूनिवर्सिटी से निकले हुए आदमी बेकार हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर वह बेकार हैं तो क्या यह यूनिवर्सिटी की आटोनामी की जिम्मेदारी है या शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि शिक्षा प्रणाली हमारी दोषपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में अकेला अभागा देश हमारा देश है जिसके केन्द्र के शिक्षा मंत्री मौलानाआजाद को भी मैंने यह कहते हुए सुना है और हमारे उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन भी यह कहते हैं कि यहां की शिक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। हमारे शिक्षा मंत्री तो नित्य प्रति उसे दोहराया करते हैं तो यह अकेला देश है जहां कि, जो शासनारूढ़ हैं वह भी, शिक्षा प्रणाली की निन्दा करते हैं और अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। मैं समझता हूं कि यह उनकी असमर्थता ही है या फिर जितनी सिंसियरिटी, जितनी ईमानदारी या जितना जील शिक्षा प्रणाली के बदलने में होनी चाहिये थी, वह नहीं है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि उनको किसी शिक्षा प्रणाली में कोई निष्ठा नहीं है। वह स्वयं अपने मस्तिष्क में इस सम्बन्ध में अस्थिर हैं।

अभी माननीय गोविंद सहाय जी ने भाषण दिया। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताऊंगा कि कहां-कहां उनके भाषण में विरोधाभास है। एक वाक्य को सुनने वाला दूसरा वाक्य सुनकर चकित होगा। इसी प्रकार इस सरकार की भी स्थिति है। आज अगर माननीय गोविंद सहाय जी यह सुझाव देते कि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन के लिये शिक्षकों की, शिक्षाविदों की और उनके जैसे अनुभवी लोगों की, जिन्होंने कि संसार भर का भ्रमण किया है और कम्यूनिस्ट तरीकों और कांग्रेस तरीकों और पता नहीं किस-किस तरीके की ब्रीफ होल्डिंग कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि 'आई एम होल्डिंग दि सेम ब्रीफ ऐज श्री रामायण राय' तो ऐसे लोग बैठकर के शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में कोई सुझाव देते। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय गोविन्द सहाय जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली और यूनिवर्सिटी दोनों दो बातें हैं। पढ़े लिखे और उनके जैसे विद्वान् और अनुभवी लोग ऐसी भ्रामक बातें इस सदन में न करें जिससे कि लोगों को अपनी जानकारी में ही भ्रम पैदा हो जाय।

आज जो बिल पेश है—रिमूवल आफ डिफिकल्टीज—इसकी आवश्यकता इसलिये हुई, खतरा यह हुआ मंत्री जी को कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की टेबिल, कुर्सी वगैरह बिकने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अचल सम्पत्ति को बेच नहीं सकते हो, केवल चल सम्पत्ति को बेच सकते हो। कभी सुना नहीं था कि किसी यूनिवर्सिटी की मेज, कुर्सी इत्यादि नीलाम हुई हों इस तरह से। मंत्री जी को कहीं से आभास हुआ होगा कि किसी दिन नीलाम कि तिथि निश्चित हुई है। उससे आक्रान्त होकर के उन्होंने आर्डिनेंस निकाल दिया, प्रतीक्षा भी नहीं की। २२ जून को उन्होंने आर्डिनेंस निकाल दिया। जून भी समाप्त हो चला था और उन्होंने एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं की।

दूसरी तरफ मंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बड़े हामी हैं। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि बार-बार छोटी मोटी समस्याओं को लेकर हर बार इस ऐक्ट में अनावश्यक संशोधन किये जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक बार बैठ जायं और उसमें जितनी त्रुटियां हों उन सब पर विचार कर लें। ऐसा न हो कि ३,४ मास के समय में यदि एक मुकदमा दाखिल हो गया तो आप उसको खत्म करने के लिये अमेंडमेंट लायें। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलेक्शन हो रहा था और वहां कौंसिल बनने वाली थी लेकिन मुकदमेबाजी के कारण नहीं बन सकी। अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह कानून बनेगा तो मुकदमा हटेगा। मुझे नहीं मालूम कि इस कानून के बन जाने से गोरखपुर विश्वविद्यालय का मुकदमा कैसे हटेगा और वहां पर एक्जिक्यूटिव कौंसिल बनेगी। वहां पर कुछ नहीं बनने वाला है और कोई उस मुकदमे को हटा नहीं सकता। फिर यह हो सकता है कि नये कानून के बनने के बाद

[श्री गौरीशंकर राय]

नये प्रकार से मुकदमेबाजी शुरू हो। हो सकता है दूसरे लोगों की तरफ से यह शुरू हो या और किसी तरफ से शुरू हो। यदि दूसरे दल की ओर से शुरू हुआ और दूसरे दल का प्रभाव पड़ा तो और संशोधन विधेयक आ सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ठंडे दिल से गम्भीरता-पूर्वक विचार करे और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी हमारी शिक्षा के स्तर से एक भिन्न बात है। यदि विश्वविद्यालय की गड़बड़ी के विपरीत कोई बात है तो उसके लिये कोई कदम उठाना सरकार का हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता।

जैसा कि गोविंद सहाय जी ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी में रुपये पैसे की गड़बड़ है और अगर आप यह समझते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में रुपये पैसे की गड़बड़ है तो क्या दिक्कत है इसको कुछ लोगों के जांच के लिये देने में? गोविंद सहाय जी का जुडीशियरी पर विश्वास नहीं है। उनका विश्वास प्रजातंत्र में अधिक है। फिर वह क्यों चिंतित हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि उनको विश्वास रखना चाहिये। इस सारे देश का विश्वास और देश के प्रजातंत्र का विश्वास आज जुडिशियरी पर है तो आप जुडिशियरी के लोगों को बैठाइये कि वह हिसाब के सम्बन्ध में जांच करें।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यहां पर शिकायत की गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि जितनी नियुक्तियां वहां पर हुईं वे सब भाई भतीजे वाद के आधार पर हुईं और बिरादरी बाजी के आधार पर हुईं। शिब्बनलाल जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां हुई हैं वे सब रैबिट कास्टीज्म के आधार पर हुई हैं। जब यहां पर शिकायत की गयी तो इसी बीच में उनका कन्फरमेशन भी कर दिया गया। शायद उस पर मंत्री जी की स्वीकृति भी होती है। यहां से स्वीकृति मिली या नहीं लेकिन उस एक्जिक्यूटिव कौंसिल की अवस्था समाप्त हो गई थी तो उसको पुनर्जीवित किया गया और यह पुनर्जीवन उन लोगों को दिया गया जिनके खिलाफ बड़े-बड़े चार्जेज थे। माननीय मंत्री जी को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। गोविंद सहाय जी ने कहा कि हमारी भावी सन्तान को बनाना और सारे देश का निर्माण उनके ही ऊपर निर्भर करता है। फिर क्या वजह है कि जब हमारे देश के निर्माता इन यूनिवर्सिटीज से पैदा होने वाले हैं तो उन विश्वविद्यालयों के अन्दर इनके बचपनकाल में ही बिरादरीबाजी और पक्षपात से उनको वहां पर स्थान दिया जाय और प्रमोशन दिया जाय। क्या इससे देश का वातावरण स्वस्थ होने वाला है? क्या इससे प्रदेश को प्रगति मिलेगी? अभी हमने देखा कि एक किसी फर्स्ट क्लास डिवीजनर ने अप्लाई किया और एक डाक्टर ने अप्लाई किया लेकिन उस स्थान के लिये भर्ती होती है ट्रेजरार के लड़के की और भरती होती है एक्जिक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर के सन-इन-ला की। इस प्रकार से १,२,३ नहीं बल्कि बहुत सी शिकायतें हैं। हमारे सामने मंत्री जी कहते हैं कि वह यूनिवर्सिटी की आटोनामी के हामी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहने की इजाजत दीजिये कि जो बुराई आज विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है, वह इसी सरकार की कार्य प्रणाली और नीति का परिणाम है। जो लोग आज शासन में हैं वह अपनी ही पार्टी को यूनिवर्सिटी में लिफ्ट देते हैं। पहले एक आदमी के एडमीशन के लिये सिफारिश करदी गयी लेकिन फिर आकर वह कहता है कि आजकल अमुक व्यक्ति शासन में है तो उससे मिल लें और फलां आदमी का वहां पर जोर है। इसी प्रकार से दूसरे लोग कल वहां आजायं तो उनकी बात हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में, सरस्वती के मंदिरों में इस प्रकार से पार्टीबाजी न करें। अगर इस प्रकार की पार्टीबाजी करेंगे तो इस देश का भविष्य, इसके प्रजातंत्र का भविष्य, उनके भविष्य के सम्बन्ध में हमें चिंता नहीं है, उनकी सरकार रहे या न रहे, इस देश और प्रदेश की चिन्ता है, खतरे में है और इसलिये उसके हित में हम यह पार्टीबाजी न करें। तो मेरा अनुरोध है कि प्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय और ऐसा संशोधन किया जाय कि फिर तीसरे महीने जब असेम्बली बन्द हो जाय तो मंत्री जी को फिर कोई आर्डिनेंस न निकालना पड़े और फिर सदन के सामने न आना पड़े कि यह एक बात छूट गयी थी इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका कि आपने मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलने की आज्ञा प्रदान की। श्रीमन्, "हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता" यह बात पूरी तरह से यहां चरितार्थ होती है। आपके सदन का अत्यन्त महत्व है और सभासदों का भी अत्यन्त महत्व है। यहां पर जो चर्चाएं होती हैं वह भी अत्यन्त महत्वशाली हैं। श्रीमन्, बहुत कम बोलने का अवसर पाता हूं। देहातों में एक कहावत है कि हंसिये का बिया होता है और खुर्पी के गीत गाये जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जिसके समर्थन में मैं बोलने खड़ा हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात आ गयी है कि जिससे विश्वविद्यालय की सुन्दरता में बाधा पड़ रही है। इतना ही नहीं मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सभी लोग, चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के, यदि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को अपने कार्यों और चर्चाओं से प्रभावित न करें तो अच्छा है। सैकड़ों घर हैं, एक घर छोड़ना ही चाहिये। जहां तक इन शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है इसमें संदेह नहीं कि इनमें बड़ी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही नहीं, परम स्वतंत्र ये हैं। विश्वविद्यालयों को हर काम करने का अधिकार है और हर कार्य वे करते हैं और जितना रुपया पैसा चाहें वे खर्च कर लें और जब वे कर्जा कर लें तो कहा जाय कि वह अदा करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको देना चाहिये। तो यह आवश्यक है कि या तो हम से वह पैसा न मांगें, जैसे वह चल रहे हैं, चलते रहें, लेकिन जब वे कर्ज लेते हैं और उसे चुकाने के लिये हम से पैसा मांगते हैं तो उस दशा में आवश्यक हो जाता है कि उन पर थोड़ा नियंत्रण भी हो।

जहां तक इन विश्वविद्यालयों की शिक्षा का सम्बन्ध है, स्पष्ट है और उसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उनका स्तर गिर रहा है और बड़ी परेशानियां हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं और उसका उत्तरदायित्व हम सब का है और इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि आजकल जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं में खींचातानी चल रही है उसके उत्तरदायी हम्हीं लोग हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जब भी हाउस में सुनिये, बड़ी खराबी सुनने में आती है। अभी वह दो, चार वर्ष का बच्चा ही है, उसको धन भी जितना अपेक्षित था नहीं दिया गया, किसी न किसी तरह से पूर्वी जिलों के लिये एक विश्वविद्यालय बनाया गया। कुछ भी, जितना चाहते थे, उसके लिये नहीं हुआ। वह रूरल यूनिवर्सिटी बन रही थी और उसके लिये बड़े-बड़े स्वप्न थे। जिन लोगों ने त्याग किया था, तपस्या की थी, उनके प्रयत्नों के बल पर वह स्थापित हुआ, उसको धन की कमी के कारण अपने सीमित साधनों से प्रान्तीय सरकार ने जो कुछ किया वह ठीक ही हुआ है। लेकिन उसकी खराबी इस सदन में इतनी बतायी जाती है कि मालूम होता है कि दुनिया भर की खराबी विश्वविद्यालय में पहुंच गयी है। मैं तो कहता हूं, आप एक ही बात क्यों लेते हैं। जब आप किसी की खराबी बयान करते हैं तो उसकी अच्छाई की तरफ भी आपको आना चाहिये। यह भी तो आप देखें कि वह यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्थापित की है उन लोगों ने किन कठिनाइयों और तपस्याओं के साथ उसको स्थापित किया। पूर्वी जिलों के लिये एक बहुत बड़ा वरदान हुआ जिससे संबद्ध होकर वह कालेजेज चल रहे हैं और बड़ा भारी उपकार हुआ।

त्रुटियों का जहां तक सम्बंध है हम तो रोज इसी में पाते हैं। पहले तो अपने को सुधारने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, प्रक्रिया नियमावली रखी हुई है, गैलरी खचाखच भरी हुई है, मगर रोज त्रुटियां होती चली जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी की नियुक्ति के बारे में, और बातों में त्रुटियां हो जाती हैं। कौन किस का भाई नहीं है? हिन्दुस्तान के सभी रहने वाले, "वसुधैव कुटुम्बकम्" सभी सब के भाई, सभी सब के रिश्तेदार हैं। जो योग्यता में आयेगा वह रखा जायगा। अगर इस दृष्टिकोण से वहां की हर बात में खराबी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

निकालें तो सब का सब खराब हो जायगा और अगर अच्छाई निकालें तो वह चीज अच्छी हो जायगी। इसी तरह से प्रयाग विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय हैं जो इतना काफी धन ऋण में लेते चले जा रहे हैं जिसका कोई पारावार नहीं है। तो उसपर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिये। इसमें हस्तक्षेप क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह का नियंत्रण नहीं करेंगे तो किस तरह से कार्य होगा और देश की क्या दशा हो जायगी?

आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना है माननीय सदस्यों से कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा संस्थाओं के बारे में आपने सत्परामर्श दिये लेकिन उसकी किसी विशेष कारणवश आलोचना, प्रत्यालोचना सदन के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिये, इससे देश का बहुत बड़ा अहित होगा। जहां तक शिक्षा के स्तर का सम्बन्ध है, यह कहा गया कि ४–६ मुहकमों में हमेशा विधेयक आते हैं, आर्डिनेंस रखे जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? यकायक हम बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं तो कहा जाता है कि गड़बड़ी हो रही है। तो शनैः शनैः हम ठीक रास्ते पर लायेंगे, इसमें क्या दिक्कत हो गयी, क्या परेशानी हो गयी जिसमें इतना विवाद हुआ कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय।

जहां तक शिक्षा के स्तर का सम्बन्ध है, देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर काफी अनुशासनहीनता चल रही है। उसमें भी किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम आप उत्तरदायी हैं। हम सोचें, विचार करें कि देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि छात्रों में अनुशासनहीनता है, अध्यापक मनमाने हो गये हैं, वह भी राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्ध रखने लगे हैं। मैं तो चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं उनको थोड़ा और समय काम करने के लिये दिया जाय। कोई एक घंटा, कोई दो घंटे पढ़ाता है और ८००, १५०० और २,००० तनख्वाहें। बैठे-बैठे इधर-उधर की बातें करते हैं और खाली रहते हैं। यह देखा गया है कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो संस्था खाली होगी, काम कम होगा तो वे झगड़ा करेंगे, देश के लिये समस्या उत्पन्न करेंगे और वह अध्यापक जिनके पास काफी काम है, काफी काम करने के लिये समय मिलता है वह उस तरह के झगड़े और झंझट में नहीं आते। तो मैं पुनः चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें कि इनके घंटे बढ़ा दें और अनुशासनहीनता जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है उस सम्बन्ध में इधर के और उधर के सदस्य बैठकर विचार करें कि इसमें क्या होना चाहिये। मैं अपने विरोधी भाइयों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि मैं जब सुनता हूं तो कोई ऐसे सुझाव नहीं दिये जाते हैं जिनके द्वारा हम अपने छात्रों को आगे उठा सकें। वही आधुनिक ढंग से, आधुनिक प्रणाली से पार्लियामेन्टरी पद्धति को सामने लेकर चलते हैं लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि जिससे विश्वविद्यालयों में इस तरह की पढ़ाई हो जिस तरह से ऋषि लोग पढ़ाते थे, उस तरह के हमारे आश्रम हों, विद्यार्थियों की उस तरह की भावनायें हों। इस प्रकार का कोई सुझाव न देकर और जो दूसरे प्रकार की टीका-टिप्पणी की जाती है उससे कोई ठोस लाभ नहीं होने वाला है। मैं चाहूंगा कि जिस समय आप शिक्षा पद्धति में मूल परिवर्तन करने बैठें उसमें इस तरह के भी सुझाव होने चाहिये कि न तो ज्यादा कुर्सियों की जरूरत हो, न बड़ी-बड़ी इमारतों की जरूरत हो बल्कि जैसे शान्ति निकेतन है, नालन्दा इत्यादि जो प्राचीन काल के विश्वविद्यालय थे, उसी तरह के सुझाव आपकी तरफ से आने चाहिये...

श्री अध्यक्ष—अभी आप अपना भाषण जारी रखेंगे?

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखें, अब इस समय दूसरा काम शुरू होगा।

३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ पर श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद

श्री अध्यक्ष—अब एलोपैथी चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति न होने से सम्बन्धित कुंवर श्रीपालसिंह के ३१-७-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ पर श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर जिसमें १५८ एलोपैथिक अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं और डाक्टरों की नियुक्ति करने में यह सरकार अबतक असफल रही है, चर्चा करने की इजाजत दी। पेश्तर इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं, मान्यवर, मैं माफी चाहता हूं आपसे और इस सदन से कि कल इसके लिये जब समय नियत किया गया था कुछ ऐसे कारण आ गये जिनकी वजह से मैं गैरहाजिर रहा।

प्रश्न सीधा साधा यह है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार सन् १९५७ में कुल एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज की संख्या १,०४६ थी। हो सकता है, इसमें कुछ १०, २०, ३० का इजाफा इस बीच में हो गया हो। जो जवाब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया उसके अनुसार १५८ ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टर नहीं हैं। अगर औसत लगाया जाय तो १५ फीसदी एलोपैथिक अस्पताल प्रदेश में ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं। मान्यवर, यह १५ फीसदी की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, खासकर जब यह देखा जाय कि हर साल यह सरकार कुछ नये अस्पताल खोलती जा रही है। सन् १९५५ में इन अस्पतालों की संख्या ९६१ थी, और १९५५ और १९५७ के बीच में ८५ अस्पताल नये खोले गये और जहां डाक्टर नहीं हैं उन अस्पतालों की संख्या १५८ है। यह दशा इस साल की ही नहीं है, पिछले साल भी आजमगढ़ के एक अस्पताल के सिलसिले में, जहां तक मुझे याद है, माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा था कि डाक्टर न मिलने के कारण कई मास से डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर काम कर रहा है। तो जब यह दिक्कत आज भी है, पहले भी थी, तो क्या कारण है कि नये अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं और उन नयों में भी डाक्टर नहीं होते और न पुरानों में होते हैं।

मान्यवर, जहां तक मेडिकल डिपार्टमेंट के बजट का सवाल है, इस वर्ष माननीय मंत्री ने बड़े गर्व से अपर हाउस में कहा था कि उनके यहां का काम इतना अच्छा है कि एक पैसे की कटौती का भी प्रस्ताव किसी ने नहीं दिया। बहरहाल, उसका जो भी कारण रहा हो, इसका श्रेय उन्होंने अपने लिये ले लिया और अपनी मिनिस्ट्री के लिये ले लिया कि इस सदन ने इस वर्ष यह नहीं कहा कि इनके विभाग में एक पैसे की भी कमी कर दी जाय। खर्चे के लिये जितना धन चाहा वह इस सदन ने स्वीकार किया तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि डाक्टर देहात में जाना पसन्द नहीं करते। ८५ फीसदी लोग इस प्रदेश के देहात से आते हैं। दुख की बात है कि लोग देहात में जाना पसन्द नहीं करते, लेकिन यदि डाक्टरों की सर्विस कंडीशंस में कुछ सुविधा दी जाय, उनके रहने के लिये क्वार्टर हों, वेतन में बढ़ोत्तरी हो, कुछ एलाउन्स दिया जाय क्योंकि शहर में डाक्टर कुछ फालतू धन भी पैदा कर लेते हैं जो देहात में नहीं है, तो मेरा विश्वास है कि देहात में जाना वे पसन्द करेंगे। क्यों मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, यह मैं उनसे जानना चाहूंगा।

साथ ही कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां जरूरत से ज्यादा डाक्टर हैं। मसलन लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में, यद्यपि उसके सुपरिन्टेंडेंट ऐसे हैं जो योग्य हैं, जल्द देखरेख, दवा-सेवा हो जाती है, लेकिन क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि वहां १२ डाक्टर रिजर्व ड्यूटी पर हैं? यही गालिबन इलाहाबाद के काल्विन अस्पताल और दूसरे बड़े अस्पतालों की दशा होगी। जैसा मैंने पहले कहा, ५ सालों में जितने अस्पताल खोले गये उनसे ज्यादा अस्पताल

[श्री त्रिलोकीसिंह]

बिना डाक्टरों के हैं। पहले दवाओं का अभाव था, लेकिन अब डाक्टरों का भी अभाव हो गया। हमारे यहां एलोपैथी के तीन मेडिकल कालेज हैं, लखनऊ, आगरा और कानपुर में, जिनसे, मुझे ठीक तो नहीं मालूम है, लेकिन लगभग ३००, ४०० लड़के हर साल एम० बी० बी० एस० करके निकलते होंगे। अगर उनमें से आधों को यहां स्थान दे दें तो निश्चयपूर्वक यह दिक्कत दूर हो जायगी। मैं यह आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी सरकार की ओर से ऐसी राय देंगे कि यह दिक्कत जल्द से जल्द दूर हो जायगी।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिलोकी सिंह जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न यहां उठाकर मुझे मौका दिया कि मैं कुछ वस्तु-स्थिति अर्ज कर सकूं। इसमें दो रायें नहीं कि डाक्टरों की कमी के कारण हमारे कुछ अस्पतालों में बिना डाक्टर के ट्रेन्ड कम्पाउंडर काम कर रहे हैं। सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है कि किसी न किसी तरह से यह दिक्कत दूर हो और हमारे सभी अस्पतालों में डाक्टर पहुंच जावें ताकि पूरे तौर से जन-सेवा हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने एक और मेडिकल कालेज, जो कानपुर में है, खोला। मेरे मित्र ने अभी कहा कि हमारे तीनों कालेजों से ३००, ४०० लड़के पास होकर हर साल निकलते हैं। लेकिन अभी तक कानपुर के कालेज से कोई बैच नहीं निकला है क्योंकि उसे खुले ५ साल नहीं हुये हैं। इसलिये आगरा और लखनऊ के, ये दो ही कालेज ऐसे हैं, जहां से विद्यार्थी हर साल कुछ तादाद में निकलते हैं। उनकी तादाद इतनी नहीं होती जितनी कि मेरे मित्र ने बतलाई है। जितने ऐडमिशन होते हैं सभी पास भी नहीं होते हैं। तो काफी तादाद पासशुदा की नहीं होती है। आशा की जाती है कि जब कानपुर का भी बैच निकलने लगेगा हमारी पोजीशन कुछ ईज हो जायगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह भी कोशिश की गयी है कि अभी तक आगरा और लखनऊ मेडिकल कालेजेज के विद्यार्थी पी० एम० एस० (टू) में लिये जाते थे लेकिन सरकार ने अब यह कर दिया है कि हिन्दुस्तान भर के जितने भी कालेजेज हैं उन सब के एम० बी० बी० एस० पास विद्यार्थी उसमें लिये जांय। लिहाजा सन् ५८ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने १५८ स्थानों के लिये ऐडवर्टिजमेंट किया और इंटरव्यू के बाद १५८ विद्यार्थियों को भेजा, जिनमें से १३८ वे लोग थे जो पहले से ही हमारी सर्विस में थे, उनको एप्रूव कर दिया गया, वे सर्विस में कंटीन्यू करेंगे। बाकी २० लोग और भी ज्वाइन करेंगे। अब फिर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्तदुआ कर रहा हूं कि वह और डाक्टरों का सेलेक्शन करे ताकि दूसरे अस्पतालों में उनकी तकर्रुरी की जा सके।

इसके साथ ही साथ जैसा कि हमारे मित्र ने कहा अभी देहात में डाक्टर लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं, लेकिन उनको ठीक तरह से हाल मालूम नहीं है। उनका अभी तक खयाल है कि देहात में हमारी प्रैक्टिस चलेगी नहीं लेकिन जिनको सही स्थिति मालूम है वे जानते हैं कि देहात के लोग भी अस्पताल माइन्डेड हो गये हैं और दूर-दूर से लखनऊ तक दवा कराने के लिये आते हैं। अगर गांवों में डाक्टर मिल जायं तो वहां प्राइवेट प्रैक्टिस भी अब चल सकती है, ऐसा मेरा खयाल है, और अनुभव है। लेकिन उनके दिल में दिक्कत है और वाकई दिक्कत है जिसे मैं साफ तौर पर बतला देना चाहता हूं। मीन्स आफ कम्युनिकेशंस इतने हद तक वहां पहुंचने के नहीं हैं जिनसे कि उनको आसायश हो। इसके अलावा अस्पतालों की बिल्डिंग्स भी जिस स्टाइल और ढंग की होनी चाहिये और क्वार्टर्स होने चाहिये, वे उस स्टाइल के अभी नहीं हैं। सरकार ने एक योजना बना रखी है, हर साल हम कुछ बिल्डिंग्स अस्पतालों की और डाक्टरों तथा नर्सों के क्वार्टर वगैरह बनाते हैं। इस तरह की अस्पतालों की ४५ बिल्डिंग्स देहाती रकबे में बनायी गयी हैं और इधर अगले साल में हम कुछ और बनायेंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि उनकी ये सब दिक्कतें कम हो जांय ताकि उनको बिल्डिंग्स वगैरह न रहने की वजह से जो दिक्कत होती है वह न हो सके।

हमने यह भी बन्दोबस्त किया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मौजूदा योजना के अन्दर खोलेंगे और उनमें पी० एम० एस० (टू) २००–४०० रु० के ग्रेड में रखेंगे तथा इसके अलावा ७० रु० महीना और देंगे तथा ५ वर्ष की प्रैक्टिस पर, १० व १५ वर्ष की प्रैक्टिस पर ५० रु० महीना के हिसाब से और देंगे। इस तरह से उनको हम ४००+७०+५० रु० के स्केल में रखेंगे। इस तरह से हमने उनके स्केल में भी वृद्धि करने की कोशिश की है ताकि लोगों का रुझान उस तरफ हो कि वे देहातों में जाना भी पसन्द करें। लेकिन हां, यह कह देना मेरे लिये मुश्किल बात है कि हम उनके स्केल तो इतना बढ़ा दें जो हमारे इमकान के बाहर हो। धनाभाव भी इसका मुख्य कारण है वरन् हम स्केल को बढ़ाने में कोई कोताही नहीं करते। इस तरह से हम इधर भी सारा प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी यह कमी पूरी हो। हमारे मित्र ने एक बात और कही कि कहीं-कहीं पर ओवर स्टाफ है तथा बहुत से लोग रिजर्व ड्यूटीज में हैं। बलरामपुर अस्पताल का भी हवाला दिया गया, तेजबहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद के बारे में वे मशकूक रहे, क्योंकि पूरी जानकारी उनको नहीं थी लेकिन मैं यह कहता हूं कि कुछ लोग रिजर्व्ड ड्यूटीज में रहते हैं, जिले के सदर अस्पतालों में भी कुछ लोग रिजर्वड्यूटीज में रहते हैं लेकिन वहां तो ऐसे ही लोग रहते हैं जो फ्रेश पास करके आते हैं। वहां पर उनको इसलिये रखा जाता है ताकि उनको दो तीन महीने के अन्दर प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हो जाय जिससे वे देहातों में जाकर अच्छा काम कर सकें। अगर मेडिकल कालेज से पास करके तुरन्त ही निकले हुए आदमी को देहात के अस्पतालों में भेज दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वे कभी भी उतने एफिशिएंट साबित नहीं होंगे जितने कि दो तीन महीने तक का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करके साबित होंगे।

यह सही है कि बलरामपुर अस्पताल में १०, १२ डाक्टर्स रिजर्व में हैं, लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह और माननीय रामायण राय जी को भी पूरा पता है कि वहां पर काम भी बहुत अधिक है। वे स्वयं भी काफी दिनों तक वहां रह चुके हैं। जब भी जाइये सुबह से दो बजे तक, शाम तक मरीज ही मरीज दिखलायी पड़ते हैं। अक्सर मुझे सरप्राइज विजिट के मौके पर तथा कभी-कभी अपने विधायक मित्रों को देखने जाने का मौका मिला है तो मुझे बराबर ही यह चीज देखने को मिली है। मेरी समझ से जो वहां १२ डाक्टर्स हैं वे अधिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि अगर कम हो सकते हैं तो वे कम कर दिये जांय। इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि यहां के लोग बाहर के अस्पतालों में चले जायं तो मुमकिन है कि फिर कुछ शिकायत हो कि डाक्टर मरीजों को पूरी तरह से अटेन्ड नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। वैसे उस जिम्मेदारी को मैं अपने ऊपर उठाऊंगा तथा शिकायत होने पर उसका कोई प्रबन्ध करूंगा। लेकिन फिर भी थोड़े दिन तक रिजर्व ड्यूटी में रखना लाजमी है वरना न मालूम उनके हाथ से कितनी हत्यायें हो जायं गैर-तजुर्बेकार होने के फलस्वरूप। इसलिये जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम किसी तरह की कोताही नहीं कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में २ ऐसे अस्पताल हैं जहां कोई डाक्टर नहीं था, अब एक जगह तो डाक्टर भेज दिया गया है। इस के अलावा दून में जो थारसिक सेन्टर है वहां पर भी कोई थारसिक सर्जन मिलने पर भेज दिया जायगा। एक बात हम यह भी कर रहे हैं कि जहां बहुत दिन से डाक्टर नहीं रहता वहां हम दूसरी जगह से डाक्टर भेज देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा दिन तक कोई जगह बगैर डाक्टर के न रहे, इस तरह से रद्दोबदल हम किया करते हैं। यह काम ऐसा है कि बगैर एडीशनल हैंड्स मिले हम पूरा नहीं कर सकते, वैसे जहां तक हो सकता है सभी अस्पतालों की हम देख-रेख रखते हैं।

कहा गया कि अगर डाक्टर नहीं हैं तो अस्पताल क्यों खोले जाते हैं, तो हम केवल एलोपैथिक अस्पताल ही नहीं वरन आयुर्वेदिक और तिब्बी अस्पताल भी खोलते हैं जिनमें हकीम और वैद्य भेजे जाते हैं। इस सदन में माननीय सदस्यों की बराबर मांग होती है, अगर उन का हुकुम न माना जाय और उनकी ख्वाहिश पूरी न की जाय तब भी बड़ी दिक्कत है, उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिये कुछ न कुछ अस्पताल खोलने पड़ते हैं। इसके अलावा एक दिक्कत हमारी और भी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी ७७ या ७० अस्पताल हैं जो इन्टीरियर

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

में हैं, वहां पर मैदानी डाक्टर तो क्या पहाड़ी भी जाना पसन्द नहीं करते। पहाड़ी विद्यार्थी भी जो लखनऊ में पढ़ लेते हैं उनको यहां की हवा लग जाती है फिर वह पहाड़ पर जाना पसन्द नहीं करते, जिस तरह से छुट्टी होती है लेकिन विधान सभा के सदस्य घर जाना पसन्द नहीं करते। अगर हम प्लेन्स के आदमी को भेज भी देते हैं तो वह किसी न किसी तरह की तरकीब करके छुट्टी लेकर भागने की कोशिश कर लेते हैं, प्लेन के लोग तो क्या पहाड़ के लोग भी वहां जाना पसन्द नहीं करते। मैं तो श्री प्रताप सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पहाड़ के डाक्टरों को परसुएड करें कि वह सेवा की भावना से पहाड़ों में ही जांय, इस तरह से बहुत से अस्पताल जो पहाड़ों में खाली हैं वहां डाक्टर पहुंच जायेंगे और वह अपनी पूर्ति स्वयं कर सकते हैं।

इस के अलावा ७० या कितने डाक्टर हमें जेल ड्यूटी में या पुलिस अस्पतालों में भेजने पड़ते हैं। वहां भी डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते लेकिन हमें तो वहां भेजने पड़ते हैं। यहां तक होता है कि जिनकी बारी देहात की, पहाड़ की या इन जेल, पुलिस अस्पतालों की आ जाती है वह कभी-कभी इस्तीफा देना पसन्द करते हैं और वहां जाना पसन्द नहीं करते। इन दिक्कतों के होते हुये भी हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे और कानपुर के नये बैच के आने के बाद हमारा रास्ता कुछ आसान हो जायगा और शायद उस समय हम सब जगह ठीक तरह से डाक्टर पहुंचा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---अब कोई सदस्य प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये और इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १५८ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और जिन के लिये उन्होंने कहा कि हम वहां डाक्टर भेजने के लिये प्रयत्नशील हैं और परेशान हैं तो वह कब तक प्रयत्नशील रहेंगे और पूरा कर सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जब तक पूरे नहीं होंगे हम प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों तथा ग्रामों में काम करने वाले चिकित्सकों की सुविधा के लिये उन्हें विशेष एलाउन्स देने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल कर मैंने स्केल बढ़ाया है, अभी मैंने अर्ज कर दिया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५८ डिस्पेंसरीज जिनमें डाक्टर नहीं हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो पहाड़ पर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह फिगर तो एग्जैक्ट नहीं दे सकता, लेकिन ४०-५० होंगी ऐसा खयाल है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि जेलों में भी डाक्टर नहीं पहुंचते हैं तो यह जो १५८ अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं इनमें वह भी शामिल हैं जो जेलों के अस्पताल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जेलों में सब जगह डाक्टर हैं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि चूंकि देहातों में जाने में डाक्टरों को दिक्कत होती है तो वह देहातों के छात्रों को लेकर हीं वहां पर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काफी लड़के देहात के मेडिकल कालेज में आते हैं, लेकिन पांच वर्ष के ग्लैमर के बाद वह भी देहात जाना पसन्द नहीं करते।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कोई इसका प्रमाण दे सकेंगे या यह सिर्फ सपोजीशन है कि देहात के लड़के शहर में आकर फिर देहात में जाना पसन्द नहीं करते?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह बहस की बात है।

श्री प्रतापसिंह—पर्वतीय इलाके में जो देहात हैं उनके लिये सरकार ने मेहरबानी करके मेडिकल कालेज में हर सेक्शन में ६ सीटें रिजर्व की हैं, तो सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इस रिजर्वेशन की पूर्ति होती है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी इत्तला तो यही है कि उसे पूरा किया जाता है।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहाड़ों पर, देहातों में और जेलों में तथा पुलिस ड्यूटी पर डाक्टर जाने से इंकार करते हैं तो भविष्य में जब भरती की जाय तो उन डाक्टरों से इस बात की गारन्टी करा ली जाय कि पांच वर्ष तक जरूर इन क्षेत्रों में काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कानपुर और लखनऊ मेडिकल कालेज में यह कर दिया है कि पास करने के बाद दो वर्ष सरकार की नौकरी करनी होगी।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में तीन बातें खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन एप्वाइंट करे सरकार को जो अधिकार है कि ६ महीने का टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट कर सकती है उसका उपयोग करके क्यों वह प्रयत्न नहीं करती है कि जल्दी से जल्दी जहां तक संभव हो इन अस्पतालों को डाक्टर पहुंचाये जायं? दूसरे यह दुख की बात है कि यहां हल्की सी शहर की हवा खाने के बाद लोग गांव में जाना नहीं चाहते। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिये कि इस देश के सुदूर कोने में भी, जब रेल नहीं थीं, तार नहीं था, मोटर नहीं थी, तब अल्मोड़ा में और गढ़वाल के इलाके में और आसाम के ट्राइबल एरियाज में मिशनरीज ने अस्पताल खोलकर और इंगलिस्तान से और अमेरिका से डाक्टरों को लाकर वहां रखा। या तो हम यह स्वीकार करें कि हममें जनसेवा के भाव की कमी है या हम इस बात को मानें कि उन मिशनरीज को जो सहूलियतें थीं जो पिथौरागढ़ में अस्पताल खोल सकते थे वह सहूलियतें देना यह सरकार अब मुनासिब नहीं समझती है। श्रीमन्, मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि सरकार देहाती अस्पतालों के डाक्टरों के लिये विशेष सुविधा दे, महज हेल्थ यूनिट्स के द्वारा नहीं बल्कि निश्चित रूप से, तो मुझे विश्वास है कि वहां अधिक से अधिक संख्या में डाक्टर मिल जायेंगे। मान्यवर, मंत्री जी ने यह बात कही कि जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी अगर रिजर्व ड्यूटी से कुछ डाक्टरों को देहात भेज दें। इधर के जो बैठने वाले हैं वह तो अर्ज करते हैं कोई काम जो बनेगा उसका श्रेय सरकार को मिलेगा और कोई काम जो बिगड़ेगा भले ही हमारी राय उसमें रही हो उसकी सारी जिम्मेदारी उसी के माथे होगी। मेरी मंशा कभी यह नहीं थी कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस के अस्पतालों में इतने डाक्टरों की संख्या कम कर दें कि मरीजों को देखने के लिये डाक्टर न रहें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह बात मुनासिब नहीं है कि एक अस्पताल ओवर स्टाफड कर दिया जाय या फुली स्टाफड हो और दूसरे अस्पताल बिना डाक्टर के रहें। बहुत बड़ी संख्या १५८ की है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही जिससे मुझे बड़ा दुख भी हुआ और वह यह कि वह सारे प्रांत में उलट और हेर फेर किया करते हैं। यह दिक्कत महज १५८ अस्पतालों की नहीं है बल्कि सारे

[श्री त्रिलोकीसिंह]

प्रांत की है। ३ महीने तक एक अस्पताल में डाक्टर नहीं है वहां दूसरी जगह से भेज दिया गया तो जहां से भेजा गया वहां ३ महीने तक कोई डाक्टर नहीं रहा। मेरा यह खयाल था कि यह दिक्कत महज १५ फीसदी में है। लेकिन अब मालूम हुआ कि यह दिक्कत ८०,८५ फीसदी अस्पतालों में है। मैं आशा करता हूं कि वह इन बातों का संतोषजनक उत्तर देते हुए इन शंकाओं का भी समाधान करने की कृपा करेंगे

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, जहां तक तकर्रुरी का सवाल है हमारे मित्र ने कहा कि ६ महीने के लिये हमको नियुक्त करने का अधिकार है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि १ साल के लिये हमको अधिकार है और मैं कोशिश करता हूं। १ साल की तकर्रुरी करता हूं और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की कान्करेंस के लिये भेज देता हूं।

जहां तक कि ओवर स्टाफड होने का ताल्लुक है उसके संबंध में जो बात मैंने कही वह बात हमारे मित्र को अपील नहीं की कि रिजर्व ड्यूटी में जो होते हैं उनको ओवर स्टाफड में न गिनना चाहिये वे तो ट्रेनिंग के लिये रखे जाते हैं और अगर उनको ट्रेंड न करके अस्पतालों में इंडेपेंडेंट चार्ज दे दिया जाय तो बजाय काम बनने के बिगड़ जायगा। यह हमारी राय है और इससे सभी सहमत होंगे। लिहाजा ओवर स्टाफड होने का सवाल है नहीं। जहां पर बहुत रश होता है वहां डाक्टर्स होना जरूरी है। यह मैंने कभी नहीं कहा कि अगर भेज देने के बाद कोई गड़बड़ी होगी तो सरकार उसकी जिम्मेदार न होगी। सरकार जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार है।

अब जहां तक तिकड़म की बात है वह तो मैंने अपने भाई त्रिलोकीसिंह जी से सीखी है। लिहाजा हमको फौरी इंतजाम कुछ न कुछ करना पड़ता है ताकि लोगों को कुछ न कुछ सहायता पहुंचावें।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि ८५ फीसदी में नहीं करते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। हमारी कोई बदनीयती नहीं होती।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, २४ अगस्त, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर)

तालिका

अदालत का नाम, जो सन् १९५८ में दायर किये गये	वादों की संख्या नियमित रूप से		खफीफा वादों की संख्या जो सन् १९५८ में दायर किये गये।	
	ललितपुर तहसील	महरौनी तहसील	ललितपुर तहसील	महरौनी तहसील
अदालत मुन्सिफ ललितपुर	२००	१२८	२४५	१३०
	मऊ तहसील	गरोठा तहसील	मऊ तहसील	गरोठा तहसील
अदालत मुन्सिफ झांसी ..	१४५	१७४	—	—

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८–१९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

१—जीव जगत ..	रु०	१३,२६५.१८	नये पैसे
२—कला और आधुनिक प्रवृतियां	,,	४,८९५.०२	नये पैसे
३—मृतिका उद्योग	,,	१०,९३६.८७	नये पैसे
४—भारत का भाषा सर्वेक्षण	,,	६,५२७.९०	नये पैसे
५—राजनय ..	,,	३,३३५.६२	नये पैसे
६—कोयला ..	,,	९,६१५.२०	नये पैसे
७—जाति विज्ञान का आधार	,,	१७,३५२.७९	नये पैसे
८—दर्शन संग्रह	,,	६,८९४.५०	नये पैसे
९—संगीत शास्त्र	,,	९,४२३.१५	नये पैसे
१०—संस्कृत नाटककार	,,	५,२०१.००	नये पैसे
११—राइफल ..	,,	६,६६०.४८	नये पैसे
१२—भौतिक विज्ञान में क्रांति	,,	७,३८५.४९	नये पैसे

नोट—इस ब्योरे में कागज के व्यय का विवरण नहीं है। प्रत्येक पुस्तक में लगे हुए कागज की निरीक्षा अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, इलाहाबाद से कराई जाती है। वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

देवरिया जन-पथ के ग्रामों के नाम जिनमें १-३-१९५९ से १-५-१९५९ तक अग्निकांड हुए

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	दुर्घटना की तिथि	क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	दुर्घटना की तिथि
१	चौमुखा	४-३-५९	३५	गढ़पालजती ..	१२-४-५९
२	कोटवा ..	५-३-५९	३६	अरहईपार ..	१२-४-५९
३	रपवापुर ..	७-३-५९	३७	वरियापुर ..	१७-४-५९
४	मनझरिया ..	८-३-५९	३८	किसुनपाली ..	१९-४-५९
५	बघउच ..	८-३-५९	३९	परसिय गुलकी ..	१९-४-५९
६	खखनी ..	७-३-५९	४०	फुलवरिया करन ..	१९-४-५९
७	लेड़हा ..	११-३-५९	४१	विशुनपुर कलां ..	१७-४-५९
८	मेहड़ा ..	११-३-५९	४२	भहुंई ..	२१-४-५९
९	डुमरी ..	१३-३-५९	४३	करुड़पार ..	२१-४-५९
१०	महाराजपुर ..	१३-३-५९	४४	भगवानपुर ..	२४-४-५९
११	गौरी खुर्द ..	१३-३-५९	४५	कर्मधनवा ..	२४-४-५९
१२	भरौली बाजार ..	१६-३-५९	४६	सुरौली खास, ..	२४-४-५९
१३	अकटाहिया उर्फ मटियरी ..	१६-३-५९	४७	हरिनन्दनपुर ..	२५-४-५९
१४	नकटा पार ..	१७-३-५९	४८	उम्भर मिस्वा ..	२९-४-५९
१५	परखा चौकहा ..	१८-३-५९	४९	मरौलीबाजार ..	१-५-५९
१६	कठनाया ..	१९-३-५९	५०	अलावलपुर ..	५-३-५९
१७	हेतिमपुर ..	२०-३-५९	५१	रावबारी ..	८-३-५९
१८	पिपरा चन्द्रभान ..	२०-३-५९	५२	सीहपुर ..	८-३-५९
१९	कुंवर बखरा ..	२१-३-५९	५३	बरइपुर ..	..
२०	लपकनी ..	२२-३-५९	५४	मिसनियापैकौली ..	१२-३-५९
२१	जं० तरैनी ..	२१-३-५९	५५	धरमसौरबाबू ..	१३-३-५९
२२	बहोरदलपतपुर ..	२२-३-५९	५६	देवड़ी ..	..
२३	डुमरिया ..	२७-३-५९	५७	बड़कागांव ..	१४-३-५९
२४	मलघोंटविरैचा ..	२८-३-५९	५८	कम्हरिया ..	..
२५	आमघाट ..	२९-३-५९	५९	घनपुरवा ..	१७-३-५९
२६	महुआ डीह ..	३०-३-५९	६०	महुववा ..	..
२७	जराहरावह ..	३०-३-५९	६१	बरहज ..	१८-३-५९
२८	परतावरवा ..	१-४-५९	६२	मिसनीयापैकौली ..	१९-३-५९
२९	मेहड़ा ..	३-४-५९	६३	सिरखिया मैकौनी ..	१९-३-५९
३०	मुंडेराजगदीशपुर ..	४-४-५९	६४	मधवापुर ..	२१-३-५९
३१	डुमरी ..	६-४-५९	६५	भनपुरवा ..	२२-३-५९
३२	सिरजम ..	१२-४-५९	६६	हरैया ..	२९-३-५९
३३	विशुनपुरभूपत ..	१२-४-५९	६७	बलुया अफगान ..	..
३४	पिपरादैलाकदम ..	१२-४-५९	६८	जरार रमन ..	३०-३-५९
			६९	खैराट ..	१-४-५९

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम		दुर्घटना की तिथि
७०	पेड़री वांडे	..	६-४-५९
७१	मैराती	..	१२-४-५९
७२	अमौनी	..	..
७३	विगना मिश्र	..	२७-४-५९
७४	बहौरधनौती	..	१३-३-५९
७५	फतेहपुर	..	२३-४-५९
७६	परौहा	..	..
७७	बहौरवा	..	२४-४-५९
७८	बेकुआ	..	२५-४-५९
७९	सबुआ	..	..
८०	परसिया अजमेर	..	..
८१	ठाकुर गौरी	..	२६-४-५९
८२	नरसिंहडाड	..	..
८३	भुडौली	..	..
८४	टढ़वा	..	२५-४-५९
८५	फतेहपुर	..	२९-४-५९
८६	बड़का गांव	..	..
८७	लालचक	..	३०-४-५९
८८	पिपरा उत्तरी पट्टी	..	..
८९	डुमरिया	..	८-३-५९
९०	परसौन	..	८-३-५९
९१	सिधुवा	..	७-३-५९
९२	कुरमौल	..	११-३-५९
९३	पटहेरवा	..	११-३-५९
९४	सेयम छपरा	..	..
९५	सपही बुजुर्ग	..	१५-३-५९
९६	सेमरी हरदो पट्टी	..	..
९७	रामपुर बरहज	..	१७-३-५९
९८	बंगलजगदीशपुर	..	१८-३-५९
९९	राआरी	..	१९-३-५९
१००	अमवा खास	..	२०-३-५९
१०१	कोटवा	..	..
१०२	घनहा	..	१३-३-५९
१०३	पटहेरजा बुजुर्ग	..	२६-३-५९
१०४	दशहवा	..	२५-३-५९
१०५	जगदीशपुर	..	२९-३-५९
१०६	रहसूजनूवी पट्टी	..	..
१०७	मसुरिया बसंतमार	..	३१-३-५९
१०८	मधुरिया	..	१५-३-५९
१०९	कोइलसवा बुजुर्ग	..	११-३-५९
११०	माधोपुर बुजुर्ग	..	३-४-५९
१११	ढोरही	..	..

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम		दुर्घटना की तिथि
११२	विश्चमरपुर	..	६-४-५९
११३	खेसिया	..	..
११४	जलान छापर	..	७-४-५९
११५	मटिहनियां	..	..
११६	मिश्रौलिया	..	१२-४-५९
११७	मदनपुर	..	..
११८	अहिरौली खुर्द		१३-४-५९
११९	सुखपुर	..	१२-४-५९
१२०	तरया सुजान	..	१३-४-५९
१२१	धौरहरा	..	१२-४-५९
१२२	दनियाड़ी	..	..
१२३	मइसोहरा	..	१४-४-५९
१२४	आलहालादपुर	..	..
१२५	पिपरा मोतसिलका भरवा		१५-४-५९
१२६	सेसु मिश्र	..	१३-४-५९
१२७	चैती मुसहरी	..	१५-४-५९
१२८	बबुआ हरपुर	..	१८-४-५९
१२९	धुरिया इमलिया	..	१३-४-५९
१३०	बकुलहा	..	२४-४-५९
१३१	पाफ	..	२०-४-५९
१३२	सरसिया	..	२४-४-५९
१३३	शाहपुर खलवापट्टी		२५-४-५९
१३४	अमवा खास	..	२४-४-५९
१३५	कसया	..	२५-४-५९
१३६	साहब गंज	..	२४-४-५९
१३७	चखनी दुखी मिश्र		२६-४-५९
१३८	गगलवा	..	२५-४-५९
१३९	विशुनपुरा खुर्द	..	२६-४-५९
१४०	सेमरा हरलो	..	२४-४-५९
१४१	तमकुही	..	२५-४-५९
१४२	करमहा	..	२७-४-५९
१४३	बुलहवा	..	३-३-५९
१४४	भरवलिया	..	..
१४५	कोटवा	..	४-३-५९
१४६	धनौती खास	..	४-३-५९
१४७	तिरंगोड़ा	..	६-३-५९
१४८	अविरौली राजा	..	७-३-५९
१४९	भलुकहीं	..	८-३-५९
१५०	मुंडेरा	..	२६-३-५९
१५१	सोनबरसा	..	४-३-५९
१५२	मंडेराय	..	८-३-५९
१५३	मुजहना रहीम	..	१२-३-५९

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	दुर्घटना की तिथि
१५४	रामपुर सोहरौना ..	२३-३-५९
१५५	मठिया बुजुर्ग ..	११-३-५९
१५६	महुवबा ..	१५-३-५९
१५७	सउरहा बुजुर्ग ..	१४-३-५९
१५८	सिधना ..	१५-३-५९
१५९	बउली निस्फी ..	१६-३-५९
१६०	पुजहनी ..	१७-३-५९
१६१	गोपालपुर ..	२६-३-५९
१६२	गोपालपुर विरैचा ..	२६-३-५९
१६३	धरमबली ..	२८-३-५९
१६४	छनरा भगत ..	२९-३-५९
१६५	गुतरीहा ..	..
१६६	कप्तानगंज ..	३०-३-५९
१६७	सेमरा ..	३१-३-५९
१६८	एउरहा बुजुर्गद्दौला टोला पिपरपाती	२२-३-५९
१६९	बरगाली ..	२७-३-५९
१७०	बरकहा गंगाछापर	३०-३-५९
१७१	मदरहा ..	६-४-५९
१७२	ढाढा बुजुर्ग ..	७-४-५९
१७३	कप्तानगंज ठोला बहेलशगंज ..	७-४-५९
१७४	पटना ..	..
१७५	महुअवा मसजीदीश	..
१७६	कुरमोटा आश ..	१२-४-५९
१७७	चरनहा ..	१६-४-५९
१७८	धरुआ डीह ..	..
१७९	मदरहा ..	१२-४-५९
१८०	सोनबरसा ..	..
१८१	नौतारजंगल ..	१५-४-५९
१८२	हीरा छापर ..	१८-४-५९
१८३	गोबरही ..	२४-४-५९
१८४	लाल छापर ..	..
१८५	बरवा महादेवा ..	..
१८६	मथौली ..	२४-४-५९
१८७	लोहैपर ..	..
१८८	मिश्र ढाढा ..	२५-४-५९
१८९	सोहरौना ..	२४-४-५९
१९०	खडेडा खुर्द ..	२४-४-५९
१९१	लक्ष्मीपुर ..	२४-४-५९
१९२	सोठा ..	२८-४-५९
१९३	सुधयानी ..	२४-४-५९
१९४	कुसुम्ही ..	२७-४-५९
१९५	हरपुर दरबा ..	२८-४-५९
१९६	पपउर खास ..	२४-३-५९
१९७	कुरहवा ..	२४-३-५९
१९८	कुसुमहा ..	२६-४-५९
१९९	ललुआलखुइखड्डा	१-५-५९
२००	लौकरिया ..	२४-४-५९

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

जिला	सूचना केंद्र का स्थान
१--बाराबंकी	रुदौली
२--खीरी	गोलागोकरननाथ
३--पीलीभीत	बीसलपुर
४--कानपुर	बिठूर
५--उन्नाव	मौरावां

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६८ पर)

उत्तर प्रदेश न्याय मंत्री के पूर्तिनिधि (चैरिटी फन्ड) से वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में रोगियों को सहायतार्थ दिये गये अनुदानों की जिलेवार संख्यायें

जिला	वर्ष १९५६–५७	वर्ष १९५७–५८	वर्ष १९५८–५९
देहरादून	३३	१७	१२
सहारनपुर	६	४	२
मुजफ्फरनगर	३	०	२
मेरठ	१९	१४	९
बुलन्दशहर	१४	१५	१२
अलीगढ़	२७	१९	१६
मथुरा	३४	३४	३०
आगरा	२७	३०	९
मैनपुरी	१३	८	७
एटा	१२	९	६
बरेली	१४	१४	१२
बिजनौर	७	२	४
बदायूं	६	४	३
मुरादाबाद	५	१०	५
रामपुर	०	०	२
शाहजहांपुर	१४	१	२
पीलीभीत	०	४	३
फर्रुखाबाद	२	२	५
इटावा	६	५	२
कानपुर	४५	५२	३९
फतेहपुर	१	१	३
इलाहाबाद	२८	२८	१२
झांसी	५	३	२
जालौन	३	५	०
हमीरपुर	६	२	२
बांदा	३	२	१
वाराणसी	१९	२४	१४
मिर्जापुर	३	४	३
जौनपुर	२२	२०	४
गाजीपुर	१	३	१
बलिया	७	५	५
गोरखपुर	२१	१५	९
बस्ती	२२	२१	१८
आजमगढ़	१९	१८	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला		वर्ष १९५६–५७	वर्ष १९५७–५८	वर्ष १९५८–५९
देवरिया ..	.. ..	६	१३	६
नैनीताल ..	.. ..	१३७	९५	५८
अल्मोड़ा ..	.. ..	५३	५६	२७
गढ़वाल ..	.. ..	५२	६४	९३
टेहरी-गढ़वाल	.. ..	१	१	१
लखनऊ ..	.. ..	५५१	५५७	७६२
उन्नाव ..	.. ..	१५	१६	९
रायबरेली ..	.. ..	८	१३	४
सीतापुर ..	.. ..	१	८	९
हरदोई ..	.. ..	७	८	३
खीरी ..	.. ..	६	४	२
फैजाबाद ..	.. ..	५	११	९
गोन्डा ..	.. ..	२	४	९
बहराइच .	.. ..	२	४	९
सुलतानपुर ..	.. ..	१	५	३
प्रतापगढ़ ..	.. ..	१	५	३
बाराबंकी ..	.. ..	८	१०	१५
अजमेर	..	३	०	०
शिमला ..	..	११	१०	३
दिल्ली ..	.. ..	२	२	१
बर्मर-राजस्थान	.. ..	१	०	०
बम्बई ..	अन्य प्रदेशों में उपचार.	०	०	१
अम्बाला ..	प्राप्त करने वाले उत्तर.	०	१	०
श्रीनगर (कश्मीर)	प्रदेश के निवासी इत्यादि	०	१	०
रांची ..	.. ..	०	०	१
कलकत्ता ..	.. ..	०	०	१
पंजाब	..	०	०	१

संसद्‌ग्रन्थ प्रकाशन

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९–४० के उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

सूची नं० १

जिला उन्नाव से जिला लखनऊ में मिलाये जाने वाले गांवों के प्रस्ताव की सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम	किस तहसील से	किस तहसील में
१	२	३	४
१	तीन्दुआ हेरनकुट्टी	हसनगंज	लखनऊ
२	शेखपुर	,,	,,
३	जातहामऊ	,,	,,
४	बढ़हा	पुरवा	,,
५	ज्ञानपुर	,,	,,
६	मखदूमपुर	,,	,,
७	गद्दीपुर	,,	,,
८	दरेहटा अचली	,,	,,
९	दरेहटा महल्ल	,,	,,
१०	लच्छीपुर	,,	,,
११	पहाड़पुर	,,	,,
१२	गोमापुर	,,	,,
१३	उग्रपुर	,,	,,
१४	चिलोली	,,	,,
१५	गोड़वा	,,	,,
१६	बुदबोडर	,,	,,
१७	कीलपुर	,,	,,
१८	घरदमनपुर	,,	,,
१९	बितौरा	,,	,,
२०	मझारिया	,,	,,
२१	नीमीटकार	,,	,,
२२	चौपई	,,	,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सूची नं० २

जिला लखनऊ से जिला उन्नाव में मिलाये जाने वाले गांवों के प्रस्ताव की सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम		किस तहसील से	किस तहसील में	
१	२		३	४	
१	मिर्जापुर लोटवान	..	लखनऊ	हसनगंज	जिला उन्नाव में
२	हलास खेड़ा	..	,,	,,	
३	रहीम नगर पानदिरया	..	,,	,,	
४	बहदनामऊ	..	,,	,,	
५	भटगांव	..	,,	,,	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में, जिन ग्रामों की फसल गत वर्ष १९५८ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई, उनका विवरण इस प्रकार है :—

नाम तहसील	ग्रामों की संख्या
सदर	३८०
बांसगांव	२७०
महाराजगंज	७१
फरेंदा	९३
योग ..	८१४

इन ग्रामों को सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है :

सरकारी व्यय पर ग्राम समाज तथा किराये की नावों का प्रबन्ध किया गया। जिले के सुरक्षित बन खंड (फारेस्ट ब्लाक) किसानों के पशुओं को निःशुल्क चरने के लिये खोले गये। ६,२८८ व्यक्तियों को ३७ दिन तक निःशुल्क चना वितरित किया गया। १,०३,५७५ रुपये की धनराशि बीज के खरीदने के लिये तकावी के रूप में वितरित की गई व बीज वितरण व सस्ते गल्ले की दूकानों का भी प्रबन्ध किया गया।

उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त सदर तहसील के नदुआ बांध के कटने के कारण ९५० व्यक्तियों को ग्राम से निकाल कर शरणार्थी गृहों (रिलीफ कैम्प) में रक्खा गया तथा उन्हें निःशुल्क भोजन दिया गया।

क्षतिग्रस्त खातों में नियमानुसार मालगुजारी में २,४७,७२४ रुपये की छूट भी दी गई।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

सूची

क्रम-संख्या	नाम लेखपाल तथा हलका	ग्राम जिनकी परताल की गयी	खसरा: क्षेत्र जिसका निरीक्षण हुआ/पायी गयी अशुद्धियां	खसरा: अशुद्धियों का प्रतिशत	भू० चित्र संशोधन: क्षेत्र जिनका निरीक्षण हुआ/पायी गयी अशुद्धियां	भू० चित्र संशोधन: अशुद्धियों का प्रतिशत	खतौनी का परीक्षण (testing): तादाद खाते जिनका परीक्षण हुआ/अशुद्धियां	खतौनी का परीक्षण (testing): अशुद्धियों का प्रतिशत	खतौनी का निरीक्षण (inspection): तादाद खाते जिनका निरीक्षण किया गया/अशुद्धियां	खतौनी का निरीक्षण (inspection): अशुद्धियों का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	श्री अंबिका प्रसाद हलका चैनपुर	नरहरपुर	२१/१३	६२ %	२१/२	१० %	४६/७	१५ %	८/	० %
		चैनपुर	२९/५	१७ %	२९/–	० %	६५/५	८ %	५०/३	६ %
२	श्री बेनीमाधो हलका लच्छीपुर	लच्छीपुर	६२/९	१५ %	६२/६	१० %	३०/६	२० %	११/४	३६ %
३	श्री काशी प्रसाद हलका टेढ़ा ..	टेढ़ा	५३/१४	२६ %	५३/१२	२३ %	६७/२	३ %	५५/२	४ %
४	श्री रमाशंकर हलका अटवा ..	टीकरकलां	५६/१३	२३ %	५६/१	२ %	१४०/११	८ %	२७/३	११ %

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर)

Copy of letter no. Panchayat/227, dated May 26, 1959, from Sri DAULAT RAMA NIM, *Mantri, Jatav Sahayak Sabha, Gangni, district Agra, addressed to the Hon'ble Minister for Agriculture, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.*

Subject : **Encroachment on the banjar land of Gram Samaj, Gangni (Agra) by the Thakurs of the said Samaj**

With due respects I beg to state as below :

That the Thakurs, who have their majority in the said Gram Samaj Committee, have encroached the banjar land of the said Samaj for about two and a half years.

That the matter has been reported several times to the Collector, Agra ; President, Gram Samaj, Gangni ; Scheduled Castes Commissioner ; Government of India, New Delhi ; Government of Uttar Pradesh, Petitions Department, Lucknow ; the District Harijan Welfare Officer, Agra; the Panchayat Raj Officer, Agra; the Tehsildar, Firozabad, Agra ; but no satisfactory action has been taken so far against the defaulters for separating the land of Samaj.

Therefore, I request your honour kindly to arrange for the separation of encroached land from their occupancy and to distribute the same to the landless Scheduled Caste people, Sarvasri Ghasirama Hansraj, Dalchandra and Daulat Rama Nim of the said village who are applying for it for about three years.

Thanking you in anticipation.

Copy of letter no. Panchayat/224, dated May 26, 1959, from Sri DAULAT RAMA NIM, *Mantri, Jatava Sahayak Sabha, Gangni (Agra), addressed to the Hon'ble Late Minister for Agriculture, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.*

Subject; **Distribution of banjar land of Gram Samaj, Gangni (Agra) to the landless Scheduled Castes People**

With due respects I beg to state that Sarva Shree Ghasi Ram Hansraj, Dal Chandra and Daulat Rama, Nim, landless Scheduled Caste people of village Gangni (Agra) are applying for the banjar land of the Gram Samaj for about three years, but they could not be given a single inch of banjar land, though they are landless people having their big families to support in these hard days while the Thakurs, who have their majority in the said Samaj have registered land to the Thakurs who are already agriculturists.

Therefore, I request that the arrangements for distribution of banjar land to the above landless Scheduled Castes people may kindly be made.

Thanks.

Copy of letter no. Panchayat/220, dated May 26, 1959, from Sri DAULAT RAMA NIM, *Secretary, Jatav Sahayak Sabha, Gangni (Agra), addressed to the Hon'ble Minister for Agriculture Government of Uttar Pradesh, Lucknow.*

Subject : **Withdrawal of the order, dated October 15, 1959, of Collector, Agra on the resolution, dated July 27, 1958 of Gaon Samaj, Gangni, district Agra**

With due respects I beg to state as below :

That the Land Management Committee of Gaon Samaj, Gangni (Agra) has passed a resolution on July 27, 1958 for the purpose of reserving the cent per cent banjar land of the Gram Samaj and the Collector, Agra, has passed his orders on October 15, 1958 on the same which are illegal because according to the Gram Samaj Manual only 10 per cent land can be reserved.

That the Thakurs, who have their majority in the said Committee, have passed this resolution so that they may not give land to the landless Scheduled Castes people who are applying for three years.

Therefore, I request your honour that the Collector, Agra may kindly be asked to withdraw his orders, otherwise he should quote the rules and regulations in support of his orders for our satisfaction.

Thanks.

अध्यक्ष पटेश्वर मिश्र

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

अन्तरिम जिला परिषद् फर्रुखाबाद के अन्तर्गत पाठशालाओं की इमारत की व्यवस्था के लिए १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में दिये गये अनुदान से किये गये व्यय का ब्योरा

१९५६–५७

किस हेतु अनुदान दिया गया	व्यय		
	रु०	न०	पैसे
परिषद् के प्राथमिक पाठशालाओं के परिवर्तन हेतु ..	२,७२८		७२
दो जूनियर हाई स्कूलों के कृषि फार्म को तार से घेरने हेतु ..	१७०		९४
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु	१,९९६		०

१९५७–५८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु	८१६		०
योग ..	५,७११		६६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३० एल० ए०—१९५९–८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा